ISBN: 978-93-5967-669-2

बाँदा जनपद के अनुकरणीय परिषदीय विद्यालय

डॉ० राजीव अग्रवाल

अमित कुमार

आकांक्षा सिंह

बाँदा जनपद के अनुकरणीय परिषदीय विद्यालय

डॉ० राजीव अग्रवाल

एसोसिएट प्रोफेसर—शिक्षा संकाय

अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, अतर्रा

बांदा, उत्तर प्रदेश

अमित कुमार

एम.एड.

आकांक्षा सिंह

बी.एल.एड.

बाँदा जनपद के अनुकरणीय परिषदीय विद्यालय

डॉ० राजीव अग्रवाल

अमित कुमार

आकांक्षा सिंह

E-book संस्करण: 2023

मूल्य: ₹ 89

ISBN: 978-93-5967-669-2

प्रकाशक—

आकांक्षा सिंह

ग्राम करहुली,पोस्ट भभुआ

तहसील- बबेरू, जिला- बांदा (उ०प्र०) पिन कोड 210121

मो०- +919792192998

ई० मेल: ak7ak14@gmail.com

प्राक्कथन

आज हमारे देश में तथाकथित जागरूक लोग जहाँ चमकीली-भड़कीली, नखरीली-खर्चीली, किन्तु सर्वनाशकारी शिक्षण पद्धति के स्कूलों एवं कॉलेजों से प्रवाहित भिन्न-भिन्न तरह की डिग्रियाँ हासिल करने के बहाव में बह रहे हैं, वहीं परिषदीय विद्यालय उस बहाव के विपरीत दिशा में इत्मीनान से तैर रहे हैं। बहाव के विपरीत दिशा में सिर्फ अपनी जान हथेली पर लेकर अकेले तैरना भी निरापद नहीं है, जबकि अनुकरणीय परिषदीय विद्यालय पलकों पर तैर रहे हैं।

धारा के विरुद्ध अन्य विद्यालयों से युद्ध करते हुए अनुकरणीय परिषदीय विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था का मानना है कि वर्तमान समय की समस्त समस्याओं की जड़ अन्य विद्यालय हैं, जो डिग्रियाँ बाँटते हैं और लोगों को स्वार्थी बनाते हैं। परिषदीय विद्यालय शिक्षा के माध्यम से कार्य के अनुरूप अंक पत्र प्रदान करते हैं।

प्रस्तुत पुस्तक का शीर्षक है, **"बाँदा जनपद के अनुकरणीय परिषदीय विद्यालय"** इस पुस्तक को पाँच अध्यायों में विभाजित किया गया है।

प्रथम अध्याय में भारत में शिक्षा के विकास की प्रक्रिया, परिषदीय विद्यालयों की समस्याएँ, बांदा जनपद में परिषदीय विद्यालयों की स्थिति आदि का वर्णन किया गया है।

द्वितीय अध्याय में अध्ययन से सम्बन्धित कतिपय शोध कार्यों, समाचार, लेख आदि पर प्रकाश डाला गया है।

तृतीय अध्याय **के** अन्तर्गत शोध विधि, प्रतिदर्श चयन एवं शोध उपकरण से अवगत कराया गया है।

चतुर्थ अध्याय में बांदा जनपद के सात अनुकरणीय परिषदीय विद्यालयों की विशेषताओं को सविस्तार बताया गया है।

पंचम अध्याय में शोध अध्ययन से सम्बन्धित निष्कर्ष, शैक्षिक उपादेयता एवं सुझावों को प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत पुस्तक लघु शोध-प्रबन्ध पर आधारित हैं। शोध कार्य के प्रकाशन से वैज्ञानिक ज्ञान भण्डार में वृद्धि होती है एवं नवीन अनुसंधानों को प्रेरणा मिलती है। किसी भी शोध कार्य का तब तक कोई अर्थ नहीं है, जब तक की वह जनसामान्य के लिए सुलभ न हो। प्रस्तुत पुस्तक इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है। यह पुस्तक विद्यालय से सम्बन्धित हर एक घटक में प्रेरणा का संचार करने में सहायक सिद्ध होगी।

इस पुस्तक के सृजन में सन्दर्भ ग्रन्थ सूची में उल्लेखित विभिन्न पुस्तकों का सहयोग लिया गया है। हम सभी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं।

प्रस्तुत पुस्तक में अनेक त्रुटियाँ होना स्वभाविक है। अतः यदि अनुभवी विद्वतगण अवगत कराने का कष्ट करेंगे तो हम अत्यन्त आभारी होंगे तथा भावी संस्करण में संशोधन का प्रयास करेंगे।

राजीव अग्रवाल

अमित कुमार

आकांक्षा सिंह

अनुक्रमणिका

विषयवस्तुअध्यायपृष्ठ संख्या

तालिका सूची

चित्र सूची

तालिका सूची

अध्याय प्रथम

'अध्ययन परिचय'

अध्याय : प्रथम

अध्ययन परिचय

1.1 प्रस्तावना

किसी भी व्यक्ति, समाज व देश की नियति उसकी शिक्षा पद्धति पर निर्भर करती है। विकास और प्रगति के सारे रास्ते शिक्षा से होकर गुजरते हैं। क्या सही है और क्या गलत है इसका ज्ञान शिक्षा से ही प्राप्त होता है। शिक्षा ही हमें विवेकपरक दृष्टिकोण प्रदान करती है। अंग्रेजी साहित्यकार बेकन के इस कथन में बड़ी सच्चाई है कि ज्ञान ही शक्ति है अर्थात ज्ञान ही व्यक्ति को, को समाज को अथवा राष्ट्र को शक्ति संपन्न बनाता है। पंचतंत्र की प्रसिद्ध सिंह व खरगोश की कहानी का भी यही संदेश है कि बुद्धि की शक्ति व शरीर-बल से श्रेष्ठ है। सभी प्राणियों में मानव इसलिए श्रेष्ठ एवं अद्वितीय है क्योंकि उसमें बुद्धि है जबकि अन्य प्राणियों में नहीं। इस प्रकार मानव के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के महत्वपूर्ण पहलू के रूप में शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है। मानव जीवन में शिक्षा का बहुत अधिक महत्व है। शिक्षा ही मानव के व्यक्तित्व का सही विकास करती है। मानव में अंतर्निहित क्षमताओं को शिक्षा उद्घाटित कर उसके व्यक्तित्व को गरिमामय व सार्थक बनाती है और जीवन को चरितार्थ करती है। सच्चाई तो यह है कि शिक्षित होने का अर्थ ही है मानव होना। अन्य प्राणी अपनी जैविक गतिविधियों के माध्यम से अपने बच्चों को जीवन संचालन के योग्य बनाते हैं,पर मानवेत्तर प्राणियों में यह स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में गतिशील होती है। जैसे पंक्षियों का उड़ना, जानवरों के बच्चों का अपना भोजन तलाशना, अथवा अन्य गतिविधियाँ आदि। पर मानव जीवन में शिक्षा व्यक्ति को प्रकृति के बेहतर उपयोग के लिए समझ देती है। अनुभवों से मानव अपने ज्ञान को समृद्ध करता है। इस प्रकार शिक्षा मानव जीवन में औपचारिक तथा अनौपचारिक तरीके से अनवरत क्रियाशील रहती है। शिक्षा स्वयं साधन न होकर व्यक्ति निर्माण का साधन है और व्यक्ति से समाज बनता है। इस प्रकार शिक्षा समाज निर्माण का भी साधन बन जाती है। शिक्षा अज्ञानता से मुक्ति दिलाकर समाज के कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि व्यक्ति की शिक्षा से ही यह जान पाता है कि उसके अधिकार व स्वतंत्रताओं का क्या रूप है? राज्य व समाज के प्रति उसके क्या दायित्व हैं? अधिकारों के हनन को कैसे रोका जा सकता है? निःसंदेह शिक्षा से व्यक्ति में सकारात्मक तथा गुणात्मक सुधार आता है। वस्तुतः शिक्षा से ही एक अच्छे नागरिक निर्माण में सहायता मिलती है, इसके लिए एक अच्छे समाज निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि

तद्रूरूप वांछित शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण किया जाएगा, क्योंकि शिक्षा समाज परिवर्तन का सशक्त साधन भी है, पर यहां यह ध्यातव्य है कि शिक्षा व्यवस्था की प्रकृति का निर्धारण हमारी सोच पर भी निर्भर करता है। उदाहरणार्थ- पूंजीवादी समाज की शिक्षा की प्रकृति एक समाजवादी समाज की शिक्षा प्रकृति से भिन्न होगी। समाज अपने लक्ष्य पूर्ति हेतु शिक्षा का उपयोग करता है, पर समाज भी शिक्षा से प्रभावित होता है। इस संदर्भ में शिक्षा दोहरी भूमिका निभाती है एक ओर समाज की अपेक्षा के अनुरूप व्यक्ति को प्रशिक्षित एवं विकसित करती है वहीं दूसरी और वह व्यक्ति की बौद्धिक क्षमताओं का विकास कार्य एवं समझ विकसित करती है कि वह जिस समाज में रह रहा है उसकी समीक्षा कर सके और बदली परिस्थितियों के अनुसार अपनी समाज के विकास के लिए मार्ग तैयार कर सके। मानव की यह वृत्ति ही समाज को प्रगति की ओर उन्मुख करती है और समाज को समय तथा परिस्थितियों के अनुरूप अपने को समायोजित करने की कला में दक्ष बनाती है।

1.1.1 शिक्षा -विकास की प्रक्रिया

शिक्षा ही मानव विकास का मूल आधार है। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य अपनी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं आध्यात्मिक शक्तियों को अनुशासित करता है। इस प्रकार मनुष्य के स्वानुशासन के विकास में 'शिक्षा' का महत्वपूर्ण स्थान है। जब से बालक इस संसार में जन्म लेता है, तभी से वह वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करना प्रारंभ कर देता है। वातावरण एवं पर्यावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करने में शिक्षा की महती भूमिका होती है प्रारम्भिक अवस्था में बालक की सीखने की गति प्राय: कम होती है। धीरे-धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो वह वातावरण से कुछ नए अनुभव अर्जित करता है और उसके फलस्वरूप उसका व्यवहार परिवार एवं समाज तथा समुदाय के अनुकूल हो जाता है। बालक के अनुभव का यह क्रम दिन-प्रतिदिन बढ़ता है जिसके परिणाम स्वरूप उसका व्यवहार संयमित होने लगता है शिक्षा के द्वारा ही एक असभ्य, अविकसित,अपरिपक्व मानव, सुसभ्य एवं सुविकसित इंसान के रूप में परिवर्तित हो जाता है।

शिक्षा केवल मानव जाति के व्यवहार में परिवर्तन लाने तक ही सीमित नहीं है अपितु उनका चारित्रिक विकास भी करती है। संसार के अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य पर शिक्षा का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक होता है क्योंकि मनुष्य एक विवेकशील एवं बुद्धिमान प्राणी है। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य के पशुवत व्यवहार में परिवर्तन करके उसे एक सामाजिक प्राणी बनाया जाता है। सामाजिक प्राणी

बनाने की प्रक्रिया में परिवार, विद्यालय समाज और समुदाय बालक की सहायता करते हैं। बालक की शिक्षा के विकास में प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च स्तर के अलग-अलग कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं जिससे बालक के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य की प्राप्ति आसानी से की जा सके। बालक की शिक्षा में उच्च शिक्षा अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। उच्च शिक्षा स्तर पर ही बालक की शैक्षिक व्यावसायिक एवं सामाजिक परिपक्वता की प्राप्ति होती है जो उसके आगे आने वाले भविष्य की दिशा निर्धारित करती है।

समाज की आर्थिक व्यवस्था चार प्रकार की श्रेणियों में विभक्त रही है। ब्राह्मण वर्ग से अपेक्षा की जाती थी कि वह समुदाय को पुरोहित, चिंतक, लेखक, विधायक, धार्मिक नेता तथा पथ प्रदर्शक देंगे। क्षत्रिय वर्ण समाज को योद्धा शासक प्रशासक, वैश्य समाज को उत्पादक, कृषक, शिल्पकार व्यापारी देते थे। शूद्र छोटे-छोटे कार्यों के लिए भृत्यों या नौकरी की आपूर्ति करते थे। इस प्रकार की प्रणाली में धर्म चिंतन तथा विद्या को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया। सामाजिक व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं, अपितु व्यक्ति की क्षमता व आंतरिक व्यवस्था के आधार पर निर्धारित की गयी। वर्णों के आधार पर तद्रूप चार पुरुषार्थ स्थापित किए गए जो उस समय की दार्शनिक सोच के द्योतक है ब्राह्मण-मोक्ष, क्षत्रिय-काम, वैश्य-अर्थ, शूद्र-धर्म। कालांतर में यही वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिणत हुई तथा जातीय संघर्ष का जन्म हुआ। जो आज के सूचना तकनीकी युग में भी यह संघर्ष उच्च स्तर पर विद्यमान है, चाहे वह राजनीति में हो, शिक्षा में हो या शासन में हो, यह राष्ट्र निर्माण में बाधा स्वरूप है। इस सामाजिक विघटन को दूर करने के लिए समाज में ऐसी शिक्षा का होना नितांत आवश्यक है जो हमें संकीर्ण सोच से ऊपर उठाकर वैश्विक स्तर तक पहुँचा सके, और इस प्रायोगिक युग में सकारात्मक सोच का विकास कर सके। वर्तमान समय में उच्च शिक्षा की जो स्थिति है उसमे कुशल शिक्षक के साथ वर्तमान तकनीकी भी महत्वपूर्ण भूमिका में होती है, क्योंकि उच्च शिक्षा के सन्दर्भ में भारत की स्थिति अभी निराशाजनक है।

1.1.2 प्राथमिक शिक्षा:ज्ञान की आधारशिला

शिक्षण का कार्य समस्त कार्यों में पवित्रतम और परमावश्यक माना जाता है। शिक्षा किसी राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला होती है। यह राष्ट्र की प्रगति का मापदंड तथा भविष्य का प्रकाश स्तंभ होती है। प्रत्येक राष्ट्र चाहता है कि उसके नागरिकों का शारीरिक,मानसिक, बौद्धिक, नैतिक तथा आर्थिक विकास हो और वे उन्नति करते हुए आगे बढ़े। किसी भी राष्ट्र के दो सशक्त आधार होते हैं-प्रथम

प्राकृतिक संसाधन और द्वितीय मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से चाहे कितना भी संपन्न क्यों ना हो, परंतु यदि उस राष्ट्र के मानवीय संसाधन विकसित नहीं हैं तो उसके प्राकृतिक संसाधनों की संपन्नता का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। शिक्षा मानवीय संसाधन के निर्माण एवं विकास की सतत् एवं सशक्त प्रक्रिया है। यूँ तो सभ्यताओं के प्रादुर्भाव के समय से ही शिक्षा मानव विकास का महत्वपूर्ण साधन रही है परंतु वर्तमान तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी के युग में इसकी गरिमा द्विगुणित हो गयी है। आज शिक्षा न केवल मोक्ष प्राप्ति का साधन मानी जाती है, अपितु समाज के बिकास के लिए एक सतत् क्रिया एवं आधार है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति की मनोवृत्ति, मूल्यों, ज्ञान तथा कौशल में अभिवृद्धि की जा सकती है। देश के नागरिकों का विकास शिक्षा पर ही आधारित होता है। अतः प्रत्येक समाज अपने नागरिकों के लिए शिक्षा की श्रेष्ठतम् व्यवस्था करता है। शिक्षा की व्यवस्था की सफलता तथा असफलता उससे संबंधित आयोजकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों इत्यादि पर आश्रित रहती है। शिक्षा नीति चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो लेकिन यदि इस प्रक्रिया से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को अपने-अपने दायित्वों का बोध नहीं होगा तथा नीतियों के प्रति प्रतिबद्धता नहीं होगी तो नीति की सफलता सन्देहास्पद रहेगी।

भारतवर्ष सदैव से ही धर्म एवं संस्कृति का अग्रदूत रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के शैक्षिक परिदृश्य में बहुत तीव्र गति से परिवर्तन हुए हैं। आज शिक्षा का स्वरूप काफी कुछ बदल गया है। अब शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि शिक्षा राष्ट्रीय विकास का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुकी है, जिसका सर्वप्रमुख कार्य मानवीय संसाधनों को विकसित करना है। इस प्रक्रिया में प्राथमिक शिक्षा मानवीय संसाधनों को उचित ढंग से विकसित करने के लिए आधार स्तंभ का कार्य करती है। यही कारण है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद- 45 में इच्छा व्यक्त की थी कि संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अनिवार्य एवं नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा देने का प्रयास किया जाए, जो कि संविधान के लागू होने के 60 वर्षों के पश्चात् सन् 2010 में साकार किया जा सका है। प्राथमिक शिक्षा के इस धीमी प्रगति के अनेक कारण हो सकते हैं, जिन्हें प्रशासनिक, सामाजिक तथा नैतिक कारकों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इन सभी कार्यों से संबंधित सर्वमान्य बात प्राथमिक शिक्षा में जवाबदेही की है। वर्तमान में अनेक नीतियों, योजनाओं के होते हुए भी प्राथमिक शिक्षा के स्तर में गिरावट देखी जा सकती है। जिसका कारण शिक्षा

से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों जैसे कि प्रशासकों, प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा अभिभावकों में कर्तव्य बोध का अभाव दिखाई पड़ता है अर्थात् वे अपने निर्दिष्ट कार्यों को उतनी मेहनत एवं लगन के साथ करते हुए नहीं पाए जा रहे हैं जितनी कि उनसे अपेक्षा की जाती है। जहां एक ओर प्रशासक, प्रशासनिक कार्यों के प्रति उदासीन हैं वही दूसरी ओर अभिभावक अपने पाल्यों की शिक्षा में रुचि नहीं ले रहा है। ऐसी परिस्थिति में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों में शैक्षिक उत्तरदायित्व की भावना आवश्यक प्रतीत होती है तथा शिक्षकों से आशा की जाती है कि शिक्षण संस्थाओं में अपने कर्तव्यों का निर्वहन उचित ढंग से करें तथा कल्पनाशील एवं नवाचारी शिक्षण विधियों, रचना कौशलों, युक्तियों, प्रविधियों इत्यादि के माध्यम से सृजनशील नागरिकों का निर्माण करें, जिससे कि प्राथमिक शिक्षा अपने वांछनीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सके।

1.1.3 भारत में प्राथमिक शिक्षा का विकास

भारतीय परम्परा में शिक्षा को सदैव से सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। एक सम्प्रत्यात्मक रूप में भारत में शिक्षा को विद्या की संज्ञा मिली है। उपनिषदीय भाषा में इसकी परिभाषा करते हुए कहा गया- **"सा विद्या या विमुक्तये"** अर्थात् विद्या वह है जो हमें मुक्ति प्रदान करे। यह मुक्ति है अविद्या से। अब प्रश्न उठता है कि अविद्या क्या है? अविद्या झूठे ज्ञान को कहते हैं। अविद्या असत्य का घोतक है और विद्या सत्य की घोषणा। जितने भी विषय हैं, जितने भी प्रयास हैं उनका कार्य केवल सत्य को जानना ही है। असत्य को जानकर ही हम सत्य की पहचान कर सकते हैं। इसीलिए भारतीय परम्परा में शिक्षा का संबंध श्रेय एवं प्रेय दोनों के साधन के रूप में हैं। पर शिक्षा का इतना उद्दान्त आदर्श एवं सम्प्रत्यात्मक समृद्धि होते हुए भी इसकी सुलभता सीमित थी। समाज के एक बहुत बड़े भाग को इससे वंचित कर दिया गया था। पर कालांतर में जनतांत्रिक प्रवृत्तियों के विस्तार और ज्ञान के विस्फोट ने शिक्षा का अप्रत्याशित्त विस्तार किया और आज यह सभी की आवश्यकता के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी है। आज यह स्वीकार कर लिया गया है कि समाज के सभी लोगों को शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। अंग्रेजी शासन के फलस्वरूप पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार-प्रसार, पुनर्जागरण आंदोलन और समाज सुधार आंदोलनों के फलस्वरूप भारतीय समाज में जो जन-चेतना उभर कर सामने आई, उससे आधुनिक शिक्षा की महत्वता प्रतिष्ठित हुई और शिक्षा विशिष्ट वर्गों की परिधि में से निकल कर पूरे समाज को अपने आगोश में लेने के लिए अग्रसर हो उठी।

हम यह भी देखते हैं कि आजादी के छ: दशक से भी अधिक व्यतीत हो जाने के बाद भी शिक्षा के क्षेत्र में वांछित सफलता नहीं मिल सकी है। अभी हम प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य से काफी दूर हैं। संख्यात्मक रूप से तो हम पिछड़े ही हैं पर गुणात्मक रूप से तो हम असफल हो चुके हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र की कमियों की पहचान करें और उसको दूर करने के उपायों पर भी चिंतन करें व आवश्यक कार्यक्रमों को भी लागू करें। यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज शिक्षा को एक मूल अधिकार के रूप में प्रतिष्ठा मिल चुकी है। आज हमारे सामने चुनौती है, वह यह है कि प्राथमिक शिक्षा की सफलता, निजीकरण को बढ़ावा देने में अथवा सरकारीकरण में अथवा दोनों को बढ़ावा देने में है अथवा दोनों के बढ़ावा देने के साथ वांछित सुधार की आवश्यकता है?

इस पर व्यवस्थित रूप से विचार करने के लिए यह आवश्यक है कि हम भारतीय शैक्षिक विकास पर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ एक विहंगम दृष्टि डालें और इस ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया में आज हमारी शिक्षा व्यवस्था किस पड़ाव पर पहुंची है? उसकी प्रकृति, उसकी समस्या और उसके समक्ष कौन-सी चुनौतियाँ हैं? विशेषकर प्राथमिक शिक्षा को लेकर क्योंकि सारी शिक्षा व्यवस्था की नींव यही प्राथमिक शिक्षा ही है।

1.1.3.1 वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा

वैदिक काल में मानव व समाज की सभी गतिविधियों का केंद्र धर्म था। इसलिए इस दौरान शिक्षा का उद्देश्य धर्म को जानना था। इस काल में शिक्षा विद्या के नाम से अभिहित थी। इस काल में शिक्षा की दो शाखाएँ थी- परा विद्या तथा अपरा विद्या। परा विद्या का संबंध अध्यात्म विद्या से है तथा अपरा विद्या का संबंध सांसारिक जीवन के व्यवहार में आने वाली विद्या से है। अपरा से परा विद्या को श्रेष्ठ विद्या माना गया है, क्योंकि इसी से हमें चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति में सहायता मिलती है। पर यहाँ यह ध्यातव्य है कि इस प्रकार के विभाजन का तात्पर्य यह नहीं है कि ये दोनों बिल्कुल पृथक-पृथक रहती हैं। वस्तुतः दोनों परस्पर मिलकर प्रकार्य संपादित करती है। अपरा विद्या की सार्थकता इसी बात पर निर्भर करती है कि परा विद्या की सिद्धि में वह कहाँ तक सहायक है? अर्थ और काम की साधना का संबंध अपरा विद्या से है और मोक्ष की साधना का संबंध परा विद्या से है, पर इन सब की साधना के साथ धर्म

की साधना साथ-साथ संपादित होती है और इसलिए पुरुषार्थ चतुष्टय के क्रम में धर्म का स्थान सर्वप्रथम आता है।

वैदिक काल में शिक्षा प्रक्रिया को इस प्रकार संचालित किया जाता था कि वह पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति में सहायक बन सके। इसी के अनुरूप चरित्र निर्माण पर सर्वाधिक बल दिया जाता था, जिससे मानवीय मूल्य अधिक से अधिक उसके आचरण में प्रस्फुटित हो सके। यह भी प्रयास था कि व्यक्ति परिवार के प्रति, समाज के प्रति तथा राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व को जानने और दायित्व निर्वाह की क्षमता का विकास कर सके। इसी आधार पर उसे सांसारिक जीवन के लिए तैयार किया जाता था। यह शिक्षा श्रम बस्तियों से दूर प्रायः जंगल में एकांत स्थान पर होते थे। आश्रम के नियमों का पालन करना, सदाचार तथा योग्यता पर प्रमुखता से बल दिया जाता था। उसकी दिनचर्या निर्धारित रहती थी। उसी के अनुरूप उन्हें चलना होता था। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक कृत्यों से निपटने के बाद विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते थे। फिर जंगल से लकड़ियाँ, भोजन-व्यवस्था के लिए भिक्षा लाना, गाय तथा अन्य पशुओं को जंगल में चराना आदि विद्यार्थियों के प्रमुख कर्तव्य थे। इस प्रकार की दिनचर्या निर्धारित की गई थी, जिससे उनमें आध्यात्मिक विकास के साथ सामाजिकता, विनम्रता, भद्रता, सहनशीलता तथा सहकारिता जैसे मानवीय गुणों का विकास हो सके। शारीरिक श्रम, तप व अध्ययन द्वारा छात्रों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया था। पाठ्यक्रम क्रम का निर्धारण भी इसी दृष्टि से किया गया था। आज की तरह अलग-अलग विषयों का अध्ययन नहीं था। पाठ्यक्रम समन्वित रूप से विकसित किए गए थे। परा विद्या के अंतर्गत वेद तथा तर्कशास्त्र पर जोर दिया जाता था तथा मुख्यतः उसकी समीक्षा सम्मिलित थी। वहीं अपरा विद्या के अंतर्गत इतिहास, ज्योतिष, गणित, जीवविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भू-गर्भ विद्या, आयुर्वेद आदि विषय पढ़ाये जाते थे। शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा था। यज्ञ आदि कर्मकांडीय विधियों को प्रयोगात्मक अनुभव प्रदान किया जाता था।

1.1.3.2 बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा

वैदिक काल में पुरोहितवाद, यज्ञ, हवन आदि कर्मकांडीय विषय पर अधिक बल दिया गया। सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मणवाद हावी हो गया। इसकी प्रतिक्रिया के रूप में बौद्ध-धर्म आगे आया। लगभग 563-483 बी. सी. के काल में बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। बौद्ध-धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए मठों, बिहारों की स्थापना की गई। कालांतर में इन्हीं मठों एवं बिहारों में शिक्षा दी जाने लगी। इसने वैदिक

काल के रहस्यवादिता से अपने को मुक्त कर लिया। इस शिक्षा का उद्देश्य मोक्ष प्राप्तिनहीं वरन् निर्वाण प्राप्ति था। यह निर्वाण जीवित रहते ही प्राप्त होती थी। इसने तर्क एवं विवेक पर बल दिया। साथ ही निजी आचरण पर भी बल दिया गया, जबकि वैदिक कालीन शिक्षा में संस्कारों एवं कर्मकांडीय विद्या पर अधिक जोर था। यही नहीं वैदिक काल में शिक्षण एवं ज्ञान पर एक छोटे से वर्ग का वंशानुगत एकाधिकार था, जबकि बौद्ध कालीन शिक्षा में इस वंशानुगत एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। शिक्षा को जन सामान्य से जोड़ दिया गया और जन सामान्य की भाषा को महत्व दिया गया। नालन्दा विहार(425 ई.-1205 ई.) बौद्ध कालीन शिक्षा के उत्कर्ष का प्रतीक बना।

बौद्धकालीन शिक्षा में नैतिकता तथा आचार शील पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया। इस शिक्षा का उद्देश्य नैतिक चरित्र तथा व्यक्तित्व का विकास करते हुए लोगों को एक अच्छे जीवन को जीने के लिए तैयार करना था। साथ ही बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार भी होता रहे।

वैदिक काल के उपनयन संस्कार की तरह बौद्धकाल में भी शिक्षा के लिए 'प्रवज्या संस्कार' संपन्न होता था। शिक्षा के लिए इच्छुक बालक 8 वर्ष की आयु प्राप्त होने परमठों में पढ़ने के लिए प्रवज्या संस्कार संपन्न कराता था। यह संस्कार बौद्ध-भिक्षु संपन्न कराता था। बालक अपने सिर के बाल को मुड़वाकर और पीले वस्त्र धारण कर बौद्ध-भिक्षु के चरण में शीश झुकाकर "बुद्धम् शरणम् गच्छामि, धर्मं शरणम् गच्छामि, संघम् शरणम् गच्छामि" कहता था। इस संस्कार के संपन्न होने पर बालक को " सामनेर" कहा जाता था और उसे मठ में ही रहकर विद्या अध्ययन करना पड़ता था। मठ के द्वार सभी के लिए खुले थे। यहाँ जाति बंधन नहीं था। छात्रों की दिनचर्या कड़े अनुशासन में व्यतीत होती थी। बौद्ध मठों तथा विहार शिक्षा-गतिविधियों के केंद्र बने। इसलिए शिक्षा संस्थानगत उद्यम बन गई परंतु वैदिक काल में यह व्यक्तिगत उद्यम थी। जबकि बौद्ध कालीन शिक्षा में छात्र एवं अध्यापक एक ही स्थान पर रहते थे। छात्र इसमें 12 वर्ष तक रहकर अपना अध्ययन पूरा करते थे। तक्षशिला, नालन्दा, बल्लभी, विक्रमशिला, मिथिला, जगद्दला इस काल की प्रमुख शिक्षण संस्थाएं थी। जिसकी कीर्ति दूर-दूर तक फैली हुयी थी। बौद्ध-धर्म शास्त्रों का अध्ययन अनिवार्य रूप से किया जाता था।रुचियों के अनुरुप साहित्य, दर्शन, कला, व्यापार, कृषि, सैनिक आदि क्षेत्रों का भी ज्ञान दिया जाता था। बौद्ध काल की शिक्षा के दो स्तर थे- प्रारंभिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत लिखना-पढ़ना, सामान्य गणित का ज्ञान दिया जाता था और उच्च शिक्षा के अंतर्गत धर्म-दर्शन, आयुर्वेद, शिल्पकला, सैनिक शिक्षा आदि का

ज्ञान दिया जाता था। शिक्षण कार्य मुख्यतः मौखिक था। प्रश्नोत्तर, वाद-विवाद, देशाटन आदि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी। शिक्षा प्राकृत भाषा में दी जाती थी। प्राकृत भाषा को 'पाली' के नाम से जाना जाता था। यह जन साधारण की भाषा थी, जो संस्कृत का ही अपभ्रंश रूप थी।

1.1.3.3 मुस्लिम कालीन शिक्षा

इस्लामी शिक्षा की धारा का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार-प्रसार, मुस्लिम संस्कृति को संरक्षण, मुसलमानों को महत्ता प्रदान करना तथा सांसारिक सुख व उन्नति को ही महत्व देना था तथा ऐसा करते हुए मुस्लिम साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करना था। मुस्लिम शिक्षा का प्रारम्भ बिस्मिल्लाह रस्म से होता था, जो उपनयन संस्कार तथा प्रवज्या संस्कार की ही तरह एक संस्कार कहा जा सकता है। इसमें बालक जब 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता था, तब इसे मौलवी साहब के पास ले जाकर कुरान की कुछ आयतों का उच्चारण कराया जाता था और यदि वह उच्चारण करने पर असमर्थ रहता तो बिस्मिल्लाह शब्द का उच्चारण कराया जाता। इस प्रकार बालक की शिक्षा का श्री गणेश हो जाया करता था और उसका मकतब में प्रवेश कर लिया जाता था। बड़े लोग मौलवी को अपने घर पर बुलाकर शिक्षा की व्यवस्था कर लेते थे।

मुस्लिम काल में शिक्षा के लिए दो संस्थाएँ प्रमुख थीं- 1.मकतब 2.मदरसा।

मकतब में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी और मदरसे में उच्च शिक्षा। मकतब मस्जिदों से जुड़े होते थे।मकतब के बाद बालक मदरसे में प्रवेश करता था। इन मदरसों का प्रबंध व्यक्तिगत समितियाँ करती थीं। मुस्लिम समाज में धनी व सम्मानित नागरिकों द्वारा यह व्यवस्था की जाती थी। मकतबों में लिखना-पढ़ना, साधारण गणित, पत्र-व्यवहार, जीविकोपार्जन, अरबी-फारसी का प्रारंभिक ज्ञान प्रदान किया जाता था। जिससे उनमें जीविकोपार्जन की क्षमता का विकास हो सके। साथ ही इस्लाम धर्म के प्रति रुझान उत्पन्न किया जाता था। मदरसों में शिक्षा के दो भाग थे- लौकिक तथा धार्मिक। लौकिक शिक्षा में अरबी, व्याकरण गद्य साहित्य, तर्कशास्त्र, दर्शनशास्त्र, कानून, ज्योतिषशास्त्र, गणित, इतिहास, भूगोल, यूनानी, चिकित्सा, कृषि आदि विषयों का ज्ञान कराया जाता था।

1.1.3.4 ब्रिटिश काल में प्राथमिक शिक्षा

अंग्रेजी शासन ने भारतीय शिक्षा की दशा व दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। जिसमें आधुनिक शिक्षा को आधार मिला। अंग्रेजों ने भारत में आधुनिक शिक्षा की आधारशिला इस दृष्टि से

रखी कि अंग्रेज साम्राज्य को मजबूती मिले। वही अंग्रेजी शासन अबाध गति से भारत में चलता रहे और अंग्रेजों को भौतिक दृष्टि से भी अधिकाधिक लाभ मिले। मुसलमानों ने भी भारत पर बाहर से आकर शासन किया। पर यहां पर आकर वे यहीं के होकर रह गए। यही उनका वतन हो गया। इसलिए वे इस समाज के अंग बन गए। पर अंग्रेजों ने यहाँ शासन अवश्य किया पर इसे अपना वतन नहीं माना। ब्रिटेन ही उनका वतन रहा और वहीं से भारत पर शासन किया और यहाँ से अमूल्य धन व सम्पदा लूटकर इंग्लैंड ले जाते रहे। उन्होंने न केवल आर्थिक दृष्टि से भारत को विपन्न किया बल्कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था की नींव डाली जो भारत को उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से भी विपन्न कर सके ऐसा कुचक्र चलाया। अंग्रेजों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किये गये सारे प्रयास के मूल में यही प्रवृत्ति गतिशील रही है। अंग्रेजों के शासन काल में भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में अगला क्रांतिकारी कदम सर चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र (1954) को माना जाता है। सर वुड ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालक मंडल के अध्यक्ष थे और सन् 1853 में जब कंपनी के आज्ञा पत्र के पुनः नवीनीकरण का समय आया तब ब्रिटिश संसद की प्रवर समिति की संस्तुतियों के आधार पर कंपनी ने शिक्षा के संबंध में अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसे ही वुड का घोषणा पत्र कहा गया। इस घोषणापत्र ने भारत की शिक्षा-व्यवस्था को एक क्रांतिकारी मोड़ दिया।

लॉर्ड स्टेनली ने 1859 में भारतीय शिक्षा के प्रति ब्रिटिश नीति की घोषणा की। स्टेनली ने धार्मिक तटस्थता की नीति को अपनाते हुए वुड की सिफारिशों को तो अपनी नीति मैं स्वीकृति दी थी। पर उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित नवीन बातों को समाविष्ट किया-

1. प्राथमिक शिक्षा का सारा उत्तरदायित्व सरकार के हाथों में होगा।
2. सहायता अनुदान प्रणाली केवल माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा तक लागू रहेगी।
3. यदि आवश्यकता हो तो प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय कर की व्यवस्था होगी।
4. अध्यापकों के प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया जाएगा।

इसमें मुख्य बात यह थी कि प्रांतीय सरकारों के ऊपर उत्तरदायित्व डालकर शिक्षा को विकेंद्रीकरण की ओर प्रवृत्त किया गया। सन् 1871 में लॉर्ड मेयर ने शिक्षा विभाग को प्रांतीय सरकार के अधीन कर दिया। सन् 1877 में लॉर्ड लिटन ने प्रांतीय सरकारों को और भी अधिक अधिकार प्रदान किए। इन सब के बावजूद भी नीति निर्धारण का अधिकार केंद्र के पास ही बना रहा।

1.1.3.5 आधुनिक काल में प्राथमिक शिक्षा

भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव यूरोपीय ईसाई धर्मप्रचारक तथा व्यापारियों के हाथों से डाली गई। उन्होंने कई विद्यालय स्थापित किए। प्रारंभ में मद्रास ही उनका कार्यक्षेत्र रहा। धीरे धीरे कार्यक्षेत्र का विस्तार बंगाल में भी होने लगा। इन विद्यालयों में ईसाई धर्म की शिक्षा के साथ-साथ इतिहास, भूगोल, व्याकरण, गणित, साहित्य आदि विषय भी पढ़ाए जाते थे। रविवार को विद्यालय बंद रहता था। अनेक शिक्षक छात्रों की पढ़ाई अनेक श्रेणियों में कराते थे। अध्यापन का समय नियत था। साल भर में छोटी बड़ी अनेक छुट्टियाँ हुआ करती थीं।

प्राय: 150 वर्षों के बीतते-बीतते व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी राज्य करने लगी। विस्तार में बाधा पड़ने के डर से कंपनी शिक्षा के विषय में उदासीन रही। फिर भी विशेष कारण और उद्देश्य से 1780 में कलकत्ते में 'कलकत्ता मदरसा' और 1791 में बनारस में 'संस्कृत कालेज' कंपनी द्वारा स्थापित किए गए। धर्मप्रचार के विषय में भी कंपनी की पूर्वनीति बदलने लगी। कंपनी अब अपने राज्य के भारतीयों को शिक्षा देने की आवश्यकता को समझने लगी। 1813 के आज्ञापत्र के अनुसार शिक्षा में धन व्यय करने का निश्चय किया गया। किस प्रकार की शिक्षा दी जाए, इसपर प्राच्य औरपाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में मतभेद रहा। वाद विवाद चलता चला। अंत में लार्ड मैकाले के तर्क वितर्क और राजा राममोहन राय के समर्थन से प्रभावित हो 1835 ई. में लार्ड बेंटिक ने निश्चय किया कि अंग्रेजी भाषा और साहित्य और यूरोपीय इतिहास, विज्ञान, इत्यादि की पढ़ाई हो और इसी में 1813 के आज्ञापत्र में अनुमोदित धन का व्यय हो। प्राच्य शिक्षा चलती चले, परंतु अंग्रेजी और पश्चिमी विषयों के अध्ययन और अध्यापन पर जोर दिया जाए।

पाश्चात्य रीति से शिक्षित भारतीयों की आर्थिक स्थिति सुधरते देख जनता इधर झुकने लगी। अंग्रेजी विद्यालयों में अधिक संख्या में विद्यार्थी प्रविष्ट होने लगे क्योंकि अंग्रेजी पढ़े भारतीयों को सरकारी पदों पर नियुक्त करने की नीति की सरकारी घोषणा हो गई थी। सरकारी प्रोत्साहन के साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा को पर्याप्त मात्रा में व्यक्तिगत सहयोग भी मिलता गया। अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ अधिक कर्मचारियों की और चिकित्सकों, इंजिनियरों और कानून जानने वालों की आवश्यकता पड़ने लगी। उपयोगी शिक्षा की ओर सरकार की दृष्टि गई। मेडिकल, इजिनियरिंग और लॉ कालेजों की स्थापना होने लगी। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा फुले ने 1848 में एक स्कूल खोला। यह इस काम के लिए देश में पहला विद्यालय था। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं

मिली तो उन्होंने कुछ दिन स्वयं यह काम करके अपनी पत्नी सावित्री को इस योग्य बना दिया। उच्च वर्ग के लोगों ने आरंभ से ही उनके काम में बाधा डालने की चेष्टा की, किंतु जब फुले आगे बढ़ते ही गए तो उनके पिता पर दबाब डालकर पति-पत्नी को घर से निकालवा दिया इससे कुछ समय के लिए उनका काम रुका अवश्य, पर शीघ्र ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के तीन स्कूल खोल दिए। स्त्री शिक्षा पर ध्यान दिया जाने लगा।

1853 में शिक्षा की प्रगति की जाँच के लिए एक समिति बनी। 1854 में वुड के शिक्षा संदेश पत्र में समिति के निर्णय कंपनी के पास भेज दिए गए। संस्कृत, अरबी और फारसी का ज्ञान आवश्यक समझा गया। औद्योगिक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। प्रांतों में शिक्षा विभाग अध्यापक प्रशिक्षण नारी शिक्षा इत्यादि की सिफारिश की गई। 1857 में स्वतंत्रता युद्ध छिड़ गया जिससे शिक्षा की प्रगति में बाधा पड़ी। प्राथमिक शिक्षा उपेक्षित ही रही। उच्च शिक्षा की उन्नति होती गई। 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित हुए।

मुख्यत: प्राथमिक शिक्षा की दशा की जाँच करते हुए शिक्षा के प्रश्नों पर विचार करने के लिए 1882 में सर बिलियम बिल्सन हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के लिए उचित सुझाव दिए। सरकारी प्रयत्न को माध्यमिक शिक्षा से हटाकर प्राथमिक शिक्षा के संगठन में लगाने की सिफारिश की। सरकारी माध्यमिक स्कूल प्रत्येक जिले में एक से अधिक न हो; शिक्षा का माध्यम माध्यमिक स्तर में अंग्रेजी रहे। माध्यमिक स्कूलों के सुधार और व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार के लिए आयोग ने सिफारिशेंकीं। सहायता अनुदान प्रथा और सरकारी शिक्षाविभागों का सुधार, धार्मिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, मुसलमानों की शिक्षा इत्यादि पर भी आयोग ने प्रकाश डाला।

आयोग की सिफारिशों से भारतीय शिक्षा में उन्नति हुई। विद्यालयों की संख्या बढ़ी। नगरों में नगरपालिका और गाँवों में जिला परिषद् का निर्माण हुआ और शिक्षा आयोग ने प्राथमिक शिक्षा को इनपर छोड़ दिया परंतु इससे विशेष लाभ न हो पाया। प्राथमिक शिक्षा की दशा सुधर न पाई। सरकारी शिक्षा विभाग माध्यमिकशिक्षा की सहायता करता रहा। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही रही। मातृभाषा की उपेक्षा होती गई। शिक्षा संस्थाओं और शिक्षितों की संख्या बढ़ी, परंतु शिक्षा का स्तर गिरता गया। देश की उन्नति चाहने वाले भारतीयों में व्यापक और स्वतंत्र राष्ट्रीय शिक्षा की आवश्यकता का बोध होने लगा। स्वतंत्रता प्रेमी भारतीयों और भारत-प्रेमियों ने सुधार का काम उठा लिया। 1870 में बाल गंगाधर

तिलक और उनके सहयोगियों द्वारा पूना में फर्ग्यूसन कालेज, 1886 में आर्यसमाज द्वारा लाहौर में दयानंद ऐंग्लो वैदिक कालेज और 1898 में काशी में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा सेंट्रल हिंदू कालेज स्थापित किए गए।

1894 में कोल्हापुर रियासत के राजा छत्रपति शाहूजी महाराज ने दलित और पिछड़ी जाति के लोगों के लिए विद्यालय खोले और छात्रावास बनवाए। इससे उनमें शिक्षा का प्रचार हुआ और सामाजिक स्थिति बदलने लगी। 1894 से 1922 तक पिछड़ी जातियों समेत समाज के सभी वर्गों के लिए अलग-अलग सरकारी संस्थाएं खोलने की पहल की। यह अनूठी पहल थी उन जातियों को शिक्षित करने के लिए, जो सदियों से उपेक्षित थीं, इस पहल में दलित-पिछड़ी जातियों के बच्चों की शिक्षा के लिए ख़ास प्रयास किये गए थे। वंचित और गरीब घरों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। 1920 को नासिक में छात्रावास की नींव रखी। शाहू जी महाराज के प्रयासों का परिणाम उनके शासन में ही दिखने लग गया था। शाहू जी महाराज ने जब देखा कि अछूत-पिछड़ी जाति के छात्रों की राज्य के स्कूल-कॉलेजों में पर्याप्त संख्या हैं, तब उन्होंने वंचितों के लिए खुलवाये गए पृथक स्कूल और छात्रावासों को बंद करवा दिया और उन्हें सामान्य छात्रों के साथ ही पढ़ने की सुविधा प्रदान की। डा० भीमराव अम्बेडकर बड़ौदा नरेश की छात्रवृति पर पढ़ने के लिए विदेश गए लेकिन छात्रवृत्ति बीच में ही रोक दिए जाने के कारण उन्हे वापस भारत आना पड़ा। इसकी जानकारी जब शाहू जी महाराज को हुई तो महाराज ने आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें सहयोग दिया।

1901 में लार्ड कर्ज़न ने शिमला में एक गुप्त शिक्षा सम्मेलन किया था, जिसमें 152 प्रस्ताव स्वीकृत हुए थे। इसमें कोई भारतीय नहीं बुलाया गया था और न सम्मेलन के निर्णयों का प्रकाशन ही हुआ। इसको भारतीयों ने अपने विरुद्ध रचा हुआ षड्यंत्र समझा। कर्ज़न को भारतीयों का सहयोग न मिल सका। प्राथमिक शिक्षा की उन्नति के लिए कर्ज़न ने उचित रकम की स्वीकृति दी, शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की तथा शिक्षा अनुदान पद्धति और पाठ्यक्रम में सुधार किया। कर्ज़न का मत था कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से ही दी जानी चाहिए। माध्यमिक स्कूलों पर सरकारी शिक्षा-विभाग और विश्वविद्यालय दोनों का नियंत्रण आवश्यक मान लिया गया। आर्थिक सहायता बढ़ा दी गई। पाठ्यक्रम में सुधार किया गया। कर्जन माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का हटना उचित नहीं समझता था, प्रत्युत सरकारी प्रभाव का बढ़ाना आवश्यक मानता था। इसलिए वह सरकारी स्कूलों की संख्या

बढ़ाना चाहता था। लार्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा की उन्नति के लिए 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया। पाठ्यक्रम, परीक्षा, शिक्षण, कालेजों की शिक्षा, विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन इत्यादि विषयों पर विचार करते हुए आयोग ने सुझाव उपस्थित किए। इस आयोग में भी कोई भारतीय न था। इसपर भारतीयों में क्षोभ बढ़ा। उन्होंने विरोध किया। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय कानून बना। पुरातत्व विभाग की स्थापना से प्राचीन भारत के इतिहास की सामग्रियों का संरक्षण होने लगा। 1905 के स्वदेशी आंदोलन के समय कलकत्ते में जातीय शिक्षा परिषद् की स्थापना हुई और नैशनल कालेज स्थापित हुआ जिसके प्रथम प्राचार्य अरविंद घोष थे। बंगाल टेकनिकल इन्स्टिट्यूट की स्थापना भी हुई।

1911 में गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को नि:शुल्क और अनिवार्य करने का प्रयास किया। अंग्रेज सरकार और उसके समर्थकों के विरोध के कारण वे सफल न हो सके। 1913 में भारत सरकार ने शिक्षा नीति में अनेक परिवर्तनों की कल्पना की। परंतु प्रथम विश्व युद्ध के कारण कुछ हो न पाया। प्रथम महायुद्ध के समाप्त होने पर कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त हुआ। आयोग ने शिक्षकों का प्रशिक्षण, इंटरमीडिएट कालेजों की स्थापना, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्डों का संगठन, शिक्षा का माध्यम, ढाका में विश्वविद्यालय की स्थापना, कलकत्ते में कालेजों की व्यवस्था, वैतनिक उपकुलपति, परीक्षा, मुस्लिम शिक्षा, स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा आदि विषयों पर सिफारिशें की। बंबई, बंगाल, बिहार, असम आदि प्रांतों में प्राथमिक शिक्षा कानून बनाये जाने लगे। माध्यमिक क्षेत्र में भी उन्नति होती गई। छात्रों की संख्या बढ़ी। माध्यमिक पाठ्य में वाणिज्य और व्यवसाय रखे दिए गए। स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट परीक्षा चली। अंग्रेजी का महत्व बढ़ता गया। अधिक संख्या में शिक्षकों का प्रशिक्षण होने लगा।

1921 से नए शासन-सुधार कानून के अनुसार सभी प्रांतों में शिक्षा भारतीय मंत्रियों के अधिकार में आ गई। परंतु सरकारी सहयोग के अभाव के कारण उपयोगी योजनाओं का कार्यान्वित करना संभव न हुआ। प्राय: सभी प्रांतों में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करने की कोशिश व्यर्थ हुई। माध्यमिक शिक्षा में विस्तार होता गया परंतु उचित संगठन के अभाव से उसकी समस्याएँ हल न हो पाई।

1937 में शिक्षा की एक योजना तैयार की गई जो 1938 में बुनियादी शिक्षा के नाम से प्रसिद्ध हुई। सात से 11 वर्ष के बालक-बालिकाओं की शिक्षा अनिवार्य हो। शिक्षा मातृभाषा में हो। चरखा,

करघा, कृषि, लकड़ी का काम शिक्षा का केंद्र हो जिसकी बुनियाद पर साहित्य, भूगोल, इतिहास, गणित की पढ़ाई हो। 1945 में इसमें परिवर्तन किए गए और परिवर्तित योजना का नाम रखा गया 'नई तालीम'। इसके चार भाग थे - (1) पूर्व बुनियादी, (2) बुनियादी, (3) उच्च बुनियादी और (4) वयस्क शिक्षा। हिंदुस्तानी तालीमी संघ (भारतीय शैक्षिक संघ) पर इसका संचालनभार छोड़ दिया गया।

1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते होते सार्जेंट योजना का निर्माण हुआ। छह से 14 वर्ष की अवस्था के बालकों तथा बालिकाओं के लिए अनिवार्य शिक्षा हो। जूनियर बेसिक स्कूल, सीनियर बेसिक स्कूल, साहित्यिक हाई स्कूल और व्यावसायिक हाई स्कूल की पढ़ाई 11 वर्ष की अवस्था से 17 वर्ष की अवस्था तक हो। इसके बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश हो। डिग्री पाठ्यक्रम तीन वर्ष का हो। इंटरमीडिएट कक्षा समाप्त कर दी जाए। पाँच से कम अवस्था वालों के लिए नर्सरी स्कूल हो और उनका माध्यम मातृभाषा हो।

1.1.4 प्राथमिक शिक्षा की समस्याएँ

प्राथमिक शिक्षा ही किसी व्यक्ति के जीवन की वह नींव होती है, जिस पर उसके संपूर्ण जीवन का भविष्य तय होता है। **जीन पियाजे** ने शिक्षा के उद्देश्य के बारे में अपने विचार रखते हुए लिखा था, "शिक्षा का सबसे प्रमुख कार्य ऐसे मनुष्य का सृजन करना है जो नए कार्य करने में सक्षम हो, न कि अन्य पीढ़ियों के कामों की आवृत्ति करना। शिक्षा से सृजन, खोज और आविष्कार करने वाले व्यक्ति का निर्माण होना चाहिए।"

विश्व बैंक ने 1986 की शिक्षा नीति को आधार बनाकर निशाना साधा और अलग-अलग हैसियत के मान से बच्चों को अलग-अलग स्तर की शिक्षा दिए जाने की वकालत की। नई-नई योजनाओं के नाम पर शनै:-शनै:समानांतर संरचनाओं की रचना की जाती रही यानि हाथ खींचने की नई तकनीकें। अत: इन सब थपेड़ों में उलझी शिक्षा, वर्तमान में अपने मूल स्वरूप से कहीं और है।

दुख इस बात का है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009, 1अप्रैल,2010 से प्रभावी तौर पर लागू है और इसअधिनियम को लागू हुए चार साल हो गए, लेकिन शिक्षा को लेकर जो हमारा सपना था, वो कहीं भी रूप लेता नहीं दिख रहा। हम वहीं खड़े हैं, जहां से चले थे, अगर कुछ बदला है तो वह केवल समय और यही समय आज सवाल पूछ रहा है कि आखिर शिक्षा की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है?

कुछ अपवादों को छोड़ दें, तो देश के ज्यादातर प्राथमिक स्कूलों के बुरे हाल हैं। इन स्कूलों की मुख्य समस्या विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षकों का न होना है। अगर शिक्षक हैं भी, तो वे काबिल नहीं। शिक्षकों की तो बात ही छोड़ दीजिए, ज्यादातर स्कूलों में बुनियादी सुविधाएँ भी न के बराबर हैं। कहीं स्कूल का भवन नहीं है। भवन हैं तो अन्य कई बुनियादी सुविधाएँ नहीं हैं। यह सब हैं, तो शिक्षक नहीं हैं। शिक्षा अधिकार अधिनियम के मुताबिक स्कूलों में ढाँचागत सुविधाएँ मुहैया कराने के लिए 2012 तक का वक्त तय किया गया था। गुणवत्ता संबंधी शर्तें पूरी करने के लिए 2015 की समय-सीमा रखी गई। मगर कानून के मुताबिक न तो स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति हुई है और न ही बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। इससे समझा जा सकता है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम को हमारी सरकारों ने कितनी गंभीरता से लिया है।

असर 2014 (एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट) के अनुसार भारत में निजी स्कूल जाने वाले बच्चों का प्रतिशत 51.7 फीसदी हो गया है, 2010 में यह दर 39.3 फीसदी थी। रिपोर्ट के अनुसार जहां वर्ष 2009 में कक्षा3 के 5.3% बच्चे कुछ भी पाठ नहीं पढ़ सकते थे, वहीँ 2014 में यह अनुपात और बढ़ कर 14.9 प्रतिशत हो गया है। इसी तरह से 2009 में कक्षा 5 के 1.8% बच्चे कुछ भी पाठ नहीं पढ़ सकते थे, 2014 में यह अनुपात और बढ़ कर 5.7 प्रतिशत हो गया है। गणित को लेकर भी हालत बदतर हुई है, रिपोर्ट के अनुसार 2009 में कक्षा 8 के 68.7% बच्चे भाग कर सकते थे, लेकिन 2014 में यह स्तर कम होकर 44.1 प्रतिशत हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कक्षा आठवीं के 25 फीसदी बच्चे दूसरी कक्षा का पाठ भी नहीं पढ़ सकते हैं।

आंकड़े बताते हैं कि देश के 31 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की बेबसाइट पर पड़े आकड़ों पर नजर डालें तो अभी तक केवल 69 फीसदी विद्यालयों में ही शौचालय की व्यवस्था है। ग्रामीण वातावरण को देखते हुए इस समस्या के कारण अभिभावक लड़कियों को स्कूल जाने से रोक देते हैं, जिससे लड़कियों की पढ़ाई बीच में ही रुक जाती है और वे शिक्षा से वंचित हो जाती हैं।

यह स्थिति तब भी बनी हुई है जबकि आज देश में शिक्षा का अधिकार कानून लागू हो चुका है और आम जनता में शिक्षा के महत्व को लेकर जागरूकता बढ़ती जा रही है, आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग अपने बच्चों को ऊंची से ऊंची शिक्षा दिलाने की ख़्वाहिश रखने लगे हैं। नए भारत की यह तस्वीर

है कि ग्रामीण लड़कियाँ अब सिर्फ घर के कामों में हाथ नहीं बंटा रहीं, बल्कि वे साइकिल पर बैठ कर स्कूल की तरफ जा रही है. लेकिन हमारे सामने बड़ा सवाल यह है कि हम देश में जैसी शिक्षा दे रहे हैं, क्या वह गुणवत्तापूर्ण है? यह प्रश्न शिक्षा व्यवस्था के प्रति प्राप्त उन तमाम नकारात्मक आंकड़ों के आलोक में उठना वांछित है।

शिक्षक महज रोचक तरीके से शिक्षण करे, अपितु शाला भवन, पुस्तकालय और खेल का मैदान, शिक्षकों का प्रशिक्षण, बैठने के लिये पर्याप्त जगह, शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, पर्याप्त शौचालय (बालक-बालिका के लिए पृथक-पृथक) आदि व कुछ और बातें यथा शिक्षकों का व्यवहार व सामाजिक समरसता में कमी आदि ऐसी बाते हैं जो कि गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण में कमी के प्रमुख कारक हैं।

1.1.5 प्राथमिक शिक्षा के संबंध में विभिन्न शिक्षा आयोगों के सुझाव

1.1.5.1 कोठारी आयोग

कोठारी आयोग (1964-66) या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, भारत का ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपार्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए।

सभी बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं में मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए। माध्यमिक स्तर (सेकेण्डरी लेवेल) पर स्थानीय भाषाओं में शिक्षण को प्रोत्साहन दिया जाए।

- 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाए।
- 6 वर्ष पूरे होने पर ही पहली कक्षा में नामांकन किया जाए।
- पहली सार्वजनिक परीक्षा 10 वर्ष विद्यालय शिक्षा पूरी करने के बाद ही हो।
- जिला स्तर पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा विकास केंद्र की स्थापना हो।
- पूर्व प्राथमिक शिक्षा का भार निजी क्षेत्र को दिया जाए।
- पाठ्यक्रम प्रवृत्ति के उन्मुख बनाया जाए।
- महिला अध्यापकों की नियुक्ति में प्राथमिकता मिले।
- ऐसे पाठ्यक्रम सम्मिलित किए जाए जो बाल मनोविज्ञान के अनुरूप हो ताकि आगे की पढ़ाई को इससे लाभ मिलेगा।
- प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाया जाए। इस संदर्भ में अपव्यय एवं बाधाओं को दूर किया जाए।

- अधिकाधिक पाठशालाएं खोली जायें।
- कमजोर, पिछड़े तथा मजदूर वर्ग के बच्चों को अधिकतम लाभ मिल सके।
- कक्षा दस तक का पाठ्यक्रम सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो कक्षा 1 से 4 तक मातृभाषा, कक्षा 5 से 7 तक दो भाषाओं तथा कक्षा 8 से 10 तक तीन भाषाओं का ज्ञान अनिवार्य बनाया जाए।
- कार्यानुभव व समाजसेवा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए और नैतिक शिक्षा को भी अपनाया जाए।
- शैक्षिक प्रशासन एवं गुणवत्ता को प्रोत्साहित करने के लिए निरीक्षण प्रणाली को प्रभावशाली बनाने का सुझाव दिया गया।

1.1.5.2 दुर्गाबाई देशमुख समिति

जुलाई, 1957 में योजना आयोग के शैक्षिक दल ने लड़कियों की प्राथमिक, माध्यमिक तथा प्रौढ़-शिक्षा की प्रगति व स्थिति को जानने के लिए एक समिति बनाने का सुझाव दिया था। सितंबर, 1957 में संपन्न राज्य के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन ने इस सुझाव का अनुमोदन कर दिया। इस प्रकार इसके अनुपालनार्थ भारत सरकार ने 'श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख' की अध्यक्षता में स्त्री-शिक्षा के संदर्भ में विचार हेतु एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया। इसे ही"दुर्गाबाई देशमुख समिति" का नाम दिया गया। इस समिति ने स्त्री-शिक्षा के संदर्भ में व्यापक विचार-विमर्श किया और उसके बाद स्त्री-शिक्षा के संदर्भ में अपने महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में इस समिति के महत्वपूर्ण सुझाव निम्न थे—

- जिस शैक्षिक संस्था में से अधिक लड़कियाँ नामांकित करायें उसे प्रोत्साहित किया जाए।
- ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के निर्धन अभिभावकों को स्त्री शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
- मिडिल स्तर तक सभी लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा तथा यथासंभव निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाए।
- प्राथमिक स्तर पर दोनों अर्थात् लड़के-लड़कियों का पाठ्यक्रम समान हो, पर लड़कियों की रुचि को बढ़ाने के लिए और व्यावहारिक बनाने के लिए संगीत, चित्रकला, सिलाई, कढ़ाई, पाककला आदि पर भी ध्यान दिया जाए।

- महिला अध्यापकों को प्रशिक्षण की विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
- शहरी महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापन हेतु प्रोत्साहन आर्ट, आवास की सुविधा प्रदान की जाए तथा ग्रामीण भत्ते की व्यवस्था अलग से की जाए।

1.1.5.3 हंसा मेहता समिति (1964)

- 10 मई, 1961 में अपनी बैठक में राष्ट्रीय स्त्री-शिक्षा परिषद् ने यह निश्चित किया कि शिक्षा के सभी स्तरों पर महिलाओं की पाठ्यक्रम की समस्या पर विचार-विमर्श हेतु एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। इसके बाद 1 नवंबर, 1961 को श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया गया। इसे ही हंसा मेहता समिति के नाम से जाना जाता है। इस समिति ने शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर प्रचलित पाठ्यक्रमों की समीक्षा की और सम्यक विचार-विमर्श के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि
- लड़के-लड़कियों में विभेद करना अनुचित है। हमारा संविधान भी इसकी इजाज़त नहीं देता। इसलिए यह आवश्यक है कि परंपरागत सांस्कृतिक दृष्टिकोण एवं जन-मनोविज्ञान में परिवर्तन का प्रयास करना चाहिए।
- आवश्यकता इस बात की है कि हमें लड़के-लड़कियों के बीच जो जैविक अंतर है, उस वैज्ञानिक ज्ञान को सामने लायें। हमें एक-दूसरे के प्रति सही दृष्टिकोण को विकसित करने का प्रयास करना होगा।
- प्राथमिक स्तर पर सह शिक्षा को सामान्य रूप में अपनाना चाहिए।
- माध्यमिक तथा कॉलेज स्तर पर प्रबंधकों एवं अभिभावकों की इच्छा पर इस बात को छोड़ दिया जाना चाहिए।
- प्राथमिक तथा मिडिल स्कूल के पाठ्यक्रम दोनों के लिए समान हो।
- माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के लिए ललित कलाओं, गृह-विज्ञान, संगीत आदि की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए।
- मिडिल तथा माध्यमिक स्तर पर यौन-शिक्षा को भी दिया जाना चाहिए।
- ऐसे पाठ्यक्रमों का विकास हो जिससे लड़के-लड़कियों के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास हो।
- महिला अध्यापकों की नियुक्ति हेतु प्रयास करना चाहिए।

- महिला त्योहारों, उनके खेलों, महान नारियों के वृत्तांतों आदि को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।

1.1.5.4 10+2+3 राष्ट्रीय शिक्षा समिति

पूर्व में विभिन्न शिक्षा आयोगों पर प्रकाश डालते हुए कोठारी शिक्षा आयोग पर चर्चा की गई है। इस आयोग ने 10+2+3 की शैक्षिक व्यवस्था की संरचना की संस्तुतिको प्रस्तुत किया। इसका व्यावहारिक रूप देने के उपायों पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन श्री पी. डी. शुक्ला की अध्यक्षता में किया गया। इसे ही 10+2+3 राष्ट्रीय शिक्षा समिति कहा जाता है। इस समिति ने इसको लागू करने की संस्तुति करने के साथ इस पर होने वाले व्ययों पर भी विचार किया। सम्यक् विचार-विमर्श के पश्चात् इस संबंध में उसने अपनी महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ प्रस्तुत कीं। इसने पाठ्यक्रम को उच्चीकृत करने, राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने की दृष्टि से निर्धारित करने तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर तक के मानकों के रूप में विकसित कर शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया। प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में समिति का सुझाव था कि —

- कक्षा 1 से 8 तक का पाठ्यक्रम आवश्यक संशोधनों के साथ लागू किया जाए, जिसे कि **'राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ' (NCERT)** में विकसित किया हो।
- कार्य अनुभव और नैतिक व शारीरिक शिक्षा को अनिवार्यतः स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।
- अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था हो।

साथ ही समिति ने माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालयी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में भी बहुमूल्य सुझाव दिए।

1.1.5.5 ईश्वरभाई पटेल समिति (1977)

इस समिति का गठन केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा किया गया था। इस समिति के गठन का उद्देश्य राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के द्वारा जो पाठ्यपुस्तकें एवं पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, उसकी समीक्षा करना था। इस समिति का नाम ही था- **'दसवर्षीय स्कूल पाठ्यक्रम पुनरीक्षण समिति'** इस समिति को (NCERT) के पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकों को वस्तुनिष्ठ दृष्टि से आंकलन करना था। इस

समिति के अध्यक्ष श्री ईश्वरभाई जी पटेल थे। इनके नाम पर ही इस समिति को **'ईश्वरभाई पटेल समिति'** के नाम से जाना जाता है।

समिति ने अपनी सीमाओं के अनुरूप प्राथमिक शिक्षा कक्षा (1-7/8) तथा माध्यमिक शिक्षा (8/9 से 10 तक) के पाठ्यक्रम व पुस्तकों पर व्यापक विचार-विमर्श किया और तदनुरूप अपने प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया। समिति ने शिक्षा के उद्देश्यों को सामने रखते हुए सर्वप्रथम प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया।

प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए समिति ने कहा कि-

- औपचारिक अधिगम के साधन जैसे साक्षरता, अंकज्ञान व शारीरिक कौशल अर्जित करना, सामाजिक एवं प्राकृतिक विज्ञानों के ज्ञान के लिए अवलोकन, अध्ययन तथा प्रयोगों का सहारा लेना।
- खेलकूद के माध्यम से शारीरिक स्वच्छता तथा समूह-भावना का विकास करना। समाजोपयोगी उत्पादक कार्य के नियोजन व क्रियान्वयन के ज्ञान को अर्जित करना।
- परिवार, विद्यालय व समुदाय के प्रति सहयोगात्मक व्यवहार की आदत विकसित करना।
- कलात्मक गतिविधियों व प्राकृतिक साहचर्य का विकास करना।
- अन्य धर्मों, क्षेत्रों तथा देशों के व्यक्तियों की संस्कृति तथा जीवन-शैली के विषय में रचनात्मक जानकारी प्राप्त करना।कमजोर, पिछड़े तथा दलित समुदाय के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास करना।
- सामुदायिक जीवन का भाग बनकर उत्पादन तथा अन्य रचनात्मक क्रियाओं का कार्य अनुभव प्राप्त करना।
- समुदाय की सेवा करने की आदत का विकास करना।

1.1.5.6 हंटर आयोग

लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी सन 1882 को भारतीय शिक्षा व्यवस्था में वांछित परिवर्तन हेतु रफीकुल नीति निर्धारण हेतु भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की इसके अध्यक्ष सर विलियम हंटर थे जिसे हम लोग के नाम से भी जानते हैं।

आयु की प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में विशेष दृष्टि थी। इस आयोग ने जनसाधारण को शिक्षा से जोड़ते हुए कहा कि प्रारंभिक शिक्षा के एवं सुधार के लिए शिक्षा व्यवस्था की अनिवार्य नीति बनाई जानी चाहिए। इस हेतु शिक्षा के लिए निर्धारित कोष्टक सुनिश्चित किया जाए। आयोग का स्पष्ट कहना था कि इसके जन शिक्षा विभाग के प्रयासों का परिणाम जन शिक्षा को अधिक विस्तृत एवं प्रचलित बनाना, शिक्षा में व्यक्तिगत उपयोग को प्रोत्साहित करना, निजी स्कूलों को मान्यता देना तथा उच्च शिक्षा कक्षाओं के शिक्षण के साथ जनसंख्या के प्रति अधिक गति से कार्य करना होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा का दायित्व स्थानीय निकायों के ऊपर डाल दिया गया और इसके लिए उनके पास आवश्यक व्यवस्था नहीं की गई, जिससे प्राथमिक शिक्षा के प्रति राज्य उदासीनता पर भी आयोग ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य भी नहीं बनाया फलत: शिक्षा के व्यापक विस्तार में बाधा आई।

1.1.5.7 आचार्य राममूर्ति समिति (1989)

सन् 1989 में श्री वी.पी. सिंह के नेतृत्व में गैर-कांग्रेसी राष्ट्रीय मोर्चा सरकार अस्तित्व में आई। नई शिक्षा नीति-1986 को लेकर आलोचनाएं मुखरित होने लगी। फलतः नई सरकार ने आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में इस नई शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया। इस समिति को तीन कार्य सौंपे गए-

- चालू नई नीति की समीक्षा
- अपेक्षित संसाधनों की संस्तुति
- प्रस्तावित संशोधनों के कार्यान्वियन हेतु समयबद्ध आवश्यक रूपरेखा सुनिश्चित करना।

इस समिति का मुख्य जोर शिक्षा के माध्यम से एक प्रबुद्ध एवं मानवीय समाज की स्थापना करना था। वस्तुतः इस आख्या में मूल्यपरक शिक्षा की उपलब्धता पर जोर दिया गया था। समानता, स्वतंत्रता बन्धुत्व व सामाजिक न्याय की प्राप्ति में शिक्षा की भूमिका को अहम् माना गया। प्रजातांत्रिक मूल्यों के पोषण के लिए शैक्षिक प्रबंधन के प्रत्येक स्तर पर विकेंद्रीकरण तथा सहभागी तथा समावेशी शिक्षा के विकास के लिए भी बल दिया गया था। समिति का मानना था कि **' एकरूप स्कूल प्रणाली'** (common school system) का विकास राष्ट्र हित में है।

समिति ने नारीशिक्षा, अनुसूचित जाति, जनजाति व शैक्षिक दृष्टि से अन्य पिछड़े वर्ग की शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा, नवोदय विद्यालय, शिशु देखभाल तथा शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा का

सार्वभौमीकरण, प्रौढ़ तथा अनुवर्ती शिक्षा, शिक्षा तथा काम का अधिकार, उच्च शिक्षा, तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा, शिक्षा में भाषाओं का स्थान, शिक्षक एवं छात्र विकेंद्रीकरण और सहभागी प्रबंध, शिक्षा के लिए संशोधन आदि विषयों पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए। प्राथमिक शिक्षा के संबंध में समिति के महत्वपूर्ण सुझाव निम्न थे—

- प्राथमिक शिक्षा की उन्नति के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाए।
- प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा का माध्यम रहे।
- दस वर्ष के अंतर्गत चरणबद्ध रूप में एकरूप स्कूल प्रणाली का विकास कर लिया जाए।
- ऐसे कानून एवं नियमों का निर्माण, जिससे प्राथमिक स्तर पर प्रवेश के लिए परीक्षा, शिक्षण शुल्क, कैपीटेशन शुल्क आदि पर प्रतिबंध हो सके।
- महँगे निजी स्कूलों को एकरूप स्कूल प्रणाली के अंतर्गत लाने का प्रयास किया जाए।
- प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण तथा गुणवत्ता पर बल देने के साथ स्कूल व समुदाय के बीच स्वस्थ संबंधों का विकास इस हेतु विकेंद्रीकरण तथा सहभागिता की नीति अपनाई जाए।
- बाल केंद्रित उपागम की असंगतियों का निवारण करना।
- नामांकन में सतत् सुधार व वृद्धि पर ध्यान देते हुए प्रतिधारण पर बल देना।
- एक निश्चित समयावधि में औपचारिक स्कूल शिक्षा को अनौपचारिक बनाने पर जोर दिया जाए। इस संबंध में स्कूल का समय व दिन आवश्यकतानुसार परिवर्तित किया जा सकता हो।
- ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को प्राथमिक शिक्षा की एक अनिवार्य योजना बनाया जाए।
- प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की प्रगति को जानने के लिए प्रवेश आंकड़ों व स्कूल में बने रहने के साथ-साथ उपस्थिति व अधिगम उपलब्धि आदि के आंकड़े उपलब्ध कराना।

1.1.5.8 यशपाल समिति

भारत सरकार द्वारा सन् **1992 में प्रोफेसर यशपाल कपूर** के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष **प्रोफ़ेसर यशपाल कपूर** को बनाया गया था। इसलिए इस समिति का नाम **यसपाल समिति** अथवा **प्रोफेसर यशपाल समिति** कहा जाता है। यशपाल समिति के गठन का उद्देश्य तथा विद्यालयी बच्चों पर से शैक्षिक बोझ को कम करने के उपाय भारत सरकार को सुझाना।

पाठ्यचर्या बोध का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के पश्चात यशपाल समिति ने यह निष्कर्ष निकाला कि , विद्यालय बच्चों को पर बौद्ध की समस्या मात्र इसलिए उत्पन्न नहीं हो की विद्यालय की पाठ्यचर्या परिपूर्ण)design) त्रुटिपूर्ण है या अध्याय कम सक्षम है या विद्यालय प्रशासन कमजोर है या पाठ्यपुस्तक की उपयुक्त नहीं है ,अपितु बोझ की समस्या इसलिए भी है कि हम वास्तविक योग्यता और सक्षमता के विकास की तुलना में बच्चों की अहर्ताओं को अधिक महत्व देते हैं। इसलिए इसका संबंध ज्ञान विस्फोट)knowledge explosive) तथा पकड़ लेना संरक्षण से है।

हम आसान शब्दों में कह सकते हैं कि प्रोफेसर यशपाल समिति के द्वारा यह बताया गया कि हम बच्चों की वास्तविक विजेताओं की तुलना में डिग्रियों को अधिक महत्व देते हैं।

प्रोफेसर यशपाल समिति का यह विचार रहा कि पाठ्यचर्या निर्माण तथा पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने का इस प्रकार विकेंद्रीकरण कर दिया जाए ताकि इस प्रक्रिया में अधिक अध्यापक,एजुकेटर तथा विशेषज्ञ अधिक स्वायत्ता के साथ सम्मिलित हो सके। वैज्ञानिकों और विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में परामर्शदाता के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए ना की पुस्तक लेखक के रूप में।

प्रोफ़ेसर यशपाल समिति ने प्रतिस्पर्धा तथा व्यक्तिगत उपलब्धियों को पुरस्कृत करने को हतोत्साहित किया। क्योंकि इनके कारण बच्चे हर्षित या आनंद पूर्ण अधिगम से वंचित रह जाते हैं। इसके विपरीत प्रोफेसर यशपाल समिति ने सहयोग सामूहिक के लिए क्लब तथा सामूहिक उपलब्धियों को प्रोत्साहित करने की सिफारिश की क्योंकि इनसे विद्यालयों में सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा मिलता है। पूर्व बाल्यावस्था शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए कोई परीक्षा अथवा साक्षात्कार नहीं होना चाहिए।

समिति ने सम्वेद विचार-विमर्श के पश्चात 15 जुलाई सन 1993 को अपना प्रतिवेदन **शिक्षा बिना बोझ के (Learning Widhout Burden)** प्रस्तुत किया, प्रतिवेदन को पांच खंडों में बांटा गया-

1. प्रस्तावना।

2. शिक्षा क्रम के भार की समस्या।

3. समस्या का मूल।

4. संस्तुतियाँ।

5. परिशिष्ट।

प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में इस समिति की महत्वपूर्ण सुझाव निम्न थे-

- स्कूलों में सहयोगात्मक शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा सामूहिक गतिविधियों एवं उपलब्धियों को प्रोत्साहित किया जाए
- चिकन में धारा तथा पुस्तकों के निर्माण में विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई जाए जिसे अधिकारिक शिक्षकों का सहयोग प्राप्त हो
- ऐसी स्वैच्छिक संगठन जो जो औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा के नवाचारओं के प्रति समर्पित हैं इस संदर्भ में उनसे सहयोग लिया जाए
- ग्राम व स्कूल स्तर पर शिक्षा समितियों का गठन इस दृष्टि से किया जाए कि वे अपने क्षेत्र के स्कूलों के नियोजन तथा परीक्षण का कार्य सफलतापूर्वक करें
- स्कूल प्रधानाचार्य को एक निश्चित धनराशि शैक्षिक उपकरणों की खरीद मरम्मत तथा बदलने के लिए निश्चित हो नर्सरी स्कूल खोलने तथा उनके संचालन के लिए यथोचित कानून तथा प्रशासनिक उपायों का निर्धारण हूं इनकी मान्यता इनकी मान्यता की मापदंड निश्चित किए जाएं एवं प्रवेश हेतु परीक्षा तथा साक्षात्कार को अपनाना प्रतिबंधित किया जाए प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने के नियम कड़े बनाए जाएं पाठ्य पुस्तकों को स्कूल की संपत्ति समझी जाए तथा बच्चों को इन्हें खरीदने तथा प्रतिदिन घर ले जाने पर प्रतिबंध लगाया जाए साथ ही गृह कार्य स्कूल में पाठ्य पुस्तकों व कोशिकाओं के प्रयोग के लिए प्रथक समय सारणी बनाई जाए प्राथमिक शिक्षा में गृह कार्य ना दिए जाएं शिक्षक छात्रों हेतु वर्तमान निर्धारित अनुपात 140 लागू किया जाए प्राथमिक कक्षाओं के लिए यह अनुपात 130 होना चाहिए बाल केंद्रित सामाजिक वातावरण की विकास के लिए इलेक्ट्रॉनिक संचार साधनों का अधिकाधिक प्रयोग को छात्रों अध्यापकों अभिभावकों के लिए नियमित दूरदर्शन कार्यक्रमों को चलाया जाए शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता के विकास के लिए सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा गतिविधियों का संचालन किया जाए एक राज्य में एक परियोजना दल का गठन किया जाए स्कूल कक्षाओं के प्रत्येक स्तर की पाठ्य पुस्तकों व पाठकों की समीक्षा करने के साथ ही

अपेक्षित न्यूनतम विषय तथा कार्य दिवस का निर्धारण करें देश के कई भागों में प्राथमिक कक्षाओं की गणित और पाठ्यक्रमों की समीक्षा की जाए जिससे आधारित गणितीय संकल्पना ओं को सरलता से बच्चों के मस्तिष्क में बैठाया जाए भाषा की पुस्तकों में स्थानीय बोलचाल के मुहावरों का अपनाया जाए इसमें बच्चों की अनुभवों तथा सामान्य जनजीवन की समझ को भी सम्मिलित किया जाए साथ ही पाठ को सरल सुबोध था स्वाभाविक बनाया जाए प्राथमिक कक्षा के विज्ञान पाठ्यक्रम में परियों पर अधिक बल दिया जाए

1.1.5.9 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968

केंद्र सरकार ने 1968 में शिक्षा के संदर्भ में नीति की घोषणा की इसमें 17 आधारभूत प्रकरणों के संबंध में नीति निर्धारण का खुलासा किया है यह हैं-

1. नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा
2. अध्यापकों का स्तर
3. वेतन तथा प्रशिक्षण
4. भाषाओं का विकास
5. शिक्षा के अवसरों का सामान्यीकरण
6. प्रतिभा की खोज
7. कार्यानुभव तथा राष्ट्रीय सेवा
8. विज्ञान-शिक्षा तथा अनुसंधान
9. कृषि तथा उद्योगों के लिए शिक्षा
10. पुस्तकों का उत्पादन
11. परीक्षाएं
12. माध्यमिक शिक्षा
13. विश्वविद्यालयी शिक्षा
14. अंशकालीन शिक्षा
15. प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार
16. खेल-कूद

17.अल्पसंख्यकों की शिक्षा तथा शैक्षिक ढांचा।

इस प्रकार इस शिक्षा नीति के द्वारा भारतीय शिक्षा व्यवस्था को राष्ट्रीय आकांक्षाओं के अंदर डालने का प्रयास किया गया था।

इस नीति में सर्वप्रथम इसी बात पर जोर दिया गया था कि 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाना चाहिए, साथ ही ऐसे उपाय अपनाए जाएँ, जिससे प्रवेश लेने वाला प्रत्येक बालक अपने पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करें।
शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कड़ी अध्यापक के चारित्रिक गुणों, शिक्षक योग्यता तथा व्यावसायिक अदाओं पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई थी। अध्यापक के वेतन भत्ते व सेवा- शर्तें पर्याप्त व संतोष जनक होनी चाहिए।

इस नीति ने प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण पर विशेष बल दिया प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण तथा शैक्षिक गुणवत्ता में वांछित सुधार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए-

- क्रियान्वयन व्यूह रचना का मुख्य केंद्र
- चित्र तथा जनसंख्या विशेष नियोजन होगा विद्या उन्नति हेतु राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों को अपनाना
- नियोजन तथा क्रियान्वयन के सभी स्थानों पर अध्यापकों की सहभागिता सुनिश्चित करना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत विद्यालयों में 524 खेल सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना शिक्षा के कार्यक्रमों को संचालित करना उपयुक्त मूल्यांकन प्रणाली का विकास करना।
- **संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986** में यह कहा गया था कि प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत इस नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा आवश्यक होगी इसी क्रम में सन 1992 में इसके क्रियान्वयन की समीक्षा रिपोर्ट संशोधित नीति प्रारूप के नाम से की गई। संसद के दोनों सदनों में इस पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ और तब इस संबंध में कार्यक्रम क्रियान्वयन की रूपरेखा निश्चित हुई उसे **क्रियान्वयन कार्यक्रम 1992** कहा गया इस कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना को तेज खन्ना में बांधकर शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को चरितार्थ करने का प्रयत्न था इस योजना में साक्षरता अभियान सतत शिक्षा के व्यापक कार्यक्रम संचालन ऑपरेशन महिलाओं को अध्यापक के रूप में नियुक्ति अनौपचारिक शिक्षा समावेशी शिक्षा कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जोड़ दिया गया था

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किए गए संशोधन के अनुरूप कार्यक्रम क्रियान्वयन के रूप में सुनिश्चित की गई थी।

1.1.6 आधुनिक समय में प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप

वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक स्कूलों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने की बजाए इस बात पर अधिक बल दिया जा रहा है कि विद्यार्थी अपनी शिक्षा जारी रखें और कुछ सीखें। सबको प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के कार्यक्रम के तीसरे पहलू के रूप में न्यूनतम अधिगम स्तर पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिसके तहत इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि कार्यक्रम के शैक्षिक स्तर में सुधार कर एक पैकेज निर्धारित किया गया है, जिसके अन्तर्गत देश में विभिन्न शैक्षिक स्तर के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का एक निश्चित लक्ष्य तय कर दिया गया है।

1.1.6.1 प्राथमिक शिक्षा से संबंधित योजनाएँ

केंद्र और राज्य सरकारों ने विद्यालय पढ़ाई को पूर्ण किए बिना विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी लाने एवं विद्यालयों में उपलब्धि के स्तर में सुधार लाने के लिए नीतियाँ बनाई गई।

1.1.6.1.1 शिक्षा-मित्र

शिक्षा मित्र परियोजना का उद्देश्य उत्तर-प्रदेश राज्य के दूर-दराज के और सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से पिछड़े गाँवों में प्राथमिक शिक्षा सर्वसुलभ कराना और इसमें गुणात्मक सुधार लाना है। परियोजना में लड़कियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। परियोजना द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने में सबसे बड़ी अड़चनें शिक्षकों की अनुपस्थिति पाया गया है। इस परियोजना में उत्तर-प्रदेश के 150 पंचायत समितियों में 3,692 गाँवों का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना में दिवस स्कूलों और प्रहर पाठशालाओं में 2.17 लाख बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। इस परियोजना के अनुभव से पता चलता है कि कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले शिक्षा मित्रों की प्रेरणा को लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है, जिसके लिए उन्हें समय-समय पर कारगर प्रशिक्षण देना होगा, उनकी संवेदनशील ढंग से देखभाल हो, उन्हें समाज का सहारा मिले, नियमित रूप से भागीदारी की समीक्षा हो तथा उनकी समस्या का समाधान हेतु उचित दृष्टिकोण अपनाया जाए। शिक्षा मित्र परियोजना की सफलता ने इसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मान्यता दिखाई है।

वर्ष 2003-2004 के दौरान शिक्षा मित्र परियोजना के लिए डी.एफ.आई.डी. के प्रत्याशित हिस्से के वास्ते केंद्रीय योजना बजट में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। वर्तमान समय में संपूर्ण उत्तर प्रदेश के ग्रामीण आंचल में स्थित प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्र कार्य कर रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा उक्त कार्य के लिए शिक्षा मित्रों को प्रति माह लगभग 2000-2500 रुपए प्रदत्त कर रहें हैं। उक्त कार्यक्रम के माध्यम से, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित इंटर से बी. ए. तक शिक्षा ग्रहण छात्रों के अंकों के आधार पर ग्राम प्रधान, प्रधानाचार्य एवं सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं उप जिला अधिकारी निमत्त कमेटी के माध्यम द्वारा इनका चुनाव किया जाता है।

1.1.6.1.2ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड

वर्ष 1987-88 में शुरू किए गए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों में सुधार लाना है। इस योजना में प्रत्येक मौजूदा प्राथमिक विद्यालय के लिए कम से कम 2 बड़े कारों, कम से कम 2 शिक्षकों और आवश्यक पठन-पाठन सामग्री की व्यवस्था करने का प्रावधान है।

1993-94 के दौरान इस योजना में उच्च प्राथमिक विद्यालय भी सम्मिलित किए गए। इसमें प्राथमिक विद्यालय के लिए 3 कमरों, उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 1 अतिरिक्त शिक्षक तथा 100 से अधिक विद्यार्थियों वाले विद्यालयों में तीसरा शिक्षक उपलब्ध कराने का प्रावधान है। यह योजना राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाती है।

वर्ष 1987-88 से वर्ष 2001-02 के दौरान 5,22,902 प्राथमिक और 1,38,009 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षण अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई। एक शिक्षक वाले प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त अध्यापक सुनिश्चित करने के लिए 1,49,146 शिक्षकों के अतिरिक्त पद स्वीकृत किए गए। इसके अलावा100 से ज्यादा विद्यार्थियों वाले विद्यालयों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए क्रमशः तीसरे अध्यापकों के 83,045 पदों तथा अतिरिक्त शिक्षकों के 77,610 पदों को मंजूरी दी गई। इस योजना के अंतर्गत 1.85 लाख अतिरिक्त विद्यालय भवन बनाए गए।

1.1.6.1.3 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम क्वेश्चन 1994 में प्रारंभ किया गया इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में नए प्रार्थना और सर्व सुलभ प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करना है इस कार्यक्रम में

सर्व सुलभ शिक्षा बच्चों की शिक्षा निर्बाध रूप से चलाने और शिक्षा उपलब्धियों में सुधार का समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया है और इससे सामाजिक समूहों में असमानता ओं को कम करने की भी उपेक्षा की गई है जिले को नियोजन की एक इकाई मानकर क्षेत्र विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाने वाले इस कार्यक्रम की प्रमुख रणनीतियां स्थितियों के प्रति संदर्भ और संवेदनशीलता को बनाए रखना और समाज ही पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने की रही है इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नियोजन प्रबंध तथा व्यावसायिक समर्थन के लिए राष्ट्रीय राज्य और जिला संस्थानों और संगठनों की क्षमता को मजबूत बनाना भी है।

यह कार्यक्रम अतिरिक्त ताकि सिद्धांत पर आधारित है और इसे प्राथमिक शिक्षा के लिए केंद्र और राज्य क्षेत्र की योजनाओं के प्रावधानों के अलावा सुविधाएं प्रदान करके मौजूदा अंतरों को दूर करने के उद्देश्य से बनाया गया है इस कार्यक्रम में विद्यालयों में कमरों की संख्या बढ़ाने और नई विद्यालय भवन बनाने अनौपचारिक वैकल्पिक शिक्षा केंद्र खोलने अध्यापकों की नियुक्ति शिशु शिक्षा केंद्र खोलने राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद शिक्षण संस्थान का ब्लॉक संसाधन केंद्र सामुदायिक संसाधन केंद्र स्थापित करें अध्यापक अध्यापक प्रशिक्षण विकलांग बच्चों के लिए संबंधित शिक्षा की व्यवस्था अनुसंधान पर आधारित अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए विशेष प्रशिक्षण के लिए शिक्षा को सम्मिलित किया गया है।

1.1.6.1.4 प्राथमिक शिक्षा के लिए पौष्टिक आहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम

प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पौष्टिक आहार प्रदान करने का राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसे 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ किया गया इसे आम भाषा में दोपहर का भोजन अथवा मिड डे मील कार्यक्रम भी कहते हैं इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यालय में बच्चों का दाखिला एवं उपस्थिति सुधारना और उन्हें प्रतिदिन पाठशाला में आने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ-साथ सभी सरकारी स्थानीय संस्थाओं और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक पाठशाला के छात्र एवं छात्राओं को पौष्टिक आहार प्रदान करनी है यह कार्यक्रम केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों की राज्य सरकार संयुक्त रूप से संचालित कर रही है और अभी हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को बच्चों को पकी पकाई भोजन का वितरण समयबद्ध तरीके से करने के निर्देश दिए हैं जिससे भारत वर्ष के 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की लगभग 3 पॉइंट 6 8 करोड़ बच्चों को पका पकाया भोजन प्राप्त हो सके।

आईएस केसीओएम बेंगलुरु के अनुभव के आधार पर विभाग ने गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी के बारे में दिशा-निर्देश प्रदान किए गए हैं इन दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार गैर सरकारी संगठनों का चयन कर सकती है और भोजन तैयार करने की जिम्मेदारी उठाने वाले गैर सरकारी संगठनों को खाद्यान्न और परिवहन खर्च किया जाएगा वर्ष 2,000 2005 उत्तर प्रदेश सरकार ने विषम एवं क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में अपराध भोजन वितरण का कार्य गैर सरकारी संगठनों को सौंप दिया है यह विभिन्न गैर सरकारी संगठन भोजन वितरण का कार्य रूप से कर रहे हैं इसके अतिरिक्त दे सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आंदोलन की पकाने एवं वितरण की व्यवस्था ग्राम पंचायतों के प्रधानों को सौंप दी है।

1.1.6.1.5 सर्व-शिक्षा अभियान

यह एक ऐसी नवीन योजना विकसित की गई, जिसमें सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। इसे नवंबर 2000 में मंजूर किया गया। सर्व-शिक्षा अभियान के अंतर्गत निम्नवत लक्ष्य समाहित किए गए हैं—

- 6-14 वर्ष की उम्र के बच्चे 2003 तक विद्यालय शिक्षा बाद गारंटी योजना केंद्र ब्रिज कोर्स में जाएं
- सन् 2007 तक सभी बच्चों की 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी हो जाए।
- सन् 2010 तक सभी बच्चे 8 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा पूरी करलें।
- बालकों की जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक गुणवत्ता आधारित प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया है।
- सन् 2007 तक प्राथमिक स्तर पर सभी लड़के लड़कियों और सामाजिक वर्ग के शिक्षा अंतरों को सन् 2010 तक समाप्त करना।
- सन् 2010 तक बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की संख्या शून्य हो जानी चाहिए।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सहायता को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एटिफाई परसेंट 15% एवं दसवीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र व राज्य सरकार 75% 5 परसेंट इसके बाद इस अभियान पर जाने वाला ब्याज 50% 50% के अनुपात में बांटा जाएगा

इस कार्यक्रम में पूरे देश को समाहित किया गया है और इससे लाख बचा बेटों के उन 19 पॉइंट 2 करोड़ बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं वर्तमान समय में मौजूद 8.5 लाख प्राथमिक उच्च प्राथमिक

विद्यालय और लगभग 300000 शिक्षक भी इस कार्यक्रम के के दायरे में आते हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी बरसातों में जहां स्कूल है वहां अतिरिक्त क्लास रूम सुलभ शौचालय पीने के पानी रख रखाव अनुदान और स्कूल सिवान के जरिए बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा पर्याप्त संख्या में शिक्षकों वाले स्कूलों को कार्यक्रमों के अंतर्गत अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे मौजूद शिक्षकों की क्षमता को गहन प्रशिक्षण शिक्षक शिक्षण सामग्री के विकास के लिए अनुदान के प्रावधान और शैक्षिक आधार ढांचे के विकास के द्वारा उन्नत किया जाएगा सर्व शिक्षा अभियान में कमजोर वर्गों की बालिकाओं और बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया है इन बच्चों के लिए मुफ्त पाठ्य पुस्तकों सहित कई विशेष रूप से की गई है सब शिक्षा अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रदान करने का प्रावधान किया गया है जिससे डिजिटल डिवाइड को कम करने में मदद मिलेगी।

1.1.6.1.6 स्कूल-चलो अभियान

सर्व शिक्षा अभियान के तहत उत्तर प्रदेश राज्य में प्राथमिक शिक्षा के सर्विस नवीकरण के लक्ष्य की पूरी करने के उद्देश्य से 3 जुलाई से 31 जुलाई 2000 के दौरान एक राज्यव्यापी स्कूल चलो अभियान में सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान की प्रत्येक पात्र बच्चों का औपचारिक स्कूलों में दाखिला किया जाए आयोजित करके 10 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को शैक्षणिक सत्र 2000 01 में दाखिल करने की प्रयास किए गए माननीय मुख्यमंत्री जी ने केडी सिंह बाबू स्टेडियम में 3 जुलाई 2000 को आयोजित एक राज्य उद्घाटन समारोह में जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे अभियान का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया जनता को अभियान की प्रयोजन से अवगत कराने के लिए अगले दिन सभी जिला मुख्यालयों में विशाल रैलियां और सभाएं आयोजित की गई इन सभाओं मेराज की माननीय मंत्रियों संसद सदस्य विधान परिषद सभा के सदस्य मंडलायुक्त जिला मजिस्ट्रेट ने जनता के बीच प्रस्तावित अभियान की अवधारणा आत्मक रूपरेखा इसकी आवश्यकता और इसी कारण रूप देने के लिए अभी कल्पित काली नीति का आदान प्रदान किया

वृहद् स्तर पर किए गए इन प्रयासों का परिणाम हुआ है 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन में पिछले शैक्षिक बस के नामांकन की तुलना में अत्यंत विशाल अर्थात 541 1000 की वृद्धि हो गई 1999-2000 में मैं 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का कुल नामांकन 2940 6000 था जिसकी चालू शैक्षणिक सत्र में थर्टी फर्स्ट जुलाई 2000 की स्थिति के अनुसार नामांकन पहले ही 3481 7000 तक

पहुंच चुका था क्योंकि स्कूलों के दाखिले 30 सितंबर 2000 तक खुले थे इसलिए दाखिल बच्चों की संख्या में और वृद्धि होने की संभावना थी।

अभियान से जुड़ी पहली कार्रवाई व्यवस्थित व्यापक प्रचार निश्चित कनाडा मुद्रा इलेक्ट्रॉनिक वीडियो छुपे हुए इस तिहारो दीवार लेखन ओं मोल्डिंग और जनसभाओं के माध्यम से जनसाधारण के बीच जागरूकता उत्पन्न करने की दिशा में बड़े पैमाने पर प्रयास किए गए विशेष रूप से दूरदराज की बस्तियों में जनसंख्या के सर्वाधिक सीमांत वर्गों के बीच अधिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रभात फेरी नुक्कड़ नाटक कला जत्था लोगी तो नारों और पदयात्रा का व्यापक प्रयोग किया गया लड़कियों अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अल्पसंख्यकों जैसे सुविधा विहीन वर्गों तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े रहे हैं उन तक पहुंचने की ओर ध्यान दिया गया जनसाधारण तक पहुंचाया गया मुख्य संदेश था कि प्राथमिक शिक्षा का मूल अधिकार है और यह देखने की जिम्मेदारी परिवार समाज और राज्य की है कि प्रत्येक बच्चे स्कूल में उपस्थित रहता है

यद्यपि इस अभियान की संकल्पना प्रत्येक राज्य सरकार के स्तर पर निर्मित की गई थी फिर भी जनता की हार्दिक सहयोग के कारण इस अभियान ने बहुत जल्दी जिला ब्लाक न्याय पंचायत और ग्राम स्तरों पर एक जनांदोलन का रूप ले लिया 15 दिनों में राज्य के 3 जिलों में 93 जिला स्तरीय और 840 ब्लॉक स्तरीय जन सभाएं आयोजित की गई इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त हुई कि प्रधान पंचायत सदस्य माता-पिता तथा समुदाय के अन्य व्यक्तियों की उत्साहित और अपने गांवों में प्रतिज्ञा की

1.1.6.1.7 जनशाला कार्यक्रम

भारत सरकार और पांच संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यूएनडीपी यूनिसेफ यूनेस्को आई एल ओ आर यू एनएसबीए द्वारा मेरे को चलाया जा रहा है यह दुनिया में पहला कार्यक्रम है जिसमें संयुक्त राष्ट्र की जांच एजेंसियां मिलकर काम कर रही हो शिक्षा के क्षेत्र में एक पैर को सफल बनाने के लिए उन्होंने अपने संसाधनों को मिला दिया है यह कार्यक्रम सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के प्रयासों को समर्थन देने के लिए संचालित किया जा रहा है जन सारा समाज आधारित प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है इसका उद्देश्य समाज के वंचित और पिछड़े वर्ग विशेष रूप से लड़कियां और बच्चों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यकों काम करने वाले बच्चों और विशेष देखभाल की जरूरत वाले बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है जो इंसान की विशेषता यह है कि यह आधारित कार्यक्रम है जिसमें

समाज के भाग लेने और विकेंद्रीकरण पर जोर दिया जाता है चुनाव के आधार पर किया जाता जाना अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या देने का वचन दिया है यूनेस्को और आईएलओ ने तकनीकी सलाह देने का प्रस्ताव किया है।

1.1.6.1.8 स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी

स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी)" एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जो माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को सूचना व संचार प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने, उनमें उचित आईसीटी कौशल विकसित करने और अन्य संबंधित अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दिसंबर 2004 में शुरू की गई थी। योजना का उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक और भौगोलिक कारणों से पिछड़े छात्र-छात्राओं के बीच डिजिटल डिवाइड को कम करना है। इस योजना के अंतर्गत सुस्थिर कंप्यूटर प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए राज्यों व संघ शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी है। इस योजना का उद्देश्य केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों में स्मार्ट स्कूलों की स्थापना कर, पड़ोस के स्कूली छात्रों के बीच में आईसीटी कौशल का प्रचार करने के लिए प्रौद्योगिकी प्रदर्शक के रूप में कार्य करना है। यह योजना वर्तमान में सरकारी स्कूलों तथा सरकारी सहायता प्राप्त उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यान्वित की जा रही है। कंप्यूटर और उसके पुर्जे, शैक्षणिक सॉफ्टवेयर की खरीदारी, शिक्षक प्रशिक्षण, इंटरनेट कनेक्टिविटी आदि के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।

राज्यों और संस्थानों को वित्तीय सहायता, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव की अध्यक्षता में कार्यरत परियोजना निगरानी और मूल्यांकन समूह से अनुमोदन मिलने के बाद प्रदान की जाती है।

प्रधानमंत्री द्वारा जुलाई- 1998 में गठित कार्यदल ने स्कूलों तथा शिक्षा क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग शुरू करने की सिफारिश की थी। इससे संबंधित नीचे दी गई प्रासंगिक अनुच्छेद इसकी स्पष्ट व्याख्या करती है:

छात्रों, अध्यापकों या स्कूलों को सक्षम बनाने वाली क्रमशः विद्यार्थी कंप्यूटर योजना, शिक्षक कंप्यूटर योजना और स्कूल कंप्यूटर योजना के अंतर्गत आकर्षक वित्तीय पैकेज से कंप्यूटर की खरीदारी की जाएगी। इस योजना को कम लागत वाली कंप्यूटर, बैंकों से आसान किश्तों पर ऋण, आईटी कंपनियों

और अन्य व्यावसायिक घरानों से कंप्यूटर दान, अप्रवासी भारतीय संगठनों द्वारा कंप्यूटर के थोक दान, बड़ी संख्या में खरीदारी पर न्यूनतम आयात शुल्क, बहु पार्श्व धन की सुविधा प्राप्त होंगी।

सभी स्कूलों, पॉलिटेक्निक कॉलेजों और देश के सार्वजनिक अस्पतालों में वर्ष 2003 तक कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी।

स्मार्ट स्कूल, अवधारणा का जोर केवल सूचना प्रौद्योगिकी पर न होकर, उसके उपयोग की कुशलता व मूल्य है, जो इस शताब्दी में एक महत्वपूर्ण तत्व है। इस योजना को प्रत्येक राज्य में पायलट आधार शुरू किया गया है। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं-

- आईसीटी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक सरकारी स्कूलों में एक अनुकूल माहौल उत्पन्न करना। इसके लिए उपयोग उपकरणों का वृहद स्तर पर उपलब्धता, इंटरनेट कनेक्टिविटी और आईसीटी साक्षरता को बढ़ावा देना,
- निजी क्षेत्र व स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के माध्यम से अच्छी सूचनाओं की ऑनलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करना,
- शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए वर्त्तमान पाठ्यक्रम व शिक्षणशास्त्र के संवर्द्धन के लिए सूचना व संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करना,
- उच्च अध्ययन और लाभकारी रोजगार के लिए जरूरी सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी कुशलता प्राप्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना,
- सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग छात्र-छात्राओं के लिए प्रभावी शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराना,
- आत्म-ज्ञान का विकास कर छात्रों में महत्वपूर्ण सोच और विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देना। यह कक्षा को शिक्षक केंद्रित स्थल से बदलकर विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण केन्द्र में बदल देगा,
- दूरस्थ शिक्षा एवं रोजगार प्रदान करने के लिए दृश्य-श्रव्य एवं उपग्रह आधारित उपकरणों के माध्यम से सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देना।

1.1.6.2 शिक्षण संस्थाओं के प्रकार

किसी ऐसे संस्थान, जहाँ शिक्षा का आदान प्रदान किया जाता है, को शिक्षण संस्थान कहा जाता है। भारत में शिक्षा प्राप्ति हेतु विभिन्न शैक्षिक संस्थान प्रचलित हैं। जो अपनी-अपनी नीति और नियमों के आधार पर शिक्षा प्रदान कर एक आदर्श समाज के निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। ये संस्थान निम्नलिखित हैं —

- परिषदीय विद्यालय
- निजी विद्यालय
- मिशनरी विद्यालय
- मदरसा विद्यालय

1.1.6.2.1 परिषदीय विद्यालय

विद्यालय वह स्थल है, जहाँ शिक्षा प्रदान की जाती है। अतः प्रत्येक राज्य सरकार की शिक्षा परिषद् के ऊपर अपने राज्य के बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करने का उत्तर दायित्व होता है। इन्हीं परिषदीय विद्यालयों को सरकारी विद्यालय कहा जाता है।

वर्तमान में सरकारी विद्यालयों में 6-14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। इन विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य बालकों को उच्च व उचित शिक्षा प्रदान कर शिक्षित बनाना है। साथ ही बाल श्रम, बाल विवाह, अशिक्षा को रोकना भी इनका मुख्य उद्देश्य है। प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले, ब्लॉक, गाँवों में सरकारी विद्यालय उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही उनमें कम से कम 1 शिक्षक भी तैनात किया गया है।

इन विद्यालयों में बच्चों को किताबें, गणवेश, पाठ्य-पुस्तकें, भोजन, स्वेटर आदि समय-समय पर आवश्यकतानुसार वितरित किए जाते हैं। इन विद्यालयों का संचालन राज्य सरकार, जिला अधिकारी और ग्राम पंचायतों/प्रधान के द्वारा किया जाता है। इन विद्यालयों का वित्तीय आधार सरकार से प्राप्त अनुदान होता है।

सरकारी विद्यालय में शिक्षा के लाभ—

खाना और किताबें मिलना-

सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में कई ऐसी योजनाएँ हैं, जिनमें बच्चों को खाना, वर्दी, किताबें मुफ्त में मुहैया कराई जाती हैं। ऐसा इसलिए कराया जाता है जिससे बच्चे स्कूल में आए और अपना

भविष्य सुधारने का प्रयास करें। निम्न स्तर के बच्चों को सही पोषण और पढ़ाई देने के लिए यहाँ योजनाएँ चलाई गई हैं। इसके अलावा छात्रों को विद्यालय में बुलाने और देश में शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए यह प्रयास किए गए हैं।

कम दाम में शिक्षा मिलना-

सरकार द्वारा चलाए जाने वाले विद्यालयों में गरीब बच्चों को शिक्षित होने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। ऐसे स्कूलों में कम दाम में या मुफ्त में छात्रों को पढ़ाया जाता है। गरीब बच्चों के लिए कई बार छात्रवृति दी जाती है।

सरकारी विद्यालय में शिक्षा के दुष्प्रभाव -

शिक्षकों की कमी

सरकारी स्कूलों में कई बार यह देखा गया है कि वहाँ पर शिक्षकों की कमी होती है। हर विषय के शिक्षक विद्यालय में मौजूद नहीं होते हैं। विद्यालय में ज्यादा छात्र होते हैं और इस कारण से छात्रों पर ध्यान देने में शिक्षक असमर्थ रहते हैं। कई बार यह देखा गया है कि स्कूलों में 50 % शिक्षकों के पद खाली हैं और स्कूल में प्रिंसिपल भी नहीं है।

मुलभूत सुविधाएँ न होना-

सरकारी विद्यालयों में कई दफा पुस्तकालय नहीं होते हैं। इसके अलावा शौचालय की सुविधा भी कई बार छात्रों को उपलब्ध नहीं होती है। बिजली, पानी आदि की समस्याएँ भी इन स्कूलों में रहतीं हैं। कई बार स्कूलों में किताबें पहुँच जाती हैं, पर छात्रों को नहीं मिल पाती हैं।

1.1.6.2.2 निजी विद्यालय

अगर किसी देश का युवा शिक्षित है तो वह देश निश्चित ही प्रगति की ओर बढ़ता है। भारत में आज के दिन शिक्षा को एक व्यवसाय बनाया जा चुका है। हमारे देश में शिक्षा को सरकारी व गैर-सरकारी दोनों रूपों से चलाया जा रहा है।

शिक्षा को निजी लोगों और संस्थानों के हवाले करना और उनको उनके तरीके से काम करने की आजादी देने को शिक्षा का निजीकरण अथवा प्राइवेट शिक्षा कहते है। ये शिक्षा निजी विद्यालयों में दी जाती है।

पिछले कुछ दशकों में शिक्षा के तरीकों में बदलाव आया है। पहले शिक्षा संस्थान सरकार द्वारा चलाए जाते थे, परंतु कुछ समय से यह निजी संगठनों की साझेदारी से भी चलाए जाने लगे हैं।

निजी संस्थानों में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। निजी विद्यालयों में संस्थान अपने अनुसार नियम बनाते हैं।

शिक्षा को निजी हाथों में सौंपने के लाभ—

1. सुविधाएँ और नई तकनीकें -

निजी अथवा प्राइवेट विद्यालयों मे सरकारी विद्यालय के मुताबिक ज्यादा सुविधाएँ होती हैं। निजी विद्यालयों में अधिकतर नए यंत्रो के द्वारा पढ़ाया जाता है, जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट आदि। बच्चों को यहाँ सभी चीजें व्यावहारिक रूप से सिखाई जाती है। इन विद्यालयों में शौचालय, पुस्तकालय जैसी मूल सुविधाएँ उपलब्ध होतीं हैं।

2. दाखिला लेने की प्रक्रिया-

ऐसे संस्थानों में दाखिला पाने के लिए बच्चों को एक परीक्षा से गुजरना पड़ता है व ऐसा करने से बच्चों को छाँट कर प्रवेश दिया जाता है। इन विद्यालयों में सीमित संख्या में ही बच्चों को दाखिला दिया जाता है।

3. शिक्षकों की जाँच-

निजी स्कूलों में हर विषय के लिए अलग-अलग शिक्षक होते हैं। ऐसे विद्यालयों में शिक्षक अपने विषय में निपुण होते हैं और वास्तविक रूप से छात्रों को ज्ञान देते हैं।

शिक्षा को निजी हाथों में सौंपने के दुष्प्रभाव—

1. मनमानी फीस वसूलना-

निजी संस्थान अभिभावकों से मनमानी फीस वसूलते हैं। यह सबसे बड़ा नुकसान है शिक्षा के निजीकरण का। गरीब लोग जिनके पास पैसे नहीं हैं और वह अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं परंतु वह ऐसा नहीं कर सकते हैं।

2. भ्रष्टाचार की चरम सीमा-

मध्य स्तर व उच्च स्तर के परिवार के बच्चे ही ऐसे विद्यालयों में दाखिला लेने में समर्थ हैं। ऐसे विद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहता है। सरकारी विद्यालयों में गरीब छात्रों के लिए खाना और पुस्तकें देने की योजनाएँ होती हैं। परंतु प्राईवेट विद्यालय में ऐसा नहीं होता है।

3. शिक्षा का व्यवसाय बनना-

निजी विद्यालयों ने शिक्षा के नाम पर बिजनेस खोल लिया है। वह अलग-अलग गतिविधियों के नाम पर पैसे वसूलते हैं और डोनेशन का नाम रख कर एक बड़ी रकम वसूलते हैं।

1.1.6.2.3 मिशनरी विद्यालय

इतना तो निश्चित रूप से ज्ञात है कि ईसाई मिशनरियों ने धर्मप्रचारक का अपना काम भारत में सोलहवीं शताब्दी के दौरान संत फ्रॉसिस जैवियर के ज़माने से शुरू किया था। संत जैवियर का नाम आज भी भारत के अनेक स्कूल कॉलेज से सम्बद्ध है।

एक मिशन स्कूल या मिशनरी स्कूल एक धार्मिक स्कूल है, जिसे मूल रूप से ईसाई मिशनरियों द्वारा विकसित और चलाया जाता है। मिशन स्कूल आमतौर पर औपनिवेशिक युग में स्थानीय लोगों के पश्चिमीकरण के उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता था। ये दिन स्कूल या आवासीय विद्यालय (कनाडा के भारतीय आवासीय विद्यालय प्रणाली के रूप में) हो सकते हैं।

भारत में 16 वीं शताब्दी की शुरुआत में मिशन स्कूल स्थापित किए गए थे। वे अंततः लगभग हर महाद्वीप पर दिखाई दिए, और कुछ क्षेत्रों में २० वीं शताब्दी के अंत तक बने रहे।

इन स्कूलों ने अक्सर धार्मिक शिक्षा के लिए एक इंजील और "भारी रूप से" प्रमुख दृष्टिकोण अपनाया, जिसका उद्देश्य नए शिक्षकों और धार्मिक नेताओं को स्थानीय आबादी के बीच ईसाई धर्म का प्रचार करने के उद्देश्य से पैदा करना था।

उन्होंने अकादमिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया, और आमतौर पर स्थानीय लोगों की पारंपरिक प्रथाओं को हतोत्साहित किया। मिशन स्कूलों को कभी-कभी सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता था, उदाहरण के लिए अमेरिका में "जब कांग्रेस ने भारतीय स्कूलों को शिक्षित करने के लिए सरकारी स्कूलों को स्थापित करने के लिए आवश्यक बड़ी रकम देने के लिए कम झुकाव महसूस किया"।

1.1.6.2.4 मदरसा विद्यालय

मदरसों को आमतौर पर एक धार्मिक विद्यालय की नजर से देखा जाता है। जहाँ पर मुस्लिम धर्म से सम्बन्धित शिक्षा दी जाती है। मदरसा शब्द का मतलब है "एक ऐसी जगह जहाँ पर शिक्षा दी जाती है" यहां पर सभी उम्र के छात्र एक साथ पड़ते हैं। अधिकतर इन स्कूलों में गरीब मुस्लिम बच्चों को अध्ययन करते हुए पाया जाता है। इन विद्यालयों में वही लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जो या तो बहुत गरीब होते हैं या फिर अपने लड़के को इस्लाम का पूरा ज्ञान देना चाहते हैं।

ये इस्लामिक विद्यालय हैं एवं इनके विषयों में उर्दू के साथ-साथ सभी इस्लामिक धर्म से सम्बन्धित पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं। आमतौर पर मदरसों में दो तरह के कोर्स पढ़ाये जाते हैं। पहला हिफ़्ज़ जिसको करने के बाद हाफिज की उपाधि मिलती है और दूसरा अलीम जिसको करने के बाद इन लोगों को इस्लाम धर्म का विद्वान माना जाता है। मदरसों में पढ़ाये जाने वाले विषयों में 'तहसीर', 'हदीस", 'शरिआ' और 'मंताक' विषय शामिल हैं। 'तहसीर' में कुरान के बारे में लिखा हुआ है। 'हदीस' में मोहम्मद साहब के पवित्र विचार एवं उनके द्वारा दी गयी सीख, कर्म आदि का वर्णन है। उसके बाद 'शरिआ' में कानून का उल्लेख है, जबकि 'मंताक' में मुस्लिम धर्म का इतिहास पढ़ाया जाता है। हालांकि विरोध के चलते कई मदरसों में अब गणित और विज्ञान का ज्ञान भी दिया जा रहा है।

मदरसों का पाठ्यक्रम

भारत में चार तरह के मुस्लिम स्कूल मौजूद हैं, जिनमें मकतब, दारुल कुरान, मदरसा एवं जामिआ शामिल है और इन सभी विद्यालयों या संस्थानों में अध्यात्म की शिक्षा दी जाती है, जिसका पाठ्यक्रम इस प्रकार है, लेखन विज्ञान, मौखिक विज्ञान, इस्लामी दर्शन, तर्क एवं अध्यात्म विज्ञान।

मदरसों को दो तरह के लोगों द्वारा पैसे दिया जाते हैं। जहाँ कुछ लोगों का कहना है कि मदरसों में निवेश सऊदी अरबिया और इसके कुछ सामाजिक संस्थानों द्वारा दिया जाता है। वहीं अन्य लोगों का ये मानना है कि इन मदरसों की फंडिंग जकात और दान में मिले पैसों से की जाती है। हर मुस्लिम व्यक्ति अपनी आय का कुछ प्रतिशत हिस्सा जकात या दान करता है और इन पैसों का हिस्सा मदरसों को भी दिया जाता है। इतना ही नहीं दुनिया में कई मदरसों में आतंकवादी संगठन द्वारा भी निवेश किया जाता है। हालांकि भारत के मदरसों की स्थिति पाकिस्तान के मदरसों की स्थिति से बेहतर है। ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान के मदरसों में शिक्षा लेने वाले बच्चे कट्टर मुस्लिम नेता, मुस्लिम धर्म प्रचारक या फिर आतंकवादी बनकर निकलते हैं।

मदरसों को आमतौर पर एक धार्मिक विद्यालय की नजर से देखा जाता है। जहाँ पर मुस्लिम धर्म से सम्बन्धित शिक्षा दी जाती है। मदरसा शब्द का मतलब है "एक ऐसी जगह जहाँ पर शिक्षा दी जाती है" यहां पर सभी उम्र के छात्र एक साथ पड़ते हैं। अधिकतर इन स्कूलों में गरीब मुस्लिम बच्चों को अध्ययन करते हुए पाया जाता है। इन विद्यालयों में वही लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जो या तो बहुत गरीब होते हैं या फिर अपने लड़के को इस्लाम का पूरा ज्ञान देना चाहते हैं।

ये इस्लामिक विद्यालय हैं एवं इनके विषयों में उर्दू के साथ-साथ सभी इस्लामिक धर्म से सम्बन्धित पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं। आमतौर पर मदरसों में दो तरह के कोर्स पढ़ाये जाते हैं। पहला हिफ़्ज़ जिसको करने के बाद हाफिज की उपाधि मिलती है और दूसरा अलीम जिसको करने के बाद इन लोगों को इस्लाम धर्म का विद्वान माना जाता है। मदरसों में पढ़ाये जाने वाले विषयों में 'तहसीर', 'हदीस', 'शरिआ' और 'मंताक' विषय शामिल हैं। 'तहसीर' में कुरान के बारे में लिखा हुआ है। 'हदीस' में मोहम्मद साहब के पवित्र विचार एवं उनके द्वारा दी गयी सीख, कर्म आदि का वर्णन है। उसके बाद 'शरिआ' में कानून का उल्लेख है, जबकि 'मंताक' में मुस्लिम धर्म का इतिहास पढ़ाया जाता है। हालांकि विरोध के चलते कई मदरसों में अब गणित और विज्ञान का ज्ञान भी दिया जा रहा है।

मदरसों का पाठ्यक्रम

भारत में चार तरह के मुस्लिम स्कूल मौजूद हैं, जिनमें मकतब, दारुल कुरान, मदरसा एवं जामिआ शामिल है और इन सभी विद्यालयों या संस्थानों में अध्यात्म की शिक्षा दी जाती है, जिसका पाठ्यक्रम इस प्रकार है, लेखन विज्ञान, मौखिक विज्ञान, इस्लामी दर्शन, तर्क एवं अध्यात्म विज्ञान।

मदरसों को दो तरह के लोगों द्वारा पैसे दिया जाते हैं। जहाँ कुछ लोगों का कहना है कि मदरसों में निवेश सऊदी अरबिया और इसके कुछ सामाजिक संस्थानों द्वारा दिया जाता है। वहीं अन्य लोगों का ये मानना है कि इन मदरसों की फंडिंग जकात और दान में मिले पैसों से की जाती है। हर मुस्लिम व्यक्ति अपनी आय का कुछ प्रतिशत हिस्सा जकात या दान करता है और इन पैसों का हिस्सा मदरसों को भी दिया जाता है। इतना ही नहीं दुनिया में कई मदरसों में आतंकवादी संगठन द्वारा भी निवेश किया जाता है। हालांकि भारत के मदरसों की स्थिति पाकिस्तान के मदरसों की स्थिति से बेहतर है। ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान के मदरसों में शिक्षा लेने वाले बच्चे कट्टर मुस्लिम नेता, मुस्लिम धर्म प्रचारक या फिर आतंकवादी बनकर निकलते हैं।

मदरसों में शिक्षा पूरी करने के बाद शिक्षा के अनुसार ही उपाधि देने की प्रणाली है, उदाहरण के तौर पर "आलिम" को इस्लाम का जानकार माना जाता है। 'हाफिज' की उपाधि उसको दी जाती है जिसे पूरी कुरान अच्छे से याद होती है. 'मुफ़्ती' उस व्यक्ति को बोला जाता है जो कि शरीआ कानून का विशेषज्ञ होता है। इसी प्रकार हदीस लेखन में विद्वान व्यक्ति को 'मुहादित' कहा जाता है। इसी तरह से इस्लाम के ज्ञान के अनुसार पद एवं उपाधियां दी जाती हैं।

1.1.7 उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों की स्थिति एवं समस्याएँ

उत्तर प्रदेश जैसे वृहद् राज्य में सभी 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा की परिधि में लाना एक अत्यन्त कठिन कार्य है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् सन् 1972 से प्रदेश के सभी जनपदों में परिषदीय विद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में प्रयासरत है। जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् अपने लगभग 1,13,500 प्राथमिक एवं 45,700 से अधिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन कर रहा है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम के निर्धारण, पुस्तकों के निर्माण, विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के निर्धारण के साथ ही सभी शैक्षिक एवं प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। परिषद् उत्तर प्रदेश राज्य में प्राथमिक शिक्षा के वृहद् ढांचे के नियमन एवं संयोजन में महती भूमिका प्रदान करते हुए अध्यापकों के हित में भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।

किसी भी समाज और सूबे की तरक्की की बुनियाद में उसकी शिक्षा व्यवस्था की मजबूत ईंटों की महती भूमिका होती है। विश्व के विकसित-विकासशील और पिछड़े सभी प्रकार के मुल्कों की मौजूदा तरक्की में वहां के शिक्षा स्तर का योगदान परिलक्षित होता है। कई मुल्कों के बराबर जनसंख्या और क्षेत्रफल रखने वाले और भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के उत्तम प्रदेश बनने की राह में भी सबसे बड़ी चुनौती और कसौटी यहां के सरकारी विद्यालयों की स्थिति ही है। इन विद्यालयों की स्थिति और भी अधिक बेकार होती जा रही है।

सबसे पहले बात प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में। उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम दावों के परे सरकारी विद्यालयों में पिछले चार साल में छात्रों की संख्या में करीब सात लाख की कमी दर्ज की गयी है। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में लगातार कम होती शिक्षार्थियों की संख्या इस बात की

तस्दीक करती है कि परिषदीय स्कूलों में वजीफा, मिड-डे मील के साथ फल और पौष्टिक आहार देने के नुस्खे भी कारगर नहीं साबित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लड़कों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की दर जहां 50 प्रतिशत है वहीं लड़कियों की दर सिर्फ 27 फीसदी ही है जिसमे वंचित समूह की केवल 10.4 प्रतिशत बालिकाएं ही अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी कर पाती हैं। आखिर जब यूनिफार्म से लेकर भोजन तक, वजीफे से लेकर किताबों की सुविधा सरकार देती है तो फिर पिछले चार साल में छात्रों की संख्या में करीब सात लाख की कमी दर्ज होना क्या संकेत देता है?

1.1.7.1 अयोग्य शिक्षक

अधिकतर सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के पास योग्यता की डिग्री तो है परंतु उन्हें शिक्षा का ज्ञान नहीं है। कई विद्यालयों में देखा गया है कि शिक्षकों को अपना नाम लिखने में भी समस्या है। यह शिक्षक विद्यालय में काफी समय से तो कार्यरत हैं। परंतु इन शिक्षकों को विद्यालयी ज्ञान नहीं है। इन शिक्षकों के द्वारा बच्चों को गलत शिक्षा दी जा रही है। कहते हैं- 'बच्चे कोरी स्लेट की तरह होते हैं, उन्हें जैसी शिक्षा दी जाती है वह वैसे ही सीख जाते हैं' क्योंकि वह शिक्षक को अपना भगवान मानते हैं। शिक्षक यदि गलत पढ़ाता हैतो उन्हें वही सही लगता है। कई शिक्षकों को तो अपने राज्य व देश से जुड़े सामान्य ज्ञान का ज्ञान ही नहीं है। ये शिक्षक किस प्रकार हमारे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, यह समझने वाली और हमें झकझोरने वाली बात है।

1.1.7.2 शिक्षकों का अभाव

कई ग्रामीण विद्यालयों में तो विद्यालय में एक ही शिक्षक नियुक्त है। उसी शिक्षक को विद्यालय के संपूर्ण कार्य करने होते हैं और कक्षा एक से पाँच तक के सभी बच्चों को शिक्षा देनी होती है। एक शिक्षक द्वारा 5 कक्षाओं को एक साथ संचालित करने में समस्या होती है। वही शिक्षक छात्रों के लिए मिड डे मील की व्यवस्था करता है व छात्रों के नामांकन में वृद्धि का कार्य करता है। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम तीन शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए जिससे बच्चों को शिक्षा गुणवत्तापूर्ण ढ़ंग से दी जाती सके।

1.1.7.3 दस्यु क्षेत्र

अधिकतर ग्रामीण सरकारी विद्यालय ऐसी जगह स्थापित हैं जो दस्यु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ इन विद्यालयों में छात्र कम संख्या में पहुंचते हैं और नामांकन भी कम संख्या में ही होता है। कई

जगह शिक्षक भी अपना तबादला इन विद्यालयों में कम लेते हैं और अगर यहाँ शिक्षकों का तबादला हो भी जाए तो वे विद्यालय कम ही पहुँच पाते हैं जिससे छात्र शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।

1.1.7.4 मूलभूत सुविधाओं का अभाव

उत्तर प्रदेश राज्य में कई ऐसे प्राथमिक विद्यालय खुले हैं जहाँ अभी तक केवल एक कमरे में ही कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा दी जा रही है। कहीं-कहीं तो विद्यालय भवन इतनी जर्जर हालत में है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। बरसात में इन भवनों की छतों से पानी का बहाव होता है जिससे शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती है।

कई विद्यालयों में तो बच्चों के लिए मूलभूत सुविधाएँ जैसे- पेयजल, शौचालय, खेल का मैदान, शिक्षण-कक्ष आदि की व्यवस्था ही नहीं है और अगर व्यवस्था है भी तो वह उपयोग करने योग्य नहीं है। कई विद्यालयों में तो छात्रों को विद्यालय की ओर आकर्षित करने के लिए दीवारों पर पेंटिंग भी नहीं है। विद्यालय में एक भी कर्मचारी नियुक्त नहीं है जिससे आवश्यकतानुसार बच्चों की देखभाल नहीं हो पाती है।

1.1.7.5 तकनीकी व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव

निजी विद्यालयों की तरह सरकारी विद्यालयों में भी तकनीकी शिक्षा दी जानी चाहिए। वर्तमान युग तकनीकी का युग है। अतः ज्यादा से ज्यादा बच्चों को तकनीकी सहायता से शिक्षा दी जानी चाहिए। परंतु सरकारी विद्यालयों में तकनीकी शिक्षा का अभाव होता है। सरकार द्वारा तकनीकी उपकरण जैसे- इंटरनेट, कंप्यूटर, स्मार्ट बोर्ड आदि उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, जिससे बच्चे तकनीकी शिक्षा से अनभिज्ञ रहते हैं।

कई विद्यालयों में तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही नहीं दी जाती है जिससे मध्य वर्ग व उच्च वर्ग के विद्यार्थी सरकारी विद्यालयों की बजाय निजी विद्यालयों में अपना नामांकन करवा लेते हैं, क्योंकि निजी विद्यालयों में उन्हें नवीन शिक्षा पद्धति के अनुसार शिक्षा दी जाती है जिससे वह वर्तमान समय में रहकर अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।

1.1.7.6 कॉन्वेंट स्कूलों की बढ़ती संख्या

आज के इस तकनीकी युग में प्रत्येक माता-पिता अपने बच्चे को तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ उच्च शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। सभी माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा आज के समय के

अनुसार शिक्षा प्राप्त करें। आज अंग्रेजी भाषा की शिक्षा का बोलबाला है, जो सरकारी विद्यालयों में सही तरीके से नहीं दी जा पाती है। देखा जाता है कि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के बच्चे स्वयं निजी व कॉन्वेंट विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते हैं।निजी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ तकनीकी शिक्षा भी दी जाती है एवं प्रत्येक बच्चे पर ध्यान दिया जाता है, जो सरकारी विद्यालय में नहीं दिया जाता। निजी विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय, कला, संगीत, खेल, स्मार्ट क्लासेस, प्रयोगशालाओं आदि की उचित व्यवस्था होती है। इन विद्यालयों में विषय-वार शिक्षक भी नियुक्त होते हैं। निजी विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध होतीं हैं। जिससे माता-पिता सरकारी विद्यालय की अपेक्षा निजी विद्यालयों में अपने बच्चों का नामांकन करवाते हैं।

1.1.8 निराशा में आशा के दीप कतिपय प्राथमिक विद्यालय

परंतु आज के इस बदलते युग में निजी विद्यालयों की तरह कुछ सरकारी विद्यालयों में भी तकनीकी शिक्षा व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को दी जा रही है।

उन्हीं में **निराशा में आशा के दीप** के रूप में **"बाँदा जिले के कतिपय परिषदीय विद्यालय हैं"** एक है।

1.2 समस्या का प्रादुर्भाव

स्वतन्त्रता प्राप्ति के लगभग 59 वर्षों का सिंहावलोकन करने पर स्पष्ट हो रहा है कि देश में नियोजन का अभाव रहा है। सन् 1986 की नई शिक्षा नीति की संशोधित कार्य योजना(POA-1992) में सभी बच्चों (जिनकी आयु 14 वर्ष तक) को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है जिससे कि वे 21वीं सदी में नई समृद्धि और गौरवमयी भारत के सपने को साकार कर सकें। इन 50 वर्षों के अध्ययनों के आधार पर प्राथमिक शिक्षा का कार्य सफल नहीं रहा है। इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर अनेक विद्यालयों में जिनमें कक्षाएँ ठीक से नहीं चलती, शिक्षण के उपकरण उपयुक्त नहीं है, शिक्षक अप्रशिक्षित है, बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है, समय-सारणी व्यवस्थित नहीं है, कक्षा में श्यामपट्ट की व्यवस्था का न होना, पक्के विद्यालय भवनों का उपलब्ध ना होना, अनुचित पाठ्यक्रम की अधिकता, अभिभावकों का बच्चे एवं शिक्षक के प्रति जवाबदेह ना होना, शिक्षकों का पाठ्यक्रम के प्रति अनुचित दृष्टिकोण, शिक्षा का उचित वायुमंडल ना होना आदि अनेक समस्याएँ हैं।

देश में प्राथमिक स्तर की दयनीय स्थिति के कारण भारतीय संविधान की धारा-45 जिसमें शिक्षा के सार्वजनीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, को साकार बनाना अपरिहार्य है। इसका तात्पर्य यह है कि स्वतंत्र भारत का प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो जाए या कम से कम इतना साक्षर हो जाए कि वह अपने कार्यों को निराश्रित होकर पूर्ण कर सके। इसके लिए भारत सरकार ने अनेक प्रयास किए हैं। गाँव की जनता के लिए शिक्षा की व्यवस्था के अन्तर्गत गाँव में अधिक संख्या में विद्यालय खोले गये।

किसी भी राष्ट्र की स्थिति को वहाँ की संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में ही समझा जा सकता है। शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है तथा वही हमारी संतति के भविष्य का संरक्षक होता है। अध्यापक ही विद्यालय तथा शिक्षण प्रक्रिया की वास्तविक रूप से गत्यात्मक या गतिशील शक्ति है। विद्यालय वह स्थल होता है जहाँ शिक्षा प्रदान की जाती है। "विद्यालय एक ऐसी संस्था है जहाँ बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं नैतिक गुणों का विकास होता है।

विद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थी को केवल अच्छे अंक प्रदान करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे चारित्रिक व सामाजिक रूप से सशक्त बालक बनाना होना चाहिए।

भारतवर्ष में स्वतंत्रता पूर्व के काल में तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया गया। आधुनिक काल की शिक्षा तकनीकी शिक्षा पर आधारित है। तकनीकी शिक्षा में वृद्धि होने के कारण शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि देखने को मिल रही है। आज की शिक्षा में तकनीकी शिक्षा मैं बढ़ोत्तरी हो रही है। शोधकर्ता के मन में विचार आया कि प्राथमिक विद्यालयों में जो शैक्षिक तकनीकी प्रयास किए जा रहे हैं, उनके क्या लाभ हैं एवं क्या वह प्रयास उत्तर प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में किए जा रहे हैं? यही सोचकर शोधकर्ता ने इस समस्या पर शोध करने का प्रयास किया।

1.3 समस्या कथन :

शोधकर्ता द्वारा प्रस्तुत शोध के लिए निम्न समस्या का चुनाव किया गया—

"बाँदा जनपद के अनुकरणीय परिषदीय विद्यालय एक अध्ययन: एक अध्ययन।"

1.4 अध्ययन समस्या का औचित्य :

शैक्षिक क्षेत्र में जब कोई अनुसंधान कार्य किया जाता है तो उस अध्ययन की उपादेयता, महत्व, प्रकृति आदि का औचित्य सिद्ध करना इसलिए आवश्यक है कि इसके द्वारा यह सिद्ध कर सकें कि इस

अनुसंधान के परिणाम व निष्कर्ष शैक्षिक जगत को किस प्रकार प्रभावित करेंगे। इसके अतिरिक्त औचित्य शैक्षिक समस्या की उपादेयता को सिद्ध करने में भी सहायक होता है।

वर्तमान युग में शिक्षा को एक अधिकार के रूप में माना गया है। यही कारण है कि बदलती हुई संभावनाओं को यथार्थ में परिणित करना शिक्षा व्यवसाय की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। आज हमारे समक्ष यह प्रश्न है कि शिक्षा व्यवस्था को गुणपरक कैसे बनाया जाए? क्योंकि व्यक्ति शिक्षा से ही यह समझ पाता है कि उसके कर्तव्य एवं अधिकार व मूल स्वतन्त्रता का स्वरुप क्या है?एवं उसका समाज के प्रति क्या दायित्व है?वह अपने अधिकारों के हनन को कैसे रोक सकता है? आदि कुछ ऐसे प्रश्न है, जो शिक्षा के प्रसार करने की आवश्यकता को प्रदर्शित करते हैं। किंतु यह प्रसार मुख्यतः प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर ही निर्भर है। ऐसे में शोधकर्ता को यह जानने की जिज्ञासा हुई कि वर्तमान में सामान्यतः प्राथमिक शिक्षा का संचालन कैसे हो रहा है? किस प्रकार से शिक्षा को प्रभावशाली बनाया जा रहा है?किस प्रकार विद्यालय को मॉडल विद्यालय बनाया गया है? विद्यालय में किस प्रकार की तकनीकी शिक्षा दी जा रही है?किस प्रकार छात्रों को सरकारी विद्यालय में निजी विद्यालयों की तरह शिक्षा दी जा रही है?विद्यालय में दिव्यांग छात्रों के लिए किस प्रकार की सुविधाएँ हैं?

बाँदा जनपद के कतिपय प्राथमिक विद्यालय अध्ययन का औचित्य इसलिए है कि शिक्षा की वर्तमान परिस्थितियों में हुए आज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा प्रणाली में किए गए सुधार अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। शिक्षा का नवीन रूप दिखाई दे रहा है। शिक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में भारत में पूर्व में किए गए शोध कार्यों का पुनरावलोकन करते समय शोधकर्ता ने पाया कि भारत में विभिन्न शैक्षिक संस्थानों पर काफी शोध अध्ययन हुआ है लेकिन प्राथमिक विद्यालय, रजपुरा, मेरठ पर कोई शोध अध्ययन कार्य नहीं हुआ है। यदि कोई शोध कार्य हुआ भी है तो वह प्रकाश में नहीं आया है। प्राथमिक विद्यालय, रजपुरा का अध्ययन आज की तकनीकी शिक्षा प्रगति का एक जीवंत उदाहरण है इसलिए शोधकर्ता ने प्राथमिक विद्यालय, रजपुरा, मेरठ का चयन किया।

1.5 समस्या में निहित शब्दों की व्याख्या

1.5.1 बाँदा जनपद

बाँदा जनपद भारत के उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर एवं लोक सभा क्षेत्र है। यह जनपद बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। इसका नाम महर्षि वामदेव के नाम पर है। बाँदा महर्षि वामदेव की तपोभूमि है।

यह जनपद केन नदी के के किनारे स्थित है। सड़क मार्ग द्वारा ये अच्छे से अन्य शहरों से जुड़ा हुआ है। बाँदा में बाँदा जंक्शन रेलवे स्टेशन भी है।

बाँदा एक एतिहासिक शहर है। ये शहर बाँदा जिले का मुख्यालय भी है। बाँदा के चारो तरफ़ अनेक पर्यटन स्थल हैं। चित्रकूट यहां से करीब 60 किमी. कालिंजर करीब 60 किमी है।

1.5.2 अनुकरणीय

अनुकरणीय से आशय किसी ऐसे सराहनीय कदम या कार्य से है जो अनुकरण करने योग्य हो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी कार्य की विशेषताओं को अपने आचरण में ढालना या उसकी नकल करना एक अनुकरण है।

1.5.3 परिषदीय विद्यालय

प्रस्तुत शोध में परिषदीय विद्यालयों से आशय बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित किए जाने वाले कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के अर्थात प्राथमिक विद्यालयों से है।

1.5.4 अध्ययन

अध्ययन एक कला है जिसमें मनुष्य कुछ करने करवाने आदि बातों को सीखता है।

1.6 अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध अध्ययन के माध्यम से जिन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है वह निम्नवत हैं-

- बाँदा जनपद के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षा के स्वरूप का अध्ययन करना।
- बाँदा जनपद के परिषदीय विद्यालयों के शैक्षिक क्रियाकलापों का अध्ययन करना।
- बाँदा जनपद के परिषदीय विद्यालयों के भौतिक वातावरण का अध्ययन करना।
- बाँदा जनपद के परिषदीय विद्यालयों में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अध्ययन करना।
- बाँदा जनपद के परिषदीय विद्यालयों की शिक्षण पद्धति एवं शिक्षण विधियों का अध्ययन करना।
- बाँदा जनपद के परिषदीय विद्यालयों में उपलब्ध तकनीकी शिक्षा का अध्ययन करना।

- बाँदा जनपद के परिषदीय विद्यालयों के निजी विद्यालय से अधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अध्ययन करना।
- बाँदा जनपद के परिषदीय विद्यालयों को प्राप्त उपलब्धियों का अध्ययन करना
- बाँदा जनपद के परिषदीय विद्यालयों के छात्रों की प्रगति का अध्ययन करना बाँदा जनपद के परिषदीय विद्यालयों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का अध्ययन करना।
- बाँदा जनपद के परिषदीय विद्यालयों में दिव्यांग छात्रों के लिए सुविधाओं का अध्ययन करना।
- बाँदा जनपद के परिषदीय विद्यालयों की शिक्षण पद्धति का अध्यन करना।
- बाँदा जनपद के परिषदीय विद्यालयों की बार्षिक प्रगति का अध्यन करना।
- बाँदा जनपद के परिषदीय विद्यालयों के विकास में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना।

1.7 अध्ययन का परिसीमन

प्रत्येक शोध की एक सीमा होती है और उस शोध से प्राप्त निष्कर्ष शोध की उस सीमा तक ही वैध होते हैं। इसलिए शोध का परिसीमन करना अत्यंत आवश्यक है। इसी क्रम में प्रस्तुत शोध की सीमाएँ निम्न प्रकार हैं-

1-प्रस्तुत शोध में बाँदा जनपद के कतिपय परिषदीय विद्यालयों को सम्मिलित किया गया है।

2-प्रस्तुत शोध उत्तर प्रदेश के बाँदा जनपद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षिक क्रियाकलापों एवं भौतिक सुविधाओं तक ही सीमित है।

1.8 अध्ययन का महत्व एवं सार्थकता

आजादी के लगभग 59 वर्षों के रुझान से प्राथमिक शिक्षा का उत्थान संतोषजनक नहीं रहा है। जिस प्रकार से भारत में विभिन्न तकनीकी का महत्व औद्योगिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है उसी प्रकार से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास हुआ है। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति का आलोचनात्मक अध्ययन करना अपरिहार्य है। सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालय के शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं? किस प्रकार से बाँदा जनपद के परिषदीय विद्यालयों की शैक्षिक प्रगति, सामाजिक प्रगति हुई है? परिषदीय विद्यालयों के अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों का योगदान कितना सार्थक रहा है? विद्यालयों में किए गए परिवर्तनों से विद्यालयों में

छात्रों की नामांकन स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है? विद्यालय में तकनीकी विकास का छात्रों की शैक्षिक प्रगति पर क्या प्रभाव पड़ा है?

वर्तमान समय में केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े, निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, मध्यान्ह भोजन योजना और मॉडल स्कूल योजना आज कितनी सार्थक एवं उपयोगी साबित हुई है? वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी का कितना विकास हुआ है? और किन-किन स्तर पर यह छात्रों को प्रदान की जाती है? इस शोध में इन सब तथ्यों का अध्ययन किया जाएगा।

अध्याय द्वितीय

'सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण'

अध्याय : द्वितीय
सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण

2.1 प्रस्तावना

मनुष्य अतीत से संचित अभिलेखित ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान का सृजन करता है। मानव द्वारा अर्जित समस्त ज्ञान पुस्तकों में समाहित होता है। ज्ञान के किसी भी क्षेत्र में नवीन ज्ञान पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके लिए संबंधित साहित्य का अध्ययन करना शोध कार्य की आधारशिला है। संबंधित साहित्य से तात्पर्य उन सभी पुस्तकों, पत्रपत्रिकाओं कामा प्रकाशित एवं अप्रकाशित शोध प्रबंधों और - अभिलेखों आदि से जिन के अध्ययन से अनुसंधानकर्ता को कार्य करने की दिशा मिलती है। जब तक इस क्या कार्य हुए हैं-बात का ज्ञान न हो कि उस क्षेत्र में क्या? किस विधा से कार्य किया गया है? उसके निष्कर्ष क्या आए हैं? तब तक ना तो समस्या का निर्धारण किया जा सकता है और न ही रूपरेखा तैयार की जा सकती है।

संबंधित साहित्य के अध्ययन के बिना अनुसंधानकर्ता का कार्य अंधेरे में तीर मारने के समान होगा। इसके अभाव में वह सही दिशा की ओर अग्रसर नहीं हो सकेगा। जब तक उसे यह ज्ञात ना हो कि उस क्षेत्र में कितना कार्य हो चुका है, किस विधि से काम किया गया है तथा उसके निष्कर्ष क्या आए हैं, तब तक वह न तो समस्या का निर्धारण कर सकता है और ना ही रूपरेखा तैयार कर कार्य को संपन्न कर सकता है अर्थात प्रत्येक शोध कार्य के लिए आवश्यक है, कि प्रारंभ में समस्या का चयन, शोध विधि व तकनीक को भलीभांति निश्चित कर लिया जाए। साथ ही यह भी अति आवश्यक है कि संबंधित साहित्य के अध्ययन से यह जानकारी प्राप्त कर ली जाए कि क्षेत्र विशेष में कितना कार्य हो चुका है। अतः संबंधित साहित्य के अध्ययन के बिना अनुसंधानकर्ता का कार्य बिना नाविक नाव के समान होगा। पुरातन ज्ञान के अनुपम एवं अतुल भंडार के आधार पर ही मानव जीवन ज्ञान की नवीन खोज की ओर अग्रसर होता है। संबंधित साहित्य के महत्व को अलग-अलग शिक्षाविदों ने निम्न प्रकार से स्पष्ट किया है-

चार्टर वीगुड . के अनुसार- "मुद्रित साहित्य के अपार भंडार की कुंजी अर्थपूर्ण समस्या और विश्लेषणीय परिकल्पनाओं के स्रोतों का द्वार खोल देती है तथा समस्या के परिभाषीकण अध्ययन की

विधि के चुनाव तथा प्राप्त सामग्री की तुलनात्मक विश्लेषण में सहायता करती हैं। वास्तव में रचनात्मक मौलिकता तथा चिंतन के विकास हेतु विस्तृत एवं गंभीर अध्ययन आवश्यक है।"

डब्ल्यू-जॉर्ज के अनुसार .आर ." किसी क्षेत्र का साहित्य उस आधारशिला के समान है जिस पर संपूर्ण भावी कार्य आधारित होता है। यदि संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण द्वारा इस नियम को धारण नहीं कर लेते, तो कार्य के प्रभावी होने की संभावना कां है अथवा पुनरावृति भी हो सकती है।"

बोर्ग के अनुसार-" शैक्षणिक शोध में संबंधित साहित्य का अध्ययन किसी शोधकर्ता के लिए किसी समस्या विशेष के मूल में पहुँचने का एक महत्वपूर्ण साधन है।"

2.2 प्राथमिक शिक्षा से संबंधित शोध अध्ययन

आचार्य प्रशांत कुमार, बहरा मनोरंजन)2004) ने प्राथमिक शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान द्वारा प्रदत्त अनुदान तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण के विषय में उड़ीसा के दो जिलों में अध्ययन किया तथा देखा कि शिक्षकों को प्राप्त अनुदान राशि तथा प्रशिक्षण का शिक्षकों की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। विद्यालय में प्राप्त अनुदान राशि का सही जगह उपयोग भी नहीं हो पा रहा है। इसी कारण प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में विद्यालयों के नामांकन में वृद्धि नहीं हो रही है। इसके लिए शिक्षकों को प्रभावी प्रशिक्षण देना आवश्यक है।

अंबेडकर, आर एल)2011) ने महाराष्ट्र जिले के अकोला जिले में मुफ्त एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार विधेयक के संबंध में अध्ययन कर जाना कि मुफ्त एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के प्रति अध्यापकों का दृष्टिकोण जागरूकता की अपेक्षा अधिक अनुकूल है तथा अध्यापकों की जागरूकता एवं दृष्टिकोण में उच्च सहसंबंध स्थापित हैं। प्रस्तुत निष्कर्ष के आधार पर विधेयक में दिए गए प्रावधानों का प्रशिक्षण अध्यापकों को देना आवश्यक है जिससे अध्यापकों को इस अधिकार की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके ताकि इसका सही प्रकार से क्रियान्वयन हो और अधिकार में निहित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके।

भादोरिया, मर्दना एवं गोरे रश्मि)2011) ने प्राथमिक शिक्षा में विद्यार्थियों के बीच में ही विद्यालय छोड़ने विशेष रूप से छात्राओं के विद्यालय छोड़ने के विषय में अध्ययन किया। अध्ययन के लिए कानपुर शहर के ग्रामीण इलाकों को चुना गया। शोध के अंतर्गत पाया गया कि प्राथमिक विद्यालयों

में विद्यार्थियों के बीच में पढ़ाई छोड़ने का मुख्य कारण आर्थिक व्यवस्था , अवांछित सामाजिक वातावरण तथा शिक्षा को नकारात्मक मानना मुख्य रूप से कारण हैं।

बेटेली, तारा)2002) में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के संदर्भ में अध्ययन किया की प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण सिर्फ मात्रात्मक नहीं होना चाहिए बल्कि वह गुणात्मक रूप में होता है कि प्राथमिक शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। अतः सार्वभौमीकरण के लाभ को तर्कसंगत भारत पूर्ण रूप से पूरा किया जाए तभी प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

दास, राजकुमार)2006-07) ने प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में आने वाली समस्याओं पर असम राज्य के नाखेटा जिले में अध्ययन किया अध्ययन में सामाजिकआर्थिक स्तर कमा मुस्लिम संप्रदाय में - सांस्कृतिक बाधा कमा प्राथमिक विद्यालयों की भौतिकी स्थिति एवं पाठ्यक्रम सम्मिलित किया। शोध से पता लगा कि प्राथमिक शिक्षा के समक्ष आने वाली समस्याओं का कुछ कारण अभिभावकों का अशिक्षित होना, परिवार की खराब आर्थिक स्थिति तथा बालिका शिक्षा के लिए रूढ़िवादी मान्यताओं और चिकित्सा सुविधाओं का अभाव आदि है।

दुबे, भावेश)2011) ने प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के संदर्भ में गठित ग्राम शिक्षा समिति पर फतेहाबाद जिले में अध्ययन किया है। यह अध्ययन फतेहाबाद के 10 ग्राम समितियों में स्थित विद्यालयों में किया गया है तथा इसकी जानकारी महिला व पुरुष क्षेत्र से ही प्राप्त की जाती है। शोध के अध्ययन से पाया गया कि अधिकतर ग्राम शिक्षा समिति की बैठक नियमित एवं प्रभावी होती है जिससे विद्यालय में बच्चों की संख्या काफी बढ़ी है।

इवॉल्युशन ऑर्गनाईजेसन)2010) ने सर्वशिक्षा अभियान के संदर्भ में मूल्यांकन किया और यह जाना कि सर्व शिक्षा अभियान अपने शोध के उद्देश्यों काम अवधारणाओं को जो योजना में बनाए गए थे पूरा कर पाया है। शोध के अंतर्गत पाया गया कि अधिकतर ग्रामीण सरकारी विद्यालयों में सभी विद्यार्थियों के नामांकन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है तथा विद्यालयों में शिक्षकों की कमी एक विद्यालय में । शिक्षक तथा सरकार द्वारा निरीक्षण की कमी लगातार बनी हुई है।

इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ़ मैनेजमेन्ट)1994) ने क्षेत्र सर्वेक्षण विधि द्वारा ग्रामीण व शहरी असम में यादृक्षिक विधि द्वारा अध्ययन किया। शोध के अध्ययन से ज्ञात होता है कि असम में 5 वर्ष से

अधिक के 61.43% बच्चे साक्षर हैं। पुरुष साक्षरता स्तर 69.43% अधिक है अपेक्षाकृत महिला साक्षरता के तथा 6 से 9 वर्ष तक के लगभग 1/5 बच्चे किसी भी विद्यालय में नामांकित नहीं है।

गुप्ता, नरेश कुमार ने प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान की योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का अध्ययन किया तथा अध्ययन के लिए 18 राज्यों को सम्मिलित किया गया। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की सहायता के लिए प्रश्नों के उत्तर तत्काल प्राप्त कर उनका निर्णय किया जा सकता है तथा तुरंत कार्यवाही की जा सकती है।

कौशिक, कपिल)2010) ने मथुरा जिले में प्राथमिक शिक्षा के समक्ष आने वाली समस्या के संदर्भ में अध्ययन किया है। अध्ययन के अंतर्गत पाया गया कि मथुरा जिले के उस ब्लाक में प्राथमिक शिक्षा में विद्यार्थियों के नामांकन अधिक प्रभावी नहीं है। इसका मुख्य कारण वहां के लोगों की खराब आर्थिक स्थिति है ना कि विभाग की शैक्षिक व्यवस्था।

कोठारी,वी) .ए .2004) में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के विषय में शोध किया कि बच्चों के संपूर्ण विकास की अवस्था में जैसेलिंग-, आयु, ग्रामीण, शहरी, पूंजीवादी, गरीब, शारीरिक व मानसिक पक्ष से भारत अभी भी मध्य विकास की श्रेणी में आता है। देश की साक्षरता का स्तर देखकर कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा प्रदत्त करोड़ों रुपए के अनुदान के बावजूद हम 6-14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा के नामांकन के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए हैं। प्राथमिक शिक्षा व विद्यालयों की उदासीनता नामांकन पर प्रभाव डालती है।

खन्ना, ऋतु)2012) ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों हेतु किए गए प्रयासों का अध्ययन उदयपुर संभाग की राजकीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में किया है। उपरोक्त शोध में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों हेतु किए गए प्रयासों में गतिविधियों में उपस्थित विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की वृद्धि तथा उनमें विद्यालय की शैक्षिकसहशैक्षिक - गतिविधियाँ एवं जीवन के प्रति सजगता एवं सकारात्मकता देखी गई। यदि अभियान में इसी प्रकार निर्धारित गतिविधियों का क्रियान्वन किया जाएँ तो उदयपुर सहित पूरे राष्ट्र के विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए सफलता अर्जित की जा सकती है।

मेहरोत्रा, संतोष)2006) ने शोध में प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य की पूर्ति के संदर्भ में कार्य किया है, जिसके अंतर्गत यह जाना गया कि 2007 तक 5 साल व 2010 तक 8 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा बच्चों द्वारा प्राप्त की गई है। उपरोक्त शोध में पाया गया कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के स्तर में सुधार, विस्तार पाया गया है। साथ ही शिक्षकों की गुणवत्ता स्तर, विद्यालयों की भौतिक सुख सुविधाओं तथा छात्रों में उपलब्धि स्तर में भी अंतर पाया गया है।

मिश्र, अरुण कुमार)2011) ने प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ने के कारणों का अध्ययन शाहजहांपुर जनपद के नगर तंत्र में नामांकित विद्यालयों में से विद्यालय छोड़ने वाले 50% विद्यार्थियों पर किया। आंकड़ों के आधार पर यह पाया गया कि प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की तुलना में छात्राओं के विद्यालय छोड़ने की दर अधिक है तथा उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले विद्यार्थियों की तुलना में निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले विद्यार्थियों की विद्यालय बीच में ही छोड़ने की दर अधिक है। विद्यालय छोड़ने के मुख्य कारण मातापिता की अशिक्षा-, गरीबी, विद्यालयों का अनाकर्षक वातावरण, किताबी शिक्षा सुविधा विहीनता आदि है। अतः आवश्यक है कि शिक्षण व्यवस्था में सुधार करके विद्यालय छोड़ने की समस्या को दूर किया जाएँ।

शंकर, सिद्धार्थ एवं भेटिया)2010) में प्राथमिक शिक्षा में लिंग भेद के संदर्भ में अध्ययन किया है। पश्चिम बंगाल में लड़कियों महिलाओं की प्राथमिक शिक्षा में स्थिति अच्छी नहीं है इसलिए वहां छात्राओं के नामांकन में भी कमी है इसका मुख्य कारण खराब आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक मान्यताएँ हैं।

सिंह, नरेंद्र कुमार एवं यादव, महेंद्र)2011) ने प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए अभिभावकों के विचार के संदर्भ में शोध कार्य किया है यह कार्य उन्होंने जौनपुर जनपद में किया। यह अध्ययन बीप्रशिक्षण प्राप्त .सी .टी ., विशिष्ट बी प्रशिक्षण प्राप्त तथा .सी .टी .30 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षामित्र , जिनके प्रति अभिभावकों के विचार प्राप्त किए गए।अध्ययन के लिए स्वयं निर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया तथा शोध में पाया गया कि शिक्षा को गुणात्मक प्रभाव की दिशा में बढ़ाने के लिए बीप्रशिक्षित अध्यापकों को ही रखा जाना चाहिए। .सी .टी .

सोनी, आरवीएल)2011) ने प्राथमिक शिक्षा तथा सर्व शिक्षा अभियान से नामांकन, शिक्षकों की नियुक्ति, पाठ्यपुस्तक तथा आकर्षक विद्यालय वातावरण के संदर्भ में अध्ययन कर पाया है कि

प्राथमिक विद्यालयों में विकलांग बच्चों तथा सामान्य बच्चों को साक्षरता के लिए विद्यालय में लगातार अधिक उपस्थिति आवश्यक है विशिष्ट शिक्षक पाठ्यपुस्तक की व्यवस्था भी संतुष्टिपूर्ण नहीं है तथा एक स्वतंत्र मूल्यांकन की भी आवश्यकता है।

2.3 अध्ययन से संबंधित समाचार एवं पत्र पत्रिकाएँ

- **बाढ़बालू को बदनाम गांव में बालिका शिक्षा परवान चढ़ी-**

बाढ़ और बालू के लिए चर्चित रहे गांव की शोहरत अब बालिका शिक्षा के मॉडल के रूप में हुई है। सरकारी बजट के बगैर आम लोगों की मदद से गांव के कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय की हुंई कायापलट के बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने इसे अपना मॉडल विद्यालय घोषित कर दिया है।

बाढ़ और बालू के लिए चर्चित रहे गांव की शोहरत अब बालिका शिक्षा के मॉडल के रूप में हुई है। सरकारी बजट के बगैर आम लोगों की मदद से गांव के कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय की हुई कायापलट के बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने इसे अपना मॉडल विद्यालय घोषित कर दिया है।

- **बांदाप्रधानाचार्य ने कन्या विद्यालय को हाईटेक कर बना दिया कान्वेंट स्कूल :**

शहर कोतवाली क्षेत्र में केन नदी के किनारे बाढ़ पीड़ित इलाके बसा कनवारा गांव हैयहां बने . कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य आशुतोष त्रिपाठी ने बिना किसी सरकारी सहयोग के इन्होंने यहां पढ़ने वाली छात्राओं के .अपने विद्यालय को कान्वेंट स्कूलों की तरह ही हाईटेक कर दिया है लिए स्मार्ट क्लास बनाई है।

- **गांव का ये सरकारी स्कूल सब पर भारी**

परिषदीय विद्यालयों की बदहाली हल करने के लिए सभी सरकारों ने कुछ न कुछ उपाय किये लेकिन विभिन्न कारणों की वजह से सरकार की योजनाएं परवान चढ़ने से पहले फ्लाप हो गयी। वर्तमान भाजपा सरकार ने भी परिषदीय विद्यालयों की दशा व दिशा सुधारने के लिए कोई न कोई उपाय किये। पूर्ववर्ती सपा सरकार ने परिषदीय विद्यालयों को मॉडल स्कूल में बदलने के लिए मुहिम शुरू की थी। उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश की योगी सरकार ने भी कुछ परिषदीय विद्यालयों को मॉडल स्कूल में परिवर्तित करने के लिए चिन्हित किया, और इसके लिए अध्यापकों की नियुक्ति भी की गई। साथ ही

सरकार ने कायाकल्प योजना के तहत धन भी आवंटित किया। इसके बाद भी योजना शुरू होने के दो साल बाद भी परिषदीय स्कूलों की बदहाली दूर नही हुई।

मात्र चित्रकूट धाम मण्डल के जनपद बाँदा में एक परिषदीय विद्यालय है, जो अध्यापक की अपनी मेहनत व जनसहयोग से कायाकल्प करने में सफल हुआ है। यह विद्यालय है कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय कनवारा 2, जो बड़ोखर खुर्द ब्लाक के अंतर्गत है। यह गांव बाढ़ प्रभावित है, जहां के लोग हर साल बाढ़ आने से परेशान हो जाते है। इस इलाके से बालू निकलती है, जिससे यहां के लोग बालू के धंधे में लिप्त रहते है और बच्चे भी शिक्षा के मामले में रूचि नही लेते है। परन्तु इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक आशुतोष त्रिपाठी ने इस गांव के बच्चों को न सिर्फ पढ़ने के लिए प्रेरित किया बल्कि विद्यालय को भी सामुदायिक सहभागिता से नया स्वरूप प्रदान किया। इस समय विद्यालय में बच्चों के लिए पांच कम्प्यूटर सेट, प्रत्येक कक्षा में बच्चों के लिए स्मार्ट टीवी, साथ ही पूरा स्कूल वाईफाई की सुविधा से परिपूर्ण है। इतना ही नही विद्यालय की निगरानी ले लिए सीसी टीवी कैमरे, इन्वर्टर और बच्चों को ठण्डा पानी पीने के लिए फ्रिज भी मुहैया कराया गया है।

प्रधानाध्यापक ने बच्चों के खेलकूद का भी ध्यान रखा है। विद्यालय के आसपास स्वच्छ वातावरण, खेलकूद का सामान और पुस्तकालय भी विद्यालय में मौजूद है। बच्चों के सहयोग से किचेन गार्डन भी बनाया गया है। कुल मिलाकर यह ऐसा मॉडल स्कूल है जो किसी भी पब्लिक स्कूल से कम नही है। विद्यालय की तस्वीर बदलने में अध्यापकों के साथसाथ बच्चों का भी योगदान है। अगर इस - विद्यालय से प्रेरणा लेकर अन्य परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक भी पुरातन पद्धति को बदलकर विद्यालयों को एक नया स्वरूप दे तो निश्चित ही शिक्षा के क्षेत्र में 'क्रांतिकारी परिवर्तन' आ सकता है।

इस सम्बंध में विद्यालय के प्रधानाध्यापक आशुतोष त्रिपाठी का कहना है कि विद्यालय की 'कायाकल्प' बिना किसी सरकारी सहायता के की गई है। इसमें विद्यालय की अध्यापिका अंजना और शिक्षक अजय सिंह व परिचालक प्रमोद सिंह की मेहनत भी शामिल है। इस विद्यालय में गरीब बच्चों की संख्या ज्यादा है, इसलिए हमारा प्रयास है कि उन्हें पब्लिक स्कूलों की तरह बेहतर शिक्षा मिले। भविष्य में भी विद्यालय को और बेहतर व सुविधायुक्त का प्रयास विद्यालय के छात्राओं के साथ मिलकर किया जाएगा। इस विद्यालय में किये गए कायाकल्प की प्रशंसा जिलाधिकारी हीरालाल व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरिशचन्द नाथ भी कर चुकें है।

आशुतोष त्रिपाठी बताते हैं, इस विद्यालय में बच्चों के लिए पांच कम्प्यूटर सेट, प्रत्येक कक्षा में बच्चों के लिए स्मार्ट टीवी, साथ ही पूरा स्कूल वाईफाई की सुविधा से परिपूर्ण है। इतना ही नही विद्यालय की निगरानी ले लिए सीसी टीवी कैमरे, इन्वर्टर और बच्चों को ठण्डा पानी पीने के लिए फ्रिज भी मुहैया कराया गया है, साथ ही बच्चों के खेलकूद का भी ध्यान रखा गया है । विद्यालय के आसपास स्वच्छ वातावरण, खेलकूद का सामान और पुस्तकालय भी विद्यालय में मौजूद है। बच्चों के सहयोग से किचेन गार्डन भी बनाया गया है। कुल मिलाकर यह एक ऐसा मॉडल स्कूल है जो किसी भी पब्लिक स्कूल से कम नही है।

- **स्कूल संवार अंजू ने हासिल किया शिक्षक सम्मान**

बांदा - शिक्षक दिवस पर लखनऊ में मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित हो रहे शिक्षकों में बांदा की अंजू गुप्ता भी शामिल हैं। वे महुआ ब्लाक के खम्हौरा गांव के प्राथमिक विद्यालय भागएक में तैनात हैं। - यह सम्मान पाने वाली इस वर्ष की इकलौती शिक्षक हैं, जिन्हें यह सम्मान विद्यालय में 'बेस्ट मैनेजमेंट' बेहतर शिक्षा के लिए दिया जा रहा है। अंजू ने अपने विद्यालय को बिना खर्च के आधुनिक सुविधाओं से लैस मॉडल स्कूल बनाया है। अवकाश के दिनों में भी गांव में शिक्षा की अलख जगाते हुए पूरे जिले में सबसे ज्यादा बच्चों के दाखिले का रिकार्ड बनाया।

मूलरूप से बांदा नगर की रहने वालीं अंजू गुप्ता वर्ष 2017 में इस विद्यालय में प्रधानाध्यापक नियुक्त हुईं। श्रमदान कर विद्यालय के प्रांगण, किचेनशेड, शौचालयों को बेहतर बनाया। स्वच्छता, खेलकूद, योग, सांस्कृतिक व सभी त्योहारों पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए। गांव के एक साफ्टवेयर इंजीनियर के सहयोग से बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दे रही हैं। अंजू की शैक्षिक योग्यता एमएड है। उन्हें राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, अतर्रा और प्रदेश के शिक्षा निदेशक सर्वेंद्र विक्रम बहादुर ने 26 अप्रैल 2019 को सम्मानित किया था।

- **शिक्षिका में है काम करने का जुनून**

बांदा - बीएसए हरिश्चंद्र नाथ का कहना है कि अंजू गुप्ता में अपने दायित्वों के अलावा सकारात्मक कार्यों का जुनून है। वह अवकाश के दिनों में भी विद्यालय पहुंचकर बच्चों के बीच रहती हैं। हर त्योहार बच्चों की बीच मनाती है। बच्चे भी शिक्षिका को अपने से अलग नहीं करना चाहते है। विद्यालय का शैक्षिक स्तर भी बेहतर है।

2.4 समीक्षात्मक निष्कर्ष

संबंधित साहित्य के अध्ययन एवं चिंतन से यह स्पष्ट होता है है कि इनके शोध प्रमाण प्रस्तुत अध्ययन के अनुसंधान अभिकल्प के निर्माण के लिए आधार प्रदान करते हैं। शिक्षा ही ऐसा हथियार है जिसमें वांछित सामाजिक राजनीतिक धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण में सुधार किया जा सकता है। उल्लिखित अध्ययन की समीक्षा के आधार पर एवं समाचार पत्र के आधार पर शोधकर्ता ने पाया कि प्राथमिक विद्यालय के पुनर्निर्माण एवं शिक्षा नीति के बदलाव की अत्यंत आवश्यकता है। प्राथमिक विद्यालयों पर तो बहुत सारे शोध हुए हैं परंतु उसकी अनुकरणीय पहल के लिए कोई शोध नहीं हुआ है। बाँदा जिले के कतिपय परिषदीय विद्यालय तो ऐसे हैं जिनका शैक्षिक पर्यावरण, भवन, विद्यालय की भौतिक सुविधाएँ निजी विद्यालयों से भी अधिक आकर्षक हैं। इन विद्यालयों की अनुकरणीय पहल काफी सराहनीय है। शोधकर्ता का ऐसा विश्वास है कि- "बांदा जनपद के अनुकरणीय परिषदीय विद्यालय एक अध्ययन" विषय पर किया गया शोध कार्य अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।

अध्याय तृतीय

‘शोध अध्ययन की प्रक्रिया’

अध्याय : तृतीय
शोध अध्ययन की प्रक्रिया

3.1 प्रस्तावना

अनुसंधान मानव को प्रगति की ओर ले जाने में एक आवश्यक तथा शक्तिशाली उपकरण सिद्ध हुआ है। क्रमबद्ध अनुशासन के अभाव में आज की प्रगति जो हम वास्तव में देख रहे हैं, वह निश्चय ही कभी भी संभव नहीं हो सकती थी। जान डब्ल्यू बेस्ट)1959) के शब्दों मेंहमारे - "सांस्कृतिक विकास का गुप्त रहस्य अनुसंधान में निहित है। अनुसंधान नए सत्यों की खोज द्वारा अज्ञानता के क्षेत्रों को समाप्त कर देता है और वे सत्य हमें कार्य करने की श्रेष्ठतम विधियां तथा उत्तमतर परिणाम प्रदान करते हैं।"

शिक्षा में क्रमबद्ध अनुसंधान पर आधारित निर्णय निश्चित रूप से समय,धन तथा शक्ति की बचत करके हमारी बहुत सी असफलता तथा भग्नाशा से रक्षा करके हमें प्रगति की ओर ले जाते हैं। अतः अनुसंधान की आवश्यकता को देखते हुए इसके अर्थ,लक्षणों एवं विशेषताओं को जानना अनिवार्य है। इस संदर्भ में बेस्ट का विचार है कि- "वैज्ञानिक पद्धति पर विश्लेषण करने की अपेक्षाकृत अधिक औपचारिक क्रमबद्ध व गहन प्रक्रिया को अनुसंधान माना जाता है इसमें अन्वेषण का अधिक क्रमबद्ध ढाँचा रहता है जिसकी परिणति कुछ इस प्रकार की क्रिया विधियों के औपचारिक लेखे तथा परिणाम या निष्कर्षों के प्रतिवेदन में होती है।" विभिन्न प्रकार की समस्याओं की प्रकृति पर निर्भर करता है कि अनुसंधान कैसा होगा? अथवा उसकी अध्ययन प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया किसी कार्य को सुचारु रूप से संपादित करने की एक नितांत आवश्यक स्थिति है। शोध में प्रक्रिया का निर्धारण एवं उसका अनुमान निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। वस्तुतः शोध प्रक्रिया संपूर्ण शोध कार्य का प्रभावपूर्ण प्रतिबिंब होती है जिस के अध्ययन से ही पाठक को शोध की संपूर्ण रूप रेखा का परिचय प्राप्त हो जाता है।

3.2 शोध अध्ययन विधि

शोध एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत सम्पादित किया जाने वाला कार्य है। इस कार्य को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि, वैज्ञानिक शोध संरचना अर्थात् शोध विधि को उपयोग में लाया जाये। विधि का शाब्दिक अर्थ होता है कार्य सम्पन्न करने का शास्त्रसम्मत ढंग, कर्तव्य तथा निर्देश।

प्रस्तुत अध्ययन में शोध विधि के रूप मे ''वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि'' का चयन किया गया है –

3.2.1 वर्णनात्मक सर्वेक्षण

समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयोगकर्ता, शिक्षाशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, सरकार उद्योगपति तथा राजनीतिज्ञ सभी सर्वेक्षण करते है। वे वर्तमान क्रिया की सार्थकता सिद्ध करने के लिए अथवा वर्तमान क्रिया में सुधार के लिए वर्तमान दशा से सम्बन्धित आंकड़े एकत्र करते हैं। सामान्य सर्वेक्षण वर्तमान में क्या रूप है? इससे सम्बन्धित है, वर्तमान में क्या स्वरूप है? इसकी व्याख्या एवं विवेचना करता है। सर्वेक्षण की परिस्थितियाँ अथवा सम्बन्ध जो वास्तव में वर्तमान; कार्य जो हो रहा है; प्रक्रिया जो चल रही है; उसी के अध्ययन से इसका सम्बन्ध रहता है।

जॉन डब्ल्यू बेस्ट)1963) ने अपनी पुस्तक 'रिसर्च इन एजुकेशन' में सर्वेक्षण विधि के बारे में कहा है ''वर्णनात्मक अनुसंधान क्या है? का वर्णन एवं विश्लेषण करता है। परिस्थितियाँ अथवा सम्बन्ध जो वास्तव में वर्तमान हैं, अभ्यास जो चालू है, विश्वास, विचारधारा अथवा अभिवृत्तियाँ जो पायी जा रही हैं, प्रक्रियाएँ जो चल रही है, अनुभव शिक्षा से सम्बन्धित, अनुसंधान के क्षेत्र में वर्णनात्मक शोध का सबसे अधिक महत्व है। सर्वेक्षण निरीक्षणपरीक्षण की वह वैज्ञानिक पद्धति है जो कि किसी समूह की - समस्या या घटना का अध्ययन किया जाता है इसके सम्बन्ध में **जार्ज जे0 मोले)1963)** अपनी पुस्तक 'द साइंस आफ एजुकेशनल का रिसर्च' में लिखा है कि ''वर्णनात्मक अथवा सर्वेक्षण सम्बन्धी अनुसन्धान शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक व्यवहार में आता है। इसके सर्वे, नार्मेटिव सर्वे, स्टेटस और वर्णनात्मक अनुसंधान आदि अनेक नाम हैं। यह एक विस्तृत वर्गीकरण है जिसके अन्तर्गत अनेक विशिष्ट विधियाँ तथा प्रक्रियाएँ आती हैं, उद्देश्य की दृष्टि से सब लगभग समान होती हैं अर्थात अध्ययन से सम्बन्धित विषय के स्तर का निर्धारण करना जो प्राप्त किये जा रहे हैं अथवा नयी दिशाएँ जो विकसित हो रही हैं, उन्हीं से इसका सम्बन्ध है।''

शिक्षा से सम्बन्धित, अनुसंधान के क्षेत्र में वर्णनात्मक शोध का सबसे अधिक महत्व है। सर्वेक्षण निरीक्षणपरीक्षण की वह वैज्ञानिक पद्धति है जो कि किसी समूह की समस्या या घटना का अध्ययन - किया जाता है इसके सम्बन्ध में जार्ज **जे0 मोले)1963)** अपनी पुस्तक 'द साइंस आफ एजुकेशनल का रिसर्च' में लिखा है कि ''वर्णनात्मक अथवा सर्वेक्षण सम्बन्धी अनुसन्धान शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक व्यवहार में आता है। इसके सर्वे, नार्मेटिव सर्वे, स्टेटस और वर्णनात्मक अनुसंधान आदि अनेक

नाम हैं। यह एक विस्तृत वर्गीकरण है जिसके अन्तर्गत अनेक विशिष्ट विधियाँ तथा प्रक्रियाएँ आती हैं, उद्देश्य की दृष्टि से सब लगभग समान होती हैं अर्थात अध्ययन से सम्बन्धित विषय के स्तर का निर्धारण करना।''

करलिंगर)1964) के शब्दों में ''सर्वेक्षण अनुसंधान सामाजिक वैज्ञानिक अन्वेषण की वह शाखा है, जिसके अन्तर्गत व्यापक तथा कम आकार वाली जनसंख्याओं का अध्ययन उनमें से चयनित प्रतिदर्शों के आधार पर इस आशय से किया जाता है, ताकि उनमें व्याप्त सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक चरों के घटनाक्रमों वितरणों तथा पारस्परिक अन्तः सम्बन्धों का ज्ञान उपलब्ध हो सके।''

वर्णनात्मक सर्वेक्षण अध्ययन के प्रकार:

(1) विद्यालय सर्वेक्षण

(2) कार्य विश्लेषण

(3) प्रलेखी विश्लेषण

(4) जनमतसर्वेक्षण-

(5) समुदायसर्वेक्षण-

3.2.2 केस स्टडी

शोधकर्ता ने प्रस्तुत समस्या के संदर्भ में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का ही अनुसरण किया है, परंतु वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि के अंतर्गत शोधकर्ता ने इकाई अध्ययन विधि का प्रयोग किया है। इकाई अध्ययन किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था का गहनता से किया हुआ अध्ययन है, जिसमें खोजकर्ता इकाई, संस्था,केंद्र या व्यक्ति का गहराई के साथ निरीक्षण करता है। इसमें शोधकर्ता उन सभी चरों को प्राप्त करने या खोजने का प्रयास करता है, जो उसके इतिहास या उस विषय के विकास में महत्वपूर्ण हैं। इकाई अध्ययन किसी संस्था या व्यक्ति की वर्तमान अवस्था का सबसे अधिक व्यापक और गहन मूल्यांकन है। इसके द्वारा सभी कारकों का जो वर्तमान परिस्थिति को निर्धारित करते हैं, अध्ययन किया जाता है। सब कारक तत्वों का पता लगाने के लिए सभी उपलब्ध उपयुक्त पद्धतियों तथा उपकरणों का उपयोग कर, संस्था या व्यक्ति या समुदाय के संदर्भ में सभी प्रकार की जानकारियाँ एकत्र की जाती हैं। इकाई अध्ययन द्वारा इकाई की वर्तमान अवस्था का वर्णन सूक्ष्म गतिशील कारकों के परिप्रेक्ष्य में होता है। अतः कहा जा सकता है कि इकाई अध्ययन किसी इकाई का गहन अध्ययन है, जिसके कारण उस इकाई की वर्तमान

अवस्था की जानकारी हो, उसके कारणों का पता लग सके, निदान किया जा सके और सुधार का प्रयास किया जा सके। विभिन्न विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता व मनोविशेषज्ञों आदि के सामने अनेक ऐसी परिस्थितियां आती हैं, जब उन्हें किसी व्यक्ति अथवा संस्था का अध्ययन करना पड़ता है। अतः ऐसे समय में हम इकाई अध्ययन का ही प्रयोग करते हैं,जिसमें सामान्यतएक समय में केवल : एक ही स्थिति पर ध्यान दिया जाता है तथा उससे संबंधित विभिन्न चरों को इकट्ठा कर उनका मापन एक ही समय में अनेक बिंदुओं पर किया जाता है।

3.3 शोध जनसंख्या

सभी प्रकार के शोधकार्यों में शोधकर्ता अपने शोध अध्ययन के संदर्भ में जनसंख्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है तथा उसकी पहचान करके रखता है। जनसंख्या या जिसे समष्टि भी कहा जाता है से तात्पर्य सम्पूर्ण इकाइयों के निरीक्षण से होता हैं। अर्थात जनसंख्या से आशय इकाइयों के समूचे समूह को जिसके लिए चर का मान निकालना अभीष्ट है। जनसंख्या में एक विशिष्ट समूह के समस्त व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है इनमें से कुछ इकाइयों के निरीक्षण तथा मापन से जनसंख्या की विशेषताओं के सम्बन्ध में शोधकर्ता एक अनुमान या निष्कर्ष पर पहुँचता है।

3.3.1 बाँदा जनपद के समस्त परिषदीय विद्यालय

प्रस्तुत शोध में अध्ययन के लिए बाँदा जनपद का चयन किया गया है जो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैले सांस्कृतिक प्रदेश बुंदेलखंड में स्थित है, जो ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक परंपराओं एवं धार्मिक स्थलों के लिए विश्व प्रसिद्ध है।

बांदा के वर्तमान जिले में पांच तहसील-बांदा, नरैनी, बबेरू, पैलानी और अतर्रा और आठ ब्लॉक बडोखरखुर्द-, जसपुरा, तिंदवारी, नरैनी, महुआ, बबेरू, बिसंडा और कमासिन शामिल हैं।
ब्लॉकों में विद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार है-

सम्पूर्ण बाँदा जनपद में कुल 2034 परिषदीय विद्यालय हैं जिनमें से1392 प्राथमिक विद्यालय)जूनियर बेसिक(तथा 642उच्च प्राथमिक विद्यालय)पूर्व माध्यमिक विद्यालयहैं। (

3.4 न्यादर्श

जनसंख्या का एक ऐसा लघु अंश होता है जो पूरे जनसंख्या का वास्तविक रूप में प्रतिनिधित्व करता है। अधिकांश शोध अध्ययन न्यादर्श आधारित ही होता है क्योंकि पूरी जनसंख्या पर अध्ययन

करना न तो व्यावहारिक है और न वैज्ञानिक शुद्धता को दृष्टिगत रखकर संभव या वांछनीय है। अतः प्रस्तुत शोध अध्ययन में न्यादर्श के रूप में बाँदाजिले के 6 परिषदीय विद्यालयों का चयन किया गया है।

3.4.1 जनपद का चयन एवं न्यायोचितता

प्रस्तुत शोध में अध्ययन के लिए बाँदा जनपद का चयन किया गया है जो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैले सांस्कृतिक प्रदेश बुंदेलखंड में स्थित है, जो ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक परंपराओं एवं धार्मिक स्थलों के लिए विश्व प्रसिद्ध है परंतु शैक्षिक रूप में काफी पिछड़ा हुआ है। अतः शोधकर्ता ने अपने शोध कार्य के लिए बाँदा जनपद का चयन किया है।

शोधकर्ता बाँदा जनपद में स्थित अतर्रा पीजी कॉलेज अतर्रा बाँदामें ही अध्ययनरत है। अतः सुविधा की दृष्टि से सुधार थी ने बाँदा जनपद का चयन किया है। क्योंकि शोधार्थी बाँदा जनपद में ही अध्यनरत है अतः उसका नैतिक उत्तरदायित्व है कि वह पहले संबंधित जनपद की समस्या का अध्ययन करे।

3.4.2 न्यादर्श चयन विधि

न्यादर्श चयन की अनेक विधियां हैं। उन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम, संभाव्यता पर आधारित न्यादर्श विधियां तथा द्वितीय,असंभाव्यता पर आधारित न्यादर्श विधियां।

- **संभाव्य न्यादर्श विधि के प्रकार**

संभाव्यता पर आधारित न्यादर्श विधियां वे हैं जिनमें न्यादर्श की इकाईयों के चुने जाने की संभावना एक जैसी या समान होती है। दूसरे शब्दों में न्यादर्श की इन इकाइयों को याद रक्षिता या संयोग के आधार पर चयन करने से है। संभाव्यता पर आधारित न्यादर्श चयन की निम्नलिखित मुख्यतचार : -विधियां हैं

- **साधारण यादृच्छ न्यादर्श चयन विधि**

इस विधि के अनुसार जनसंख्या के सभी सदस्य या इकाइयों को न्यादर्श में शामिल करने की दृष्टि से समान एवं स्वतंत्र अवसर उपलब्ध कराया जाता है। इकाइयों का चयन पूर्णतवस्तुनिष्ठता एवं : सहयोग के अनुसार किया जाता है। यहा समान शब्द से अभिप्राय है कि प्रत्येक चयन बिंदु पर जनसंख्या की शेष इकाइयों या सदस्यों को चुने जाने का एक ही जैसा अवसर उपलब्ध होता है। स्वतंत्र शब्द का

अर्थ यह है कि न्यादर्श की सभी इकाइयां एक दूसरे पर निर्भरता के आधार पर नहीं चयनित होती तथा जनसंख्या की समस्त इकाइयां न्यादर्श में चयनित होने की बराबर बराबर संभावना रहती हैं। यह विधि लॉटरी या चित्तों द्वारा,सिक्कों को उछाल कर अथवा रैण्डम नंबर की तालिका के आधार पर प्रयोग में लाई जाती है। जब किसी सीमित समग्र या जनसंख्या द्वारा न्यादर्श का चयन करना होता है तो उसके समस्त सदस्यों का नामांकन अलगअलग चितों- पर लिख लिया जाता है और उन्हें पुनः एक साथ मिलाकर एक एक करके चित उठाए जाते हैं और संयोगवश जिस किसी सदस्य के नाम का वह चित होता है उसे न्यादर्श में शामिल कर लिया जाता है। यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि अनुसंधानकर्ता इच्छित आकार का न्यादर्श नहीं प्राप्त कर लेता है। इस विधि द्वारा विजातीय जनसंख्या से सही प्रतिनिधित्व करने वाले न्यादर्श का चयन करना संभव नहीं है। हालांकि इस विधि से न्यादर्श में पूर्णतवस्तुनिष्ठता बनी रहती है :, किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं हो पाता है।

- **स्तरित न्यादर्श चयन विधि**

शैक्षिक एवं व्यवहारवादी विज्ञानों से संबंधित शोधों के तहत जिन संख्याओं का अध्ययन किया जाता है वे प्रायअपरिमित एवं विजातीय अर्थात बहुलाँगी एवं कई उप समूहों में विभक्त होने लायक होते : हैं। ये उपवर्ग शोध के उद्देश्यों के अनुसार बनाए जा सकते हैं, जैसे-आयु,लिंग,आवासीय स्थान जाति वर्ग सामाजिक आर्थिक स्तर शिक्षा धर्म आदि के अनुसार जनसंख्या को कई उप समूहों में बांटा जा सकता है। यदि जनसंख्या इस प्रकार की भी विजातीयता या विषमता लिए हुए हो तो स्तरित न्यादर्श चयन की विधि से अच्छे न्यादर्श का चुनाव कर सकने की संभावना अधिक होती है। इस विधि के लिए यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम जनसंख्या के उपयुक्त स्तरों या उप समूहों की पहचान कर उन्हें परिभाषित कर लिया जाए। इसके बाद उन स्तरों से सदस्यों या इकाइयों को आनुपातिक रूप में चुनना पड़ता है। इसीलिए इस विधि को आनुपातिक न्यादर्श चयन विधि भी कहते हैं। इस प्रकार स्तरीय न्यादर्श विधि न्यादर्श के तीनों गुण-प्रतिनिधित्व की क्षमता कुशलता एवं परिशुद्धता के द्वारा शोध की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक होते हैं।

- **व्यवस्थित न्यादर्श चयन विधि**

इस विधि में न्यादर्श का चयन एक व्यवस्था के अनुसार किया जाता है। यह यादृच्छिक न्यादर्श चयन प्रक्रिया का ही अन्य रूप है इस में जनसंख्या के कुल आकार में न्यादर्श के नियत किए हुए आकार से भाग देकर जो भाग जाता है उसके क्रमानुसार सदस्यों का चयन होता है।

- **गुच्छ न्यादर्श चयन विधि**

गुच्छ न्यादर्श चयन विधि के अंतर्गत चयन हेतु शामिल की जाने वाली इकाई व्यक्ति के रूप में ना होकर व्यक्तियों के ऐसे उप समूह या गुच्छ से जुड़ी होती है जिसमें कई व्यक्ति स्वाभाविक रूप में परस्पर साथ होते हैं। इसके लिए दो प्रक्रियात्मक सोपान अपेक्षित हैं। प्रथम, अध्ययन में सम्मिलित गुच्छों को सर्वप्रथम सभी संभव गुच्छों के समग्र से यादृच्छिक रूप से चयनित किया जाता है।द्वितीय, जिस गुच्छ या गुच्छों को शोध हेतु चुना जाता है उससे जुड़े सभी सदस्यों को न्यादर्श में लाना पड़ता है।

- **असंभाव्य न्यादर्श विधि के प्रकार**

इस विधि के अंतर्गत न्यादर्श में शामिल की जाने वाली इकाईयों को शोधकर्ता अपनी सुविधा या स्वविवेक के अनुसार चुनता है जिनको लेने से उसके निर्णय एवं प्रयोजन के अनुसार न्यादर्श की प्रतिनिधित्व संबंधी विशेषता प्रभावी ढंग से बढ़ जाती है। इस प्रकार से प्राप्त आधार सामग्रियों के विश्लेषण में अप्राचलिक परीक्षण का प्रयोग करना चाहिए। वस्तुतः न्यादर्श चयन का यह वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ तरीका नहीं है फिर भी अनेक शैक्षिक शोधकर्ता शोध की जटिलता एवं व्यवहारिक कठिनाइयों को देखते हुए इसका प्रयोग करते हैं। आजकल संभाव्यता पर आधारित निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जा रहा है-

- **अवस्था न्यादर्श चयन विधि**

यह समूह या गुच्छ न्यादर्श चयन विधि का ही एक रूप है इसके अंतर्गत न्यादर्श को कई अवस्थाओं में चुना जाता है जिससे बुनियादी रूप में एक न्यादर्श के आधार पर दूसरा न्यादर्श ले लिया जाता है। जैसे यदि हमें उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं का सर्वेक्षण करना हो तो सर्वप्रथम प्रत्येक जिले के विद्यालयों को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के आधार पर चुनना होगा।

- **सुविधा न्यादर्श चयन विधि**

इससे आकस्मिक न्यादर्श चयन भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले उपलब्धता की दृष्टि से सहज रूप में प्राप्त एवं निकटस्थ व्यक्तियों या इकाईयों को शोध के उत्तर दाता के रूप में चुना जाता है तथा यह प्रक्रिया तब तक चालू रखी जाती है जब तक न्यादर्श के अपेक्षित आकार के अनुसार इकाइयां नहीं मिल जाती हैं।

- **आनुपातिक न्यादर्श चयन विधि**

यह स्तरित न्यादर्श समतुल्यता रखती है। इसके अंतर्गत न्यादर्श के सदस्यों की संख्या उसी अनुपात में चुनी जाती है जिस अनुपात में वे समग्र के भीतर उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार से न्यादर्श चयन में अनुपात या कोटा निर्धारण कुछ विशेषताओं को दृष्टिगत रखकर किया जाता है तथा शोधकर्ता उसी अनुपात के अनुसार न्यादर्श चयन की प्रक्रिया को लागू करता है। आनुपातिक न्यादर्श की विधि प्राय : सर्वेक्षणों एवं साक्षात्कार पर आधारित प्रश्नावली का प्रयोग करने वाले अध्ययनों के अंतर्गत प्रयुक्त -मत होती है।

- **सोद्देश्य न्यादर्श चयन विधि**

इस प्रकार के न्यादर्श चयन विधि में शोधकर्ता स्वविवेकानुसार न्यादर्श के सदस्यों की विलक्षणता को दृष्टिगत रखकर उनका चयन करता है। यह न्यादर्श पूर्णतशोधकर्ता के निर्णय पर आश्रित : होता है तथा यह निर्णय वह स्वयं शोध के उद्देश्यों की सिद्धि हेतु करता है। उदाहरण के लिए यदि शोधकर्ता चित्रकूट जनपद के विद्यालयों में उपलब्ध शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों में 100 का चयन कर शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों की समस्याओं का अध्ययन करता है तो अध्ययन के तहत लिया गया यह न्यादर्श सोद्देश्य न्यादर्श कहा जाएगा।

- **हिम कन्दुक न्यादर्श चयन विधि**

इस न्यादर्श चयन विधि में शोधकर्ता सर्वप्रथम कुछ ऐसे सदस्यों की पहचान कर लेता है जिनमें शोध विषय से संबंधित गुण एवं विशेषताएं मौजूद हो। इसके बाद उन्हीं सदस्यों के माध्यम से अन्य ऐसे सदस्यों की पहचान कर लेता है जिनमें वैसे ही गुण विद्यमान हैं। यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक अपेक्षित मात्रा में ऐसे गुणों वाले अन्य सदस्य न मिल जाएं। उदाहरण के लिए शोधकर्ता दो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कर लेने के बाद उन्हीं दो प्रतिभाशाली बालकों के माध्यम से अपेक्षित मात्रा में अन्य प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कर लेता है। इस प्रकार के न्यादर्श चयन को हिम कन्दुक न्यादर्श चयन विधि कहते हैं।

- **विमात्मक न्यादर्श चयन विधि**

न्यादर्श चयन की यह विधि आनुपातिक न्यादर्श चयन विधि का ही विकसित एवं प्रचलित रूप है। इसमें शोध की जनसंख्या से संबंधित कई महत्वपूर्ण पक्षों को पहले ज्ञात किया जाता है तथा उन पक्षोंविम)ाओंमें से प्रत्येक के लिए उपयुक्त प्रतिनिधि सदस्य को चुना जाता है। शोधकर्ता विमाओं (का निर्धारण शोध अध्ययन के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखकर ही करता है। यह शोध के विविध पक्षों एवं उसमें निहित अनुक्षेत्रों की उपयोगिता पर विशेष रूप से आधारित होते हैं। उदाहरण केतौर पर किसी शोध में शहरी एवं ग्रामीण दो विमाओं के अलावा साधन हीन एवं साधन संपन्न दो और अनुक्षेत्र उपयोगी माने जाते हैं तो ऐसी दशा में शोधकर्ता इन चारों ही विमाओंसाधन हीन शहरी -, साधन संपन्न शहरी, साधन हीन ग्रामीण व साधन संपन्न ग्रामीण उपवर्गों से प्रतिनिधि सदस्यों का चयन कर न्यादर्श का गठन करेगा। इस प्रकार के न्यादर्श को विमात्मक न्यादर्श कहा जाता है।

प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता ने हिम कन्दुक न्यादर्श चयन विधि द्वारा बाँदा जिले के छ: परिषदीय विद्यालयों का चयन किया है।

3.5 शोध उपकरण

अनुसंधान के आंकड़ों का संकलन करने के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता होती है। जिनके सहारे शोधकर्ता अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है। इन्हीं साधनों को उपकरण कहते हैं। अतः यदि उपकरणों को अनुसंधान का मूल कह दिया जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि इनके अभाव में विभिन्न प्रदत्तों का संकलन संभव नहीं है।

प्रश्नावलियाँ,चेक लिस्ट, मापनी रेटिंग स्केल,मानकीकृत परीक्षण आदि ऐसे ही उपकरण है। अनुसंधान के निर्धारित तथ्यों तक पहुंचने के लिए उपकरणों का चयन अनुसंधान प्रक्रिया का महत्वपूर्ण सोपान है। यदि असावधानीवश उपयुक्त उपकरण के चयन में गलती हो जाती है तो वांछित प्रदत्त प्राप्त करने में कठिनाई होगी। या यह भी संभव है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा उन लक्ष्यों की प्राप्ति ही ना हो सके जिनके लिए यह कृति सुनिश्चित है। अनुसंधान की विभिन्न विधियों के अनुसार उपकरणों की विविधता होती है क्योंकि अलगअलग प-्रकार की सूचनाएं एकत्रित करने में अलगअलग प्रकार के उपकरण - प्रयोग में लाए जाते हैं।

प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता ने अवलोकन अनुसूची एवं साक्षात्कार अनुसूची शोध उपकरणों का प्रयोग किया है।

3.5.1 अवलोकन अनुसूची

इस अनुसूची का प्रयोग अवलोकनकर्ता कार्य को व्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं प्रभावी बनाने में करता है। इसमें प्रश्न के स्थान पर सारणी का प्रयोग होता है। अतः प्रश्न रचना की जगह कुछ मोटी बातों का उल्लेख रहता है। जिसमें विषय के अनुसार क्रमबद्ध रूप से घटी घटनाओं का अवलोकन कर्ता विवरण स्वयं देख कर लिखता है। यह विषय क्षेत्र को सीमित करने एवं आवश्यक तथ्य पर ध्यान देने में सहायक होती है।

3.5.2 साक्षात्कार अनुसूची

इस प्रकार की अनुसूचियों में सूचनाएं प्रत्यक्ष साक्षात्कार के द्वारा एकत्र की जाती हैं। इसमें निश्चित क्रम में प्रश्न अथवा खाली सारिणी दी हुई होती है। जिन्हें साक्षात्कार कर्ता सूचना दाता से पूछकर भरता है। यह उत्तर उसके लिए तथ्य का कार्य करते हैं जिनका वह स्वयं समस्या के संदर्भ में विश्लेषण एवं वर्गीकरण करता है। इसके द्वारा विश्वसनीय एवं प्रमाणित सूचनाएँ प्राप्त होती हैं व्यक्तिगत संपर्क के कारण इसमें अनुसंधानकर्ता सूचना दाता को सूचना देने के लिए प्रेरित कर सकता है।

3.6 प्रदत्त संकलन प्रक्रिया

प्रदत्त संकलन के लिए शोधकर्ता ने स्थानीय शिक्षकों एवं अभिभावकों से संपर्क कर ऐसे किसी परिषदीय विद्यालय की जानकारी की अपेक्षा की जो सामान्य परिषदीय विद्यालयों से हटकर कुछ नवाचार कर रहे हो। शोधकर्ता को अपेक्षा के अनुरूप प्राथमिक विद्यालय खम्हौरा शिक्षा क्षेत्र महुआ बांदा के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। यह विद्यालय शोधकर्ता के छात्रावास से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है अतः शोधकर्ता ने अपने एक सहपाठी मित्र के साथ विद्यालय में पहुंचकर विद्यालय अवलोकन किया और प्रधानाध्यापिका श्रीमती अंजू गुप्ता एवं अन्य अध्यापकों से साक्षात्कार किया।

प्रधानाध्यापिका से वार्ता के दौरान उन्होंने प्राथमिक विद्यालय पचोखर एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय बरहेण्डा के बारे में जानकारी दी एवं वहां के प्रधानाध्यापकों के संपर्क सूत्र भी प्रदान किए। उच्च प्राथमिक विद्यालय बरहेण्डा के प्रधानाध्यापक जी से उच्च प्राथमिक विद्यालय पड़मई के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई। वहां के अन्य अध्यापकों से पास में ही स्थित कृषि विद्यालय आऊ के विषय में जानकारी मिली। जहां शोधकर्ता ने अगले दिन पहुंचकर विद्यालय अवलोकन एवं प्रधानाध्यापक जी का साक्षात्कार किया।

पचोखर एवं पड़मई के पासपास स्थित होने के कारण शोधकर्ता ने अपने सहपाठी मित्र के साथ - एक ही दिन में प्राथमिक विद्यालय पचोखर एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय पड़मई का एक ही दिन में अवलोकन एवं संबंधित अध्यापकों का साक्षात्कार किया।

उच्च प्राथमिक विद्यालय पड़मई के प्रधानाध्यापक महोदय से चर्चा के दौरान शोधकर्ता को कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय कनवारा के विषय में जानकारी मिली एवं वहां के प्रधानाध्यापक जी का संपर्क सूत्र भी प्राप्त हुआ।

कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय कनवारा जाने के लिए शोधकर्ता ने प्रधानाध्यापक से दूरभाष पर वार्ता की, वहां पहुंचने के मार्ग की जानकारी ली एवं अगले दिन वहां पहुंचकर विद्यालय सर्वेक्षण किया एवं प्रधानाध्यापक जी से साक्षात्कार किया।

अध्याय चतुर्थ

'बाँदा जनपद के अनुकरणीय परिषदीय विद्यालय'

अध्याय चतुर्थ :
बाँदा जनपद के अनुकरणीय परिषदीय विद्यालय

4.1 प्राथमिक विद्यालय खम्हौरा क्षेत्र -महुआ (बाँदा)

चित्र संख्या-4.1

स्थापना -1918

उद्देश्य

विद्यालय का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्र में निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना तथा छात्र एवं छात्राओं का सर्वांगीण विकास करना है।

विद्यालय का स्तर

यह विद्यालय बेसिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालय जूनियर बेसिक स्कूल है। यहाँ कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएँ संचालित होती हैं।

भौगोलिक अवस्थिति

चित्र संख्या-4.2

यह विद्यालय बाँदा जिले के महुआ ब्लाक के खम्हौरा गाँव में स्थित है। जो झाँसी इलाहाबाद राष्ट्रीय मार्ग पर NH-35 स्थित राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, अतर्रा बाँदा से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है।

विद्यालय का वातावरण

विद्यालय का वातावरण शान्त एवं अध्ययन अध्यापन के अनुकूल है। विद्यालय गाव के अंतिम किनारे पर एक तालाब के पास स्थित है। जिसके साथ ही संकुल प्रभारी कार्यालय भी जुड़ा हुआ है।

शिक्षक विवरण

कोई भी शिक्षण संस्था बिना शिक्षकों के समर्पण के अपने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकेगी शिक्षक विद्यालय की आत्मा होते हैं और वह अपनी मेहनत ज्ञान एवं त्याग से छात्र रूपी दीपक के मस्तिष्क रूपी वर्तिका को प्रज्वलित कर समाज को आलोकित करते हैं। प्राथमिक विद्यालय खम्हौरा के शिक्षकों का विवरण तालिका संख्या में दर्शाया गया है-

तालिका संख्या-4.1

क्रमसंख्या	नाम	पद
1	श्रीमती अंजू गुप्ता	प्रधानाध्यापिका
2	श्रीमती सुमन श्रीवास्तव	सहायक अध्यापिका
3	श्रीमती संगीताराठौर	सहायक अध्यापिका
4	श्री जयराम गुप्ता	सहायक अध्यापक
5	पुष्पा वर्मा	सहायक अध्यापिका
6	अनुराधा मिश्रा	शिक्षामित्र

विद्यालय का भवन

प्राथमिक विद्यालय खम्हौरा का भवन अन्य प्राथमिक विद्यालयों की तरह सामान्य है। विद्यालय भवन के साथ ही संकुल कार्यालय भी जुड़ा हुआ है।

विद्यालय कक्षाकक्ष-

किसी भी विद्यालय का जो मुख्य कार्य होता है वह उसके कक्षा कक्षों में ही संपन्न होता है। कोठारी आयोग ने अध्ययन कक्षओं के महत्व के विषय में बताते हुए कहा है कि- "भारत के भविष्य का निर्माण उसके अध्ययन कक्षाओं में हो रहा है।

प्राथमिक विद्यालय खम्हौरा में 7अध्ययन कक्ष हैं जिनमें अध्यापक एवं छात्र छात्राएं पठन-पाठन कार्य करते हैं प्रत्येक कक्षा में एक श्यामपट्ट है। कक्षाकक्ष में मानक के अनुरूप खिड़कियां एवं रोशनदान हैं जिनसे ताजी हवा एवं उचित प्रकाश अंदर आता है।

पुस्तकालय

प्राथमिक विद्यालय खम्हौरा में एक छोटा सा पुस्तकालय है जिसमें बाल साहित्य से सम्बन्धित पुस्तकें हैं।

खेल का मैदान

महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा है कि- "स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है।"

अत: एक आदर्श विद्यालय के पास अपने छात्रों को शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं स्फूर्ति रखने के लिए खेल के मैदान का होना नितान्त आवश्यक है। प्राथमिक विद्यालय खम्हौरा के पास खेल का मैदान तो है परंतु वह काफी छोटा एवं संकीर्ण है जिससे छात्रों को खेल खेलने में कुछ परेशानियाँ होती हैं।

शौचालय

प्राथमिक विद्यालय खम्हौरा में बालक एवं बालिकाओं के लिए प्रथक प्रथक शौचालय की व्यवस्था है।

पेयजल की व्यवस्था

अभी तक हुए वैज्ञानिक शोधों से ज्ञात हुआ है कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है और वह भी इसलिए क्योंकि पृथ्वी पर जल है। इसीलिए कहा भी जाता है कि जल ही जीवन है। एक आदर्श विद्यालय में छात्रछात्राओं एवं अध्यापकों के लिए उचित पेयजल व्यवस्था अनिवार्य रूप से - होनी चाहिए। प्राथमिक विद्यालय खम्हौरा में पेयजल व्यवस्था के लिए एक इंडिया मार्का हैंडपम्प लगा हुआ है।

विद्यालय की उपलब्धियाँ

- **छात्र**किसी भी विद्यालय की प्रगति वहां अध्ययनरत विद्यार्थियों की -:**उपलब्धियाँ-** उपलब्धियों द्वारा परिलक्षित होती है। प्राथमिक विद्यालय हमारा के छात्र अमित कुमार ने मेरी उड़ान प्रतियोगिता केचित्रकला विधा में राज्य स्तर पर चयनित होकर विद्यालय के साथ ही साथ जिले का नाम रोशन किया है मेरी उड़ान प्रतियोगिता के अगस्त अंक में चित्रकला में ही पुनः विद्यालय की कक्षा पांच की छात्रा रमिता ने चयनित होकर ग्रामीण बच्चों की प्रतिभा के कीर्तिमान को स्थापित किया है।
- **शिक्षक उपलब्धियाँ** प्राथमिक विद्यालय खम्हौरा की प्रधानाध्यापिका श्रीमती अंजू गुप्ता को -: 5 सितंबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन ने 'राज्य अध्यापक पुरस्कार' से सम्मानित किया। शिक्षिका अंजू गुप्ता ने बताया कि यह पुरस्कार उन्हें प्राथमिक विद्यालय खम्हौरा को हर वह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एवं नामांकन में वृद्धि के लिए मिला है जो एक मॉडल विद्यालय के पास होनी चाहिए।

वातावरण एवं साजसज्जा-

विद्यालय के कक्षाकक्षों की दीवारों पर शैक्षिक विषय वस्तु एवं अन्य आकर्षक चित्र बनाए गए - हैं। विद्यालय के मुख्य द्वार के पास की बाउंड्री वॉल पर अंदर की तरफ समुद्र में तैरती सील का चित्र अत्यंत आकर्षक एवं मनोहारी है। जिसे विद्यालय की सहायक अध्यापिका ने ही बनाया है।

हरीतिमा स्थिति

विद्यालय में हरीतिमा की स्थिति औसत दर्जे की है। विद्यालय के अंदर स्थान की कमी के कारण वहां अधिक पौधे लगाए भी नहीं जा सकते।

उपचारात्मक कक्षाएँ

प्रधानाध्यापिका जी ने बतलाया कि हम सत्र की शुरुआत में छात्रों का निदानात्मक परीक्षण करते हैं फिर उनकी कठिनाई स्तर के अनुसार समूह बना लेते हैं और अलग-अलग समूहों को अलग-अलग शिक्षक उन्हें उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करते हैं।

दिव्यांगों के लिए सुविधाएँ

उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में चल रही योजना 'कायाकल्प' के तहत सभी विद्यालयों में रैम्प बनवाने के निर्देश दिए गए हैं। प्राथमिक विद्यालय खम्हौरा में दिव्यांग छात्र एवं छात्राओं के लिए रैम्प एवं सुलभ शौचालय की उचित व्यवस्था है।

पाठ्य सहगामी क्रियाएँ

पाठ्य सहगामी क्रियाएँ छात्रों के द्वारा ग्रहण किए गए सैद्धांतिक ज्ञान को पुष्ट करने का सशक्त माध्यम होती हैं। प्राथमिक विद्यालय खम्हौरा में छात्रछात्राओं को इस अभिकल्प के तहत-, पेंटिंग, हस्तशिल्प, मिट्टी का कार्य, पास में स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज का भ्रमण एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन समयसमय पर किया जाता है।-

चित्र संख्या-4.3

4.2 पूर्व माध्यमिक विद्यालय बरेहण्डा क्षेत्र(बाँदा) नरैनी-

चित्र संख्या-4.4

स्थापना -2005

उद्देश्य

किसी भी शैक्षिक संस्था के अपने कुछ उद्देश्य होते हैं जिनके आधार पर वह दिन प्रतिदिन अपनी प्रगति की समीक्षा करके अपने कार्य को दिशा देते हैं। पूर्व माध्यमिक विद्यालय बरहेण्डा ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालय है क्योंकि यह एक सरकारी विद्यालय है अतः इसका उद्देश्य समाज के साधारण बच्चों के साथ साथ उन गरीब पिछड़े एवं वंचित बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना है जो निजी विद्यालयों का शुल्क वाहन नहीं कर सकते।

विद्यालय का स्तर

यह विद्यालय बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालय अपर) है (बेसिक स्कूल जिसमें कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं संचालित होती हैं।

भौगोलिक अवस्थिति

पूर्व माध्यमिक विद्यालय बरहेण्डा अतर्रा बिसंडा संपर्क मार्ग से 3 किलोमीटर अतर्रा से)8 किलोमीटरकी दूरी पर स्थित है। (

यह विद्यालय बाँदा जनपद के नरैनी ब्लाक के बरहेण्डा ग्राम में स्थित है।

विद्यालय का वातावरण

विद्यालय का वातावरण अत्यधिक शांत मनोरम एवं हरीतिमा से परिपूर्ण है। विद्यालय का प्रांगण काफी साफ सुथरा एवं व्यवस्थित है। विद्यालय के मुख्य भवन के सामने कतारों में छोटीछोटी क्यारियों में - सजावटी फूलों के पौधे लगाए गए हैं। वही बाउंड्री वाल के साथ साथ विद्यालय के अंदर आंवला अशोक एवं अन्य पौधे लगे हुए हैं।

शिक्षक विवरण

कोई भी शिक्षण संस्था बिना शिक्षकों के समर्पण के अपने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकेगी शिक्षक विद्यालय की आत्मा होते हैं और वह अपनी मेहनत ज्ञान एवं त्याग से छात्र रूपी दीपक के मस्तिष्क रूपी वर्तिका को प्रज्वलित कर समाज को आलोकित करते हैं। पूर्व माध्यमिक विद्यालय बरहेण्डा के शिक्षकों का विवरण तालिका संख्या में दर्शाया गया है-

तालिका संख्या-4.2

क्रमसंख्या	नाम	पद
1	श्री राम किशोरपाण्डे	प्रधानाध्यापक
2	श्री गोपाल प्रसाद गुप्ता	सहायक अध्यापक
3	श्री शिव करन सिंह	सहायक अध्यापक
4	श्री सुनील कुमार सिंह	खेल अनुदेशक
5	श्री नत्थूराम पटेल	कंप्यूटर अनुदेशक
7	श्रीमती शोभा देवी	कला अनुदेशक

विद्यालय का भवन

पूर्व माध्यमिक विद्यालय बरहेण्डा का भवन काफी बड़ा एवं शानदार है। विद्यालय की बाउंड्री वाल के अंदर ही प्राथमिक विद्यालय भी स्थित है,वर्तमान में यह दोनों विद्यालय संविलयित हो चुके हैं। विद्यालय भवन के साथ ही संकुल कार्यालय भी जुड़ा हुआ है।

विद्यालय कक्षाकक्ष-

किसी भी विद्यालय का जो मुख्य कार्य होता है वह उसके कक्षा कक्षों में ही संपन्न होता है। कोठारी आयोग ने अध्ययन कक्षों के महत्व के विषय में बताते हुए कहा है कि- "भारत के भविष्य का निर्माण उसके अध्ययन कक्षाओं में हो रहा है।

चित्र संख्या-4.5

पूर्व माध्यमिक विद्यालय बरेहण्डा में 3 अध्ययन कक्ष हैं जिनमें अध्यापक एवं छात्र छात्राएं पठनपाठन कार्य करते हैं प्रत्येक कक्षा में एक श्यामपट्ट है। कक्षा कक्ष में मानक के अनुरूप खिड़कियां - एवं रोशनदान हैं जिनसे ताजी हवा एवं उचित प्रकाश अंदर आता है।

पुस्तकालय

पूर्व माध्यमिक विद्यालय बरेहण्डा में एक पुस्तकालय है जिसमें बाल साहित्य से सम्बन्धित पुस्तकें हैं।

खेल का मैदान

महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा है कि- "स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है।" आता एक आदर्श विद्यालय के पास अपने छात्रों को शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं स्फूर्ति रखने के लिए खेल के मैदान का होना नितान्त आवश्यक है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय बरेहण्डा के पास खेल का

शानदार मैदान है जिसमें छात्र एवं छात्राएँ कबड्डी, खोखो-, क्रिकेट एवं अन्य खेल खेलते हैं। बरसात के दिनों में जलभराव हो जाता है जिससे छात्रों को खेलने में बहुत समस्याएं होती हैं।

चित्र संख्या-4.6

शौचालय

पूर्व माध्यमिक विद्यालय बरेहण्डा में बालक एवं बालिकाओं के लिए प्रथकप्रथक शौचालय - की व्यवस्था है।

पेयजल की व्यवस्था

अभी तक हुए वैज्ञानिक शोधों से ज्ञात हुआ है कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है और वह भी इसलिए क्योंकि पृथ्वी पर जल है। इसीलिए कहा भी जाता है कि जल ही जीवन है। एक आदर्श विद्यालय में छात्रछात्राओं एवं अध्यापकों के लिए उचित पेयजल व्यवस्था अनिवार्य रूप से - होनी चाहिए। प्राथमिक विद्यालय खम्हौरा में पेयजल व्यवस्था के लिए एक इंडिया मार्का हैंडपम्प लगा हुआ है। तथा एक पानी की टंकी रखी हुई है जिसमें एक पाइप लगी है और पाइप के दोनों तरफ चार चार टोटियाँ लगी हुई हैं और एक टोंटी नीचे लगी हुई है जिसमें दिव्यांग छात्र भी आसानी से पानी पी सके।

चित्र संख्या-4.7

विद्यालय की उपलब्धियाँ

पूर्व माध्यमिक विद्यालय बरहेण्डा बाँदा जनपद के नवाचारी विद्यालयों में शुमार किया जाने वाला प्रमुख विद्यालय है। विद्यालय की स्काउट गाइड टीम 2019 में मंडल विजेता रही है।

वातावरण एवं साजसज्जा-

पूर्व माध्यमिक विद्यालय बरहेण्डा की दीवारों पर शैक्षिक विषय वस्तु विभिन्न विषयों के जागरूकता स्लोगन प्रकृति चित्रण तथा साफ सफाई से संबंधित चित्रों को बनाया गया है। विद्यालय के अध्ययन कक्षा में सभी राष्ट्रपतियों प्रधानमंत्रियों तथा मुख्यमंत्रियों के चित्र कालक्रम के अनुसार फ्लेक्सी पर लगाए गए हैं। विद्यालय में छोटे सजावटी तथा बड़े फलदार एवं सजावटी पौधे लगाए गए हैं जिनमें आमला नींबू आम अमरूद आदि हैं।

चित्र संख्या-4.8

हरीतिमा स्थिति

पूर्व माध्यमिक विद्यालय बरहेण्डा में हरीतिमा की स्थिति बहुत अच्छी है। छोटे बड़े सजावटी तथा फलदार पेड़ पौधे जैसे आम नीम अशोक आमला नींबू अमरूद गुड़हल गुलाब अपराजिता तुलसी कोलियस आदि के पौधे विद्यालय प्रांगण में लगे हुए हैं। जो विद्यालय के वातावरण को केवल सुंदर ही नहीं बनाते अपितु छात्र एवं अध्यापकों को प्रदूषण मुक्त वातावरण उपलब्ध कराकर उनके मन को प्रसन्न करके उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं।

चित्र संख्या-4.9

उपचारात्मक कक्षाएँ

शैक्षिक सत्र के शुरुआत में प्रत्येक विषय के छात्र अपने छात्रों का एक निदानात्मक परीक्षण करते हैं जिसके आधार पर वह उनकी कमियों को जांच कर उनका उपचारात्मक शिक्षण करते हैं जिसमें अध्यापक नवाचार एवं परंपरागत दोनों प्रकार विधियों का अपने शिक्षण कौशलों के अनुसार प्रयोग करते हैं।

दिव्यांगों के लिए सुविधाएँ

उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में चल रही योजना 'कायाकल्प' के तहत सभी विद्यालयों में रैम्प बनवाने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्व माध्यमिक विद्यालय बरहेण्डा में दिव्यांग छात्र एवं छात्राओं के लिए रैम्प एवं सुलभ शौचालय की उचित व्यवस्था है।

पाठ्य सहगामी क्रियाएँ

पाठ्य सहगामी क्रियाएँ वास्तविक जीवन की तैयारी होती है। जिनसे छात्र जीवन की वास्तविक परिस्थितियों को समझ कर उनमें सामंजस्य बिठाना सीखते हैं। पूर्व माध्यमिक विद्यालय बरखेड़ा में छात्र

छात्राओं को अतर्रा डिग्री कॉलेज अतर्रा आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय अतर्रा बुंदेलखंड कृषि विश्वविद्यालय बाँदा आदि शैक्षिक स्थानों के भ्रमण करवाए जाते हैं।

4.3 कृषि औद्योगिक विद्यालय आऊ पोस्ट अतर्रा (बाँदा)

चित्र संख्या-4.10

स्थापना-1980

मान्यता-1984

उद्देश्य

कृषि औद्योगिक विद्यालय आऊ का प्रमुख उद्देश्य समाज के पिछड़े एवं वंचित तबके अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों तथा विशेषकर छात्राओं निशुल्क: रोजगारपरक शिक्षा देकर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है।

विद्यालय का स्तर

कृषि औद्योगिक विद्यालय आऊ बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय है।जिसे उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 1984 से अनुदान प्राप्त है। इस प्रकार यह एक परिषदीय विद्यालय है जिसमें कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएँ संचालित होती हैं।

भौगोलिक अवस्थिति

कृषि औद्योगिक विद्यालय आऊ बाँदा जिले के अतर्रा तहसील से बिसंडा जाने वाले मार्ग पर स्थित ग्राम आऊ में स्थित है। यह विद्यालय अतर्रा से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

चित्र संख्या 4 –.11

विद्यालय का वातावरण

विद्यालय का वातावरण अत्यंत रमणीय शांत एवं मनोरम है। विद्यालय के पास अपने दो कृषि फार्म हैं। विद्यालय प्रांगण में आम नींबू कीनू मुसम्मी आंवला केला अमरूद आदि के फलदार पौधे लगे हुए हैं। विद्यालय में अनेक प्रकार के सजावटी एवं फूल वाले पौधे जैसे गुड़हल गुलाब अपराजिता चमेली कोलियस आदि लगे हुए हैं। विद्यालय के अंदर एक तालाब भी है जिसमें व्यापारिक तौर पर मत्स्य पालन किया जाता है एवं छात्रों को मत्स्य पालन सिखाया भी जाता है।

चित्र संख्या-4.12

विद्यालय का प्रबंधन

कृषि विद्यालय आऊ एक समाज सेवी संस्था द्वारा चलाया जा रहा है अतः इसका प्रबंधन इसके संस्थापक श्री ललित उनियाल (सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी) द्वारा शासन के एवं न्यास के नियमों के अनुसार किया जा रहा है।

शिक्षक विवरण

कोई भी शिक्षण संस्था बिना शिक्षकों के समर्पण के अपने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकेगी शिक्षक विद्यालय की आत्मा होते हैं और वह अपनी मेहनत ज्ञान एवं त्याग से छात्र रूपी दीपक के मस्तिष्क रूपी वर्तिका को प्रज्वलित कर समाज को आलोकित करते हैं। कृषि औद्योगिक विद्यालय आऊ के शिक्षकों का विवरण तालिका संख्या में दर्शाया गया है-

तालिका संख्या-4.3

[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	श्री फूलचंदकुशवाहा	प्रधानाध्यापक
2	श्री जयराम	सहायक अध्यापक
3	श्री राम अवतार विश्वकर्मा	सहायक अध्यापक
4	सुश्री श्रेष्ठा गुप्ता	सहायकअध्यापिका
5	श्री राम अवतार	लिपिक
6	श्रीजगतपाल	परिचारक

विद्यालय का भवन

कृषि औद्योगिक विद्यालय आऊ का विद्यालय भवन काफी आकर्षक शानदार एवं विशाल है। क्योंकि यह विद्यालय तीन स्तरों में विभाजित है पहला प्राथमिक दूसरा उच्च प्राथमिक एवं हाई स्कूल। अतः इसका भवन काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है।

विद्यालय कक्षाकक्ष-

विद्यालय के कक्षा कक्ष सुनियोजित सुव्यवस्थित कंप्यूटर एवं संचार माध्यम के साधनों से परिपूर्ण एवं स्मार्ट बोर्ड युक्त है। कक्षा कक्षों में कंप्यूटर परिचय पत्र भी लगे हुए हैं जिनके द्वारा कठिन एवं अमूर्त विषयों को छात्रों को सहजता पूर्वक समझाया जा सकता है।

पुस्तकालय

कृषि औद्योगिक विद्यालयों में एक उन्नत पुस्तकालय है जिससे छात्र एवं छात्राएं अपने विषय वस्तु से संबंधित पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाएं प्राप्त कर अपने अध्ययन को सुचारू रूप से समृद्ध करते रहते हैं।

चित्र संख्या-4.13

चित्र संख्या-4.14

खेल का मैदान

कृषि विद्यालय आऊ के विद्यालय प्रांगण में एक विशाल खेल का मैदान है जिसमें छात्र एवं छात्राएं कबड्डी खोखो टेबल टेनिस रस्साकसी क्रिकेट वालीबाल हांकी एवं बैडमिंटन खेलते हैं।-

चित्र संख्या-4.15

शौचालय

कृषि विद्यालय आऊ में बालक एवं बालिकाओं के लिए प्रथकप्रथक शौचालय की व्यवस्था - है।

पेयजल की व्यवस्था

जल ही जीवन है। शीतल एवं स्वच्छ पेयजल शरीर के लिए अति आवश्यक है यह अपने आप में कई औषधियों के गुण रखता है तथा बहुत सारे रोगों को नष्ट करने में सक्षम है जल के अभाव में हमारे शरीर की कोशिकाएं टूटने लगती हैं फलतकई जानलेवा बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। :

पेयजल के महत्व को समझते हुए भी कृषि विद्यालय आऊ में कई जगहों पर शीतल जल आपूर्ति के लिए जल शीतलक लगे हुए हैं जिनसे छात्रछात्राएं एवं अध्यापक पेयजल ग्रहण करते हैं।-

विद्यालय की उपलब्धियाँ

कृषि विद्यालय बाँदा जिले के सर्वोत्तम 9 स्कूलों में स्थान रखता है। यह विद्यालय अपने छात्रों को व्यावसायिक एवं सैद्धांतिक दोनों प्रकार की शिक्षा पूर्णत निशुल्क उपलब्ध कराता है। :विद्यालय के सभी छात्रों को निशुल्क गणवेश सर्दियों में गर्म कपड़े स्वेटर इन गुलबंद आदि प्रदान करता है। गंभीर रूप से बीमार होने पर छात्रों का निशुल्क इलाज विशेषज्ञ डाक्टरों से अतर्रा बाँदा या प्रयागराज में कराता है। शिक्षण कार्य को रोचक एवं प्रभावी बनाने के लिए प्रतिवर्ष अध्यापक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन जिसमें विषय विशेषज्ञ आकर अध्यापकों को अध्यापन के नवाचारी तरीके से सिखाते हैं।

वातावरण एवं साजसज्जा-

विद्यालय शहर के कोलाहल से दूर सुरम्य में प्रकृति की गोद में स्थित है। विद्यालय के अंदर लगे हुए फलदार एवं सजावटी पौधे इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। विद्यालय का आकर्षक एवं शानदार भवन सजे हुए व्यवस्थित कक्षा कक्ष अनायास ही सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं।

हरीतिमा स्थिति

विद्यालय की हरीतिमा स्थिति बहुत अच्छी है। कृषि विद्यालय आऊ पूरी तरीके से एक कृषि फार्म के अंदर स्थित है इसके चारों तरफ फलदार वृक्ष आम अमरूद केला मौसमी आंवला करौंदा तथा सजावटी पौधे गुड़हल चमेली गुलाब कोलियस हरसिंगार अपराजिता आदि लगे हुए हैं।

चित्र संख्या-4.16

उपचारात्मक कक्षाएँ

विद्यालय में छात्रों की आवश्यकता अनुसार उपचारात्मक कक्षाएं भी लगती हैं।

पाठ्य सहगामी क्रियाएँ

कृषि औद्योगिक विद्यालय आऊ सैद्धांतिक एवं व्यवसायिक विषयों के साथसाथ अपने छात्रों - के लिए विभिन्न प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संचालन भी करता है जिनमें से प्रमुख छात्रों के लिए निशुल्क अतर्रा बाँदा झांसी प्रयागराज एवं अहमदाबाद आदि स्थानों का शैक्षिक भ्रमण, वार्षिक समारोह के रूप में बाल दिवस जिसमें पीटी पिरामिड आसन लोक नृत्य राष्ट्रीय गीत प्रहसन एकांकी नाटक का प्रदर्शन आदि प्रमुख हैं।

4.4 इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल पचोखर-2 क्षेत्र(बाँदा) महुआ-

चित्र संख्या-4.17

स्थापना -15 अक्तूबर1964

उद्देश्य

विद्यालय का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्र में निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एवं अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना तथा छात्र एवं छात्राओं का सर्वांगीण विकास करना है।

विद्यालय का स्तर

यह विद्यालय बेसिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालय जूनियर बेसिक स्कूल है। यहाँ कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएँ संचालित होती हैं।

भौगोलिक अवस्थिति

यह विद्यालय बाँदा जिले के महुआ ब्लॉक में अतर्रा नरैनी मार्ग पर अतर्रा से 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है।

चित्र संख्या-4.18

विद्यालय का वातावरण

चित्र संख्या-4.19

इंग्लिश मीडियम प्रायमरी स्कूल पचोखर-2 पचोखर गांव के बाहर एक किनारे पर स्थित है जो गांव और नगर के कोलाहल से दूर प्रकृति की सुरम्य गोद में स्थित विद्यालय है जहां का वातावरण अध्ययन एवं अध्यापन के लिए सर्वथा अनुकूल है।

शिक्षक विवरण

तालिका संख्या-4.4

क्रमसंख्या	नाम	पद
1	श्री प्रमोद कुमार दीक्षित	प्रधानाध्यापक
2	श्री महेंद्र कुमार गुप्ता	सहायक अध्यापक
3	श्री राकेश कुमार द्विवेदी	सहायक अध्यापक
4	श्रीमती विनीता वर्मा	सहायक अध्यापिका
5	नीलम कुशवाहा	सहायक अध्यापिका

6	श्रीमती ज्योति उपाध्याय	शिक्षामित्र
7	श्रीमतीउर्मिलाकुशवाहा	शिक्षामित्र

विद्यालय का भवन

प्राइमरी स्कूल पचोखर दो का भवन ज्यादा बड़ा तो नहीं है परंतु यह काफी आकर्षक एवं व्यवस्थित ढंग से बना हुआ है।

चित्र संख्या-4.20

विद्यालय कक्षाकक्ष-

प्राइमरी स्कूल पचोखर-2 में 6 अध्ययन कक्ष है। वायु एवं प्रकाश के आने का उचित प्रबंध है प्रत्येक कक्ष में ब्लैक बोर्ड है तथा अन्य आवश्यक सहायक सामग्री के रखने की व्यवस्था भी है।

पुस्तकालय

प्राइमरी स्कूल पचोखर दो के पास अपना एक छोटा सा पुस्तकालय भी है जिसमें बाल साहित्य से संबंधित पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाएं तथा शैक्षिक विषय वस्तु पर आधारित पत्र पत्रिकाएं तथा पुस्तके उपलब्ध हैं।

शौचालय

प्राइमरी स्कूल पचोखर 2 में बालक एवं बालिकाओं के लिए अलगअलग शौचालय की -व्यवस्था भी है।

पेयजल की व्यवस्था

चित्र संख्या-4.21

प्राइमरी स्कूल पचोखर-2 में एक इंडिया मार्का हैंडपंप लगा हुआ है जिसके साथ ही समर भी संयोजित है, जिससे विद्यालय छात्र छात्राएं एवं अध्यापक पेयजल ग्रहण करते हैं।

विद्यालय की उपलब्धियाँ

प्राइमरी स्कूल पचोखर को 2019 में इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल बनाया गया है। और इसे बाँदा जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा गोद लिया गया है।

वातावरण एवं साजसज्जा-

विद्यालय का भवन मानक रंगों से पुता हुआ है अंदर की दीवारों पर महापुरुषों तथा स्वतंत्रता सेनानियों के चित्रों की फ्लेक्सी लगी हुई है विद्यालय के सूचना बोर्ड पर प्रतिदिन उपस्थित अनुपस्थित तथा पंजीकृत छात्रों के विवरण को लिखा जाता है।

चित्र संख्या-4.22

हरीतिमा स्थिति

प्राइमरी स्कूल पचोखर 2 के पास विद्यालय के अंदर स्थान की कमी है फिर भी उपलब्ध स्थान पर सागवान नीम गुड़हल गुलाब पपीता तथा केले के पौधे लगाए गए हैं।

चित्र संख्या-4.23

उपचारात्मक कक्षाएँ

प्राइमरी स्कूल पचोखर 2 में कक्षा 4 एवं 5 में हरात्मक कक्षाएं चलाई जाती हैं जिनमें छात्रों के धनात्मक परीक्षण के बाद छात्रों को पांच पांच छात्रों के समूह में बांट दिया जाता है। इन छात्रों में एक छात्र औसत एक प्रतिभाशाली तथा 2 पिछड़े छात्रों को रखा जाता है। जो आपस में अंतः क्रिया द्वारा अपनी समस्याओं का हल ढूंढते हैं तथा बीचबीच में अध्यापक उन्हें- मार्गदर्शन देते रहते हैं।

दिव्यांगों के लिए सुविधाएँ

उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में चल रही योजना 'कायाकल्प' के तहत सभी विद्यालयों में रैम्प बनवाने के निर्देश दिए गए हैं। प्राइमरी स्कूल पचोखर 2 में दिव्यांग छात्र एवं छात्राओं के लिए रैम्प एवं सुलभ शौचालय की उचित व्यवस्था है।

पाठ्य सहगामी क्रियाएँ

पाठ्य सहगामी क्रियाएँ छात्रों के द्वारा ग्रहण किए गए सैद्धांतिक ज्ञान को पुष्ट करने का सशक्त माध्यम होती हैं। प्राइमरी स्कूल पचोखर 2 में छात्रछात्राओं को इस अभिकल्प के तहत-, पेंटिंग, हस्तशिल्प, मिट्टी का कार्य एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन समयसमय पर किया जाता है।-

4.5 पूर्व माध्यमिक विद्यालय पड़मई क्षेत्र(बाँदा) नरैनी-

चित्र संख्या-4.24

स्थापना-1969

उद्देश्य

किसी भी शैक्षिक संस्था के अपने कुछ उद्देश्य होते हैं जिनके आधार पर वह दिन प्रतिदिन अपनी प्रगति की समीक्षा करके अपने कार्य को दिशा देते हैं। पूर्व माध्यमिक विद्यालय पड़मई ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालय है क्योंकि यह एक सरकारी विद्यालय है अतः इसका उद्देश्य समाज के साधारण बच्चों के साथ साथ उन गरीब पिछड़े एवं वंचित बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना है जो निजी विद्यालयों का शुल्क वहन नहीं कर सकते।

विद्यालय का स्तर

यह विद्यालय बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालय अपर) है जिसमें कक्षा (बेसिक स्कूल6 से 8 तक की कक्षाएं संचालित होती हैं।

भौगोलिक अवस्थिति

पूर्व माध्यमिक विद्यालय पड़मई बाँदा जिले के नरैनी ब्लॉक में अतर्रा नरैनी मार्ग पर अतर्रा से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

चित्र संख्या-4.25

विद्यालय का वातावरण

माध्यमिक विद्यालय पर मई का वातावरण काफी शांत आकर्षक तथा अध्ययन अध्यापन की परिस्थितियों पूर्णतअनुकूल है। :

चित्र संख्या-4.26

शिक्षक विवरण

कोई भी शिक्षण संस्था बिना शिक्षकों के समर्पण के अपने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकेगी शिक्षक विद्यालय की आत्मा होते हैं और वह अपनी मेहनत ज्ञान एवं त्याग से छात्र रूपी दीपक के मस्तिष्क रूपी वर्तिका को प्रज्वलित कर समाज को आलोकित करते हैं। कृषि औद्योगिक विद्यालय आऊ के शिक्षकों का विवरण तालिका संख्या में दर्शाया गया है-

तालिका संख्या-4.5

क्रमसंख्या	नाम	पद
1	श्री राजकुमार पटेल	प्रधानाध्यापक

2	श्री रवींद्र कुमार श्रीवास्तव	सहायक अध्यापक
3	श्री अजेंद्र सिंह	कंप्यूटर अनुदेशक
4	श्रीमती अंजली भारती	कला अनुदेशक
5	श्री अजय प्रताप सिंह	खेल अनुदेशक

विद्यालय का भवन

पूर्व माध्यमिक विद्यालय पड़मई का भवन काफी बड़ा एवं शानदार है। विद्यालय एक बहुत बड़े भूखंड पर फैला हुआ है। विद्यालय के पास एक बहुत बड़ा सभाकक्ष भी है। विद्यालय भवन के अंदर ही - संकुल कार्यालय भी स्थित है।

विद्यालय कक्षाकक्ष-

किसी भी विद्यालय का जो मुख्य कार्य होता है वह उसके कक्षा कक्षों में ही संपन्न होता है। कोठारी आयोग ने अध्ययन कक्षों के महत्व के विषय में बताते हुए कहा है कि- "भारत के भविष्य का निर्माण उसके अध्ययन कक्षाओं में हो रहा है।

चित्र संख्या-4.27

पूर्व माध्यमिक विद्यालय पड़मई में 3 अध्ययन कक्ष हैं जिनमें अध्यापक एवं छात्र छात्राएं पठन-पाठन कार्य करते हैं प्रत्येक कक्षा में एक श्यामपट्ट है। कक्षा कक्ष में मानक केअनुरूप खिड़कियां एवं रोशनदान हैं जिनसे ताजी हवा एवं उचित प्रकाश अंदर आता है। कक्षा कक्ष की आंतरिक दीवारों पर शिक्षण विषय से संबंधित विषय वस्तु को रोचक तरीके से लिखा गया है।

पुस्तकालय

पूर्व माध्यमिक विद्यालय पड़मई में एक छोटा सा पुस्तकालय भी है जिसमें उच्च प्राथमिक स्तर के विषयों से संबंधित पुस्तकें एवं अन्य बाल साहित्य से संबंधित पत्र पत्रिकाएं तथा पुस्तकें उपलब्ध है।

खेल का मैदान

पूर्व माध्यमिक विद्यालय के परिसर के अन्दर खेलने के लिए काफी बड़ा मैदान है,जिसमें छात्र एवं छात्राएँ विभिन्न प्रकार के खेल कूद-एवं शरीरिक गतिविधियाँ अपने खेल अनुदेशक की उचित देख-रेख में खेलते एवं सीखते हैं।

शौचालय

चित्र संख्या-4.28

पूर्व माध्यमिक विद्यालय पड़मई में पृथक पृथक शौचालय की व्यवस्था है। जिसकी साफ सफाई एवं देखरेख पर विद्यालय प्रबंधन विशेष ध्यान देता है।

पेयजल की व्यवस्था

पूर्व माध्यमिक विद्यालय पड़मई में पेयजल आपूर्ति के लिए दो इंडिया मार्का हैंड पंप तथा एक पानी की टंकी लगी हुई है दिन से छात्रछात्राएं तथा विद्यालय के शिक्षक पेय जल ग्रहण करते हैं।-

विद्यालय की उपलब्धियाँ

पूर्व माध्यमिक विद्यालय पड़मई बाँदा जनपद के परिषदीय विद्यालयों में एक अलग ख्याति रखता है। इस विद्यालय में 6 किलोमीटर दूर से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं।

वातावरण एवं साजसज्जा-

चित्र संख्या-4.29

विद्यालय की साज सज्जा आकर्षक है। विद्यालय भवन पर-जगहसफाई स्कूल -जगह साफ-चलो अभियान तथा मतदान आदि से संबंधित जागरूकता श्लोगन लिखे हुए हैं। अध्ययन कक्षा के अंदर लगी हुई फ्लेक्सी पर भारत के प्रमुख राजनेताओं तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चित्र लगे हुए हैं।

हरीतिमा स्थिति

विद्यालय की हरीतिमा स्थिति और औसत दर्जे की है। विद्यालय के अंदर काफी बड़ा मैदान है मुख्य भवन की दीवारों के एकदम साथछोटी क्यारियां बनाई गई हैं जिनमें गुड़हल गुलाब गेंदा -साथ छोटी-तथा अन्य सजावटी पौधे लगे हुए हैं।

चित्र संख्या-4.30

उपचारात्मक कक्षाएँ

शैक्षिक सत्र के शुरुआत में छात्र छात्राओं की कठिनाई स्तर के अनुसार उन्हें अलगअलग - समूहों में बांटकर उपचारात्मक कक्षाएं भी चलाई जाती हैं

दिव्यांगों के लिए सुविधाएँ

उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में चल रही योजना 'कायाकल्प' के तहत सभी विद्यालयों में रैम्प बनवाने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्व माध्यमिक विद्यालय पड़मई में दिव्यांग छात्र एवं छात्राओं के लिए रैम्प एवं सुलभ शौचालय की उचित व्यवस्था है।

पाठ्य सहगामी क्रियाएँ

पाठ्य सहगामी क्रियाएँ वास्तविक जीवन की तैयारी होती है। जिनसे छात्र जीवन की वास्तविक परिस्थितियों को समझ कर उनमें सामंजस्य बिठाना सीखते हैं। पूर्व माध्यमिक विद्यालय पड़मई में छात्र छात्राओं को अतर्रा डिग्री कॉलेज अतर्रा आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय अतर्रा बुंदेलखंड कृषि विश्वविद्यालय बाँदा आदि शैक्षिक स्थानों के भ्रमण करवाए जाते हैं।

चित्र संख्या-4.31

4.6 कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय कनवारा क्षेत्र(बाँदा) बड़ोखर खुर्द-

चित्र संख्या-4.32

स्थापना-2002

उद्देश्य

प्रत्येक शैक्षिक संस्था के अपने कुछ उद्देश्य होते हैं जिनके आधार पर वह अपनी दिशा में दिन-प्रतिदिन प्रगति करती है। कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय कनवारा मौरग की खदान के पास स्थित गांव कनवारा में स्थित है। यह गांव काफी पिछड़ा हुआ है अधिकांश लोग यहां पर खदान से मौरंग निकालकर बेचने का कार्य करते हैं। ऐसे में कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय का उददेश्य बालिकाओं के लिए निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराकर उन्हें राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनाना है।

विद्यालय का स्तर

यह विद्यालय बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालय अपर) है जिसमें कक्षा (बेसिक स्कूल6 से 8 तक की कक्षाएं संचालित होती हैं।

भौगोलिक अवस्थिति

कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय कनवाड़ा बाँदा जिले के बड़ोखर खुर्द ब्लाक में स्थित है। यह गांव बाँदा शहर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गाँव केन नदी के किनारे पर स्थित है।

चित्र संख्या-4.33

विद्यालय का वातावरण

कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय कनवारा का वातावरण अत्यंत शांत सरस तथा आकर्षक है। विद्यालय के अंदर काफी बड़ा मैदान है जिसमें गेंदा गुलाब गुड़हल अपराजिता कोलियस तुलसी आम पपीता केला इमली सीता अशोक आदि पौधे लगे हुए हैं।

विद्यालय के अंदर पठनपाठन के लिए सर्वथा अनुकूल वातावरण उपलब्ध है।-

चित्र संख्या-4.34

शिक्षक विवरण

तालिका संख्या-4.6

क्रमसंख्या	नाम	पद
1	श्री आशुतोष त्रिपाठी	प्रधानाध्यापक
2	श्रीमती अंजना	सहायक अध्यापिका
3	श्री प्रमोद सिंह	परिचारक

विद्यालय का भवन

पूर्व माध्यमिक विद्यालय पर कनवारा का भवन काफी बड़ा एवं शानदार है। विद्यालय के अंदर ही बहुत बड़ा खेलने का मैदान है। विद्यालय के अंदर एक मंदिर भी है।

चित्र संख्या-4.35

विद्यालय कक्षा कक्ष

किसी भी विद्यालय का जो मुख्य कार्य होता है वह उसके कक्षा कक्षों में ही संपन्न होता है। कोठारी आयोग ने अध्ययन कक्षों के महत्व के विषय में बताते हुए कहा है कि- "भारत के भविष्य का निर्माण उसके अध्ययन कक्षाओं में हो रहा है।" कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय कनवारा में तीन अध्ययन कक्ष एवं एक कम्प्यूटर कक्ष संयुक्त पुस्तकालय है। प्रत्येक अध्ययन कक्ष में शिक्षण विषयों से संबंधित विषय वस्तु को फ्लेक्सी एवं चित्रों के माध्यम से दीवारों पर लगाया गया है। क्योंकि यह कन्या विद्यालय है इसीलिए प्रत्येक अध्ययन कक्ष में दो महान महिला विभूतियों के चित्र भी लगे हुए हैं।

चित्र संख्या-4.36

पुस्तकालय

कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय कनवारा में कंप्यूटर कक्ष के साथ में एक पुस्तकालय भी है जिसमें उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षण विषयों से संबंधित पुस्तकें तथा पत्र पत्रिकाएं एवं बाल साहित्य की पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाएं उपलब्ध हैं।

खेल का मैदान

कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय कनवारा के परिसर के अंदर एक बहुत बड़ा खेलने का मैदान है जिसमें छात्रखो बैडमिंटन क्रिकेट आदि खेल खेलते हैं।-छात्राएं कबड्डी खो-

शौचालय

कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय कनवारा में बालक तथा बालिकाओं के लिए पृथकपृथक शौचालय की -सुथरे तथा स्वच्छ हैं।-व्यवस्था है। शौचालय काफी साफ

चित्र संख्या-4.37

चित्र संख्या-4.38

पेयजल की व्यवस्था

कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय कनवारा में पेयजल आपूर्ति के लिए एक इंडिया मार्का हैंडपंप लगा हुआ है। तथा विद्यालय में विद्युत से चलने वाला जल शीतलक भी है जिससे बालक एवं बालिकाएँ तथा अध्यापक शीतल जल भी ले सकते हैं।

चित्र संख्या-4.39

विद्यालय की उपलब्धियाँ

कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय कनवाड़ा बाँदा जिले का सबसे अच्छा विद्यालय हैं। जो गरीब एवं साधन हीन परिवारों के बच्चों को वह सभी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है जो एक निजी विद्यालय अपने छात्रों को देता है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री आशुतोष तिवारी जी को शैक्षिक सत्र 2020 में राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है।

वातावरण एवं साजसज्जा-

कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय कनवारा वातावरण एवं साजसज्जा की दृष्टि से बाँदा जिले का - सबसे अच्छा विद्यालय है।

विद्यालय की बाउंड्री वॉल पर अंदर तथा बाहर दोनों ओर से जन जागरूकता से संबंधित स्लोगन ओं को चित्र के माध्यम से उकेरा गया है।

मुख्य भवन की दीवारों पर चारों तरफ भारत के राष्ट्रपतियों प्रधानमंत्रियों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के कालक्रम के अनुसार निर्मित फ्लेक्सी लगी हुई है।

चित्र संख्या-4.40

हरीतिमा स्थिति

कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय कनवारा में हरीतिमा की स्थिति है अत्यंत उच्च स्तर की है। विद्यालय के अंदर केला पीता अशोक गुड़हल पालक कद्दू तोरई कोलियस आदि के पौधे लगे हुए हैं। विद्यालय में तुलसी के पौधे एक तरफ से उगे हुए हैं।

उपचारात्मक कक्षाएँ

छात्रों की कठिनाई के आधार पर उन्हें अलग अलग समूहों में विभाजित-करके उपचारात्मक कक्षाएँ संचालित की जाती हैं।

चित्र संख्या-4.41

दिव्यांगों के लिए सुविधाएँ

उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में चल रही योजना 'कायाकल्प' के तहत सभी विद्यालयों में रैम्प बनवाने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्व माध्यमिक विद्यालय पड़मई में दिव्यांग छात्र एवं छात्राओं के लिए रैम्प एवं सुलभ शौचालय की उचित व्यवस्था है।

चित्र संख्या-4.42

पाठ्य सहगामी क्रियाएँ

पाठ्य सहगामी क्रिया मस्तिक जीवन की तैयारी होती है। जिनसे छात्र जीवन की वास्तविक परिस्थितियों को समझ कर उनमें सामंजस्य बिठाना सीखते हैं। कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय कनवारा में छात्राओं को शिक्षण विषयों के साथसाथ पाठ्य सहगामी क्रियाएं जैसे स्काउट गाइड- गृह शिल्प सृजनात्मक कार्य एवं बागवानी आदि सिखाएँ जाते हैं। समयसमय पर बाँदा मेडिकल कॉलेज तथा- बुंदेलखंड कृषि विश्वविद्यालय बाँदा के शैक्षिक भ्रमण भी कराए जाते हैं।

चित्र संख्या-4.43

अध्याय पंचम

'निष्कर्ष एवं सुझाव'

अध्याय : पंचम
निष्कर्ष एवं सुझाव

5.1 निष्कर्ष

एक उत्तम शोधकार्य की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि उसके निष्कर्ष शोध विधियों के सम्यक प्रयोग एवं तर्कसंगत व्याख्याओं पर आधारित होते हैं। उनमें बस्तुनिष्ठता होती है। वह अपने निष्कर्ष के द्वारा ही अपने शोध कार्य को अंतिम रूप प्रदान कर सकता है।ऐसाकहाजाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बिना निष्कर्ष के निकले शोध कार्य को अपूर्ण माना जाता है।

जिस प्रकार किसी कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व उद्देश्यों की आवश्यकता होती है। बिना उद्देश्यों के कोई कार्य सफल नहीं माना जा सकता, ठीक उसी प्रकार शोध कार्य के पूर्ण हो जाने पर निष्कर्ष आवश्यक होते हैं और उन्हीं प्राप्त निष्कर्षों के माध्यम से ही शोध कार्य की शैक्षिक उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक सुझाव दिए जा सकते हैं-

- ❖ अधिकांश परिषदीय विद्यालयअनुकरणीय नहीं है क्योकि विद्यालय में पर्याप्तसंसाधनो की कमी है।
- ❖ अधिकांश विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित जिससे विद्यालय में सभी सुविधाएं नहीं उपलब्धहै।
- ❖ परिषदीय विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों अध्यापकों की कमी है।
- ❖ ग्रामीण क्षेत्रों में निजी विद्यालयों के खुलने की वजह से सरकारी विद्यालयों में पंजीकरणकमहैं।
- ❖ प्राथमिक विद्यालय का औसतन क्षेत्रफल (जमीन) बहुत कम है।विद्यालय में खुला क्षेत्र कम होने के कारण वृक्षारोपण कम किया जाता है।
- ❖ अधिकांश विद्यालयों में पर्याप्त जगह और पानी की व्यवस्था न होने के कारण किसी भी विद्यालय में

वृक्ष नहीहै।

- ❖ किसी भी विद्यालय में सजावटी पौधो की संख्या नहीं है और औषधीय पौधे प्रति विद्यालय कम है।

- ❖ बेल/लता को लगाने के लिए सिचाई के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है साथ ही जानवरों से बचाने के लिए ऊँची एवं मजबूत चहारदीवारी की आवश्यकता होती है जो ज्यादातर विद्यालयों में नहीं है।
- ❖ प्रवेश द्वार की ऊँचाई औसतन कम है, जिसकी वजह से विद्यालयकमअनुकरणीय एवंकमसुन्दर है।
  - ❖ एक आदर्श परिषदीय विद्यालय के संचालन के लिए संबंधित समुदाय का सहयोग बहुत जरूरी है।
  - ❖ अधिकांश विद्यालयों में विद्यालय के अन्दर खेलने के मैदान की कमी है।
  - ❖ अधिकांश विद्यालयों में पेयजल की आपूर्ति सही नहीं है।

5.2 अध्ययन का शैक्षिक उपादेयता

किसी अध्ययन की सार्थकता उसकी आवश्यकता के स्वरूप एवं उसकी उपयोगिता पर निर्भर करती है।अनुकरण का महत्व इतना स्पष्ट है तब भी कुछ ही मुट्ठी भर लोग हैं जो वास्तव में इस गतिविधि में शामिल होने का प्रण लेते हैं। परिषदीय विद्यालय को अनुकरणीय बनाना शिक्षकों के लिए उपयोगी होता है, जिससे वह अनुकरणीय आदर्श विद्यालयों को बना सकें। अनुकरण कामहत्व प्राचीन समय से हैं, इसके पीछे सरल वाणी विनम्र व्यवहार एवं सौम्य वाणी मनोकामनाओं का आशीर्वाद देना ही अनुकरण का कर्तव्य है परन्तु इसके अध्ययन शिक्षक, छात्र और शिक्षाविद अन्य सभी वर्गों के लिए बहुत उपयोगी है।

अध्ययन के परिणामों से स्पष्ट होता है कि परिषदीय अनुकरणीय विद्यालयो की संख्या बहुत कम है जिससे लोग अपने बच्चों को परिषदीयविद्यालयो की अपेक्षा निजी विद्यालयों में प्रवेश दिलाते है इसके लिए गाँव के अभिभावकों एवं उनके पाल्यों को तथा ग्राम प्रधान और गाँव के प्रमुख व्यक्तियों को अनुकरण के सम्बन्ध में जागरूक करें और सभी लोगों से स्वतन्त्रता दिवस और गणतन्त्र दिवस पर तथा किसी विशेष त्योहार पर अनिवार्य रूप से अनुकरणीय कार्य कराना चाहिए।

अनुकरण का अध्ययन पाठ्यक्रम निर्माताओं के लिए उपयोगी है। एक प्रसिद्ध कहावत इस प्रकार है - "कल्पना कीजिए कि अगर पेड़ वाई-फाई सिग्नल देते तो हम कितने सारे पेड़ लगाते, शायद

हम ग्रह को बचाते। बहुत दुख की बात है कि वे केवल ऑक्सीजन का सृजन करते हैं।" कितना दुखद है कि हम प्रौद्योगिकी के इतने आदी हो गए हैं कि हम अपने पर्यावरण पर होने वाले हानिकारक प्रभावों की अनदेखी करते हैं न केवल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल प्रकृति को नष्ट कर रहा है। अगर हम वास्तव में जीवित रहना चाहते हैं और अच्छे जीवन यापन करना चाहते हैं तो अधिक से अधिक पेड़ लगाने जाने चाहिए और अपने गाँव नगर अपने राष्ट्र को हरित राज्य बनाने में सभी को योगदान देना चाहिए। इसका अध्ययन समस्त मानव के लिए उपयोगी है चाहे वह छात्र, शिक्षक, ग्राम प्रधान, ग्राम निवासी, विशिष्ट समुदाय, प्रशासन अथवा कोई अन्य क्यों नहो।

5.3 अध्ययन के सुझाव

किसी भी क्षेत्र में किया गया कोई भी शोध कार्य तब तक व्यर्थ है, जब तक उससे प्राप्त परिणाम उस क्षेत्र में काम ना आ सके। शोधकर्ता ने अपना शोध कार्य**"बाँदा जनपदके अनुकरणीय परिषदीय विद्यालय: एक अध्ययन"**को लेकर किया है। शोध कार्य में को लेकर किया गया है। प्रस्तुत शोधकार्य में बाँदा जनपद के परिषदीयविद्यालयों मेंअनुकरण का अध्ययन किया गया है। अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि सभी विद्यालय अनुकरणीयविद्यालय नहीं हैं।

अनुकरणीयविद्यालयबनाने के लिए निम्नलिखित आदर्श सुझाव हैं-

5.3.1 प्रशासन हेतु सुझाव

प्रस्तुत अध्ययन में प्रशासन हेतु जो सुझाव दिये गये है उनको निम्न विन्दुओं द्वारा स्पस्ट किया जा सकता है -

- प्रशासन को चाहिए कि परिषदीय विद्यालय को अनुकरणीय बनाने के लिए अनुशासन जरूरी है।
- सभी विद्यालयों में पहुँच मार्ग पक्का की व्यवस्था करें, जिससे विद्यालय जाने का मार्ग बाधित ना हो।
- पीने के पानी के वितरण की सही व्यवस्था के साथ-साथ उसके संरक्षण एवं उसके व्यर्थ बहने को रोकने की सही व्यवस्था करे।

❖ शिक्षकों के साथ साथ कर्मचारियोंकी विद्यालय को अनुकरणबनाने के लिए नियुक्ति होनी चाहिए।

❖ विद्यालय में चहारदीवारी एवं परिसर प्रवेश द्वार की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हरित पौधों को अन्ना जानवरों से बचाया जा सके।

❖ सरकार को विद्यालयों के बाहर, पीछे, अगल-बगल भी वृक्ष लगवाने चाहिए।।

❖ सरकार को सभी दिवसों में वृक्षारोपण करना अनिवार्य कर देना चाहिए।

❖ सरकार को विद्यालयों में अनुकरण से सम्बन्धित सभी संसाधनों की व्यवस्था करनी चाहिए।

5.3.2 समाज के लिए सुझाव

प्रस्तुत अध्ययन में समाज के लिए जो सुझाव दिये गये है उनको निम्न बिन्दुओं द्वारा स्पस्ट किया जा सकता है -

❖ समाज के सभी लोग मिलकर यह शपथ ले कि सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन केवल दण्ड के भय से ना करके स्वेच्छा से करें।

❖ प्रत्येक व्यक्ति को अपने आस-पास घर में अनुकरणीयकार्योंको बढ़ावा देना चाहिए।

❖ प्रत्येक बच्चे के अभिभावक जब बच्चे का विद्यालय में प्रवेश दिलाने जाये तो अनुशासन का संकल्प जरूर ले।

❖ गाँव के प्रधान या नागरिक सरकारी विद्यालयों को सार्वजनिक सम्पति समझे और उनकी देखभाल में सहयोग प्रदान करें।

5.3.3 शिक्षकों के लिए सुझाव

प्रस्तुत अध्ययन में शिक्षकों के लिए जो सुझाव दिये गये है उनको निम्न बिन्दुओं द्वारा स्पस्ट किया जा सकता है -

❖ शिक्षकों को अनुकरणीय विद्यालय बनाने के लिए अभिभावको एवं समुदाय के सभी लोगों से विद्यालय की योजना निर्माण में सहभागिता लेनी चाहिए।

❖ शिक्षक को विभिन्न जयन्तियो/दिवसों में छात्रों को सम्बन्धित महापुरुष के संघर्ष एवं गुणों को बताकर उनका अनुकरण कराना चाहिये।

❖ शिक्षकों को चाहिए कि वृक्षारोपण के लिए वह छात्रों के साथ-साथ उनके अभिभावकों को भी प्रेरित करें तथा उसकी आवश्यकता के बारे में जानकारी दें।

❖ शिक्षक का कर्तव्य है कि वह अपने विद्यालय को अनुकरण विद्यालय बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहे।

5.3.4 विद्यार्थियों के लिए सुझाव

प्रस्तुत अध्ययन में विद्यार्थियों के लिए जो सुझाव दिये गये है उनको निम्न विन्दुओं द्वारा स्पस्ट किया जा सकता है –

❖ अनुकरण के कार्यों को अपने जीवन में अपनाकर वे समाज का सहयोग करें।वृक्षों के महत्व को अन्य लोगों को समझाएँ स्वयं कचरा इधर-उधर ना फेंके।

❖ सीमित प्राकृतिक संसाधन-पानी, बिजली, कागज, लकड़ी एवं ईंधन आदि का सही एवं समुचित उपयोग करें।

❖ छात्र अपनी स्वेच्छा से विद्यालय में अनुकरणीयकार्यकरेंजिसकीपूर्वानुमति शिक्षकों से ले सकता है।

❖ छात्र अनुकरण विद्यालय बनाने में अपनी रुचि/सहयोग दे सकता है।

❖ प्रत्येक छात्र अपने जन्म दिवस के अवसर पर विद्यालय में कम से कम एक पौधा जरूर लगाएँ एवं उसकी समुचित देखभाल करें।

❖ छात्र अलग-अलग समूह बनाकर गांवों में जाकर, ग्रामवासियों को वृक्षारोपण के लाभ समझाएँ।

❖ छात्र अपने अभिभावक एवं माता-पिता को अनुकरण के विषय में जानकारी दें।

❖ छात्र विभिन्न समारोहों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा वृक्षारोपण के फायदे और नुकसान के बारे में नाटक प्रस्तुत करें।

❖ वृक्षों के नुकसान से जीव जन्तु एवं मनुष्य को नुकसान के बारे में लोगों को बताएं कि अगर पौधे जमीन पर नहीं होंगे तो प्राकृतिक सन्तुलन बिगड़ जाएगा जैसे बारिश का ना होना आज गम्भीर समस्या हो गई है।

5.4 भावी शोध हेतु सुझाव

❖ बाँदा जिले के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य के अन्य जिलों में "बाँदा जनपदके अनुकरणीय परिषदीय विद्यालय: एक अध्ययन"सेसम्बन्धितकार्यकियाजासकताहै।

❖ नवोदय विद्यालय तथा केन्द्रीय विद्यालयों में"बाँदा जनपदके अनुकरणीय परिषदीय विद्यालय: एक अध्ययन"जैसाकार्यकिया जा सकता है।

❖ माध्यमिक विद्यालय तथाउच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अनुकरणीयपहल सम्बन्धी तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।

❖ प्रस्तुत शोध कार्य में परिषदीय स्तर पर बाँदा जनपदके अनुकरणीय परिषदीय विद्यालय: एक अध्ययन कार्य किया गया है, अन्य किसी पक्ष को लेकर भी एक शोध कार्य किया जा सकता है।

❖ निजी तथा सरकारी विद्यालयों में बाँदा जनपदके अनुकरणीय परिषदीय विद्यालय: एक अध्ययन किया जा सकता है।

❖ उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य किसी राज्य के परिषदीय विद्यालयों की अनुकरणीय पहल का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. शर्मा, आर०ए०)2010(, *पर्यावरण शिक्षा मेरठ* लाल बुक डिपो। आर० :

2. लाल, रमन बिहारी एवं शर्मा, कृष्णा कान्त)2013(, *भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ,* मेरठ आर०लाल०बुक डिपो। :

3. कौल, लोकेश)2006(, *शैक्षिक अनुसंधान की कार्य प्रणाली,* नई दिल्लीविकाश पब्लिशिंग हाउस : प्रा०लि०।

4. गुप्ता, एस० पी०)2017(, *अनुसंधान संदर्शिकासम्प्रत्यय, कार्यविधि एवं प्रविधि* इलाहाबादशारदा : पुस्तक भवन।

5. सिंह, अरुण कुमार)2015(, *मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ*मोतीलाल :दिल्ली . बनारसी दास।

6. सिंह, अरुण कुमार)2017(, *उच्चतर सामान्य मनोविज्ञान,* दिल्ली मोतीलालबनारसी दास। :

लघु शोध प्रबन्ध

1. दास, राम)2004(, उच्च शिक्षा स्तर शिक्षकों के व्यक्तित्व एवं विषय सजगता के सन्दर्भ में कम्प्यूटर एवं इण्टरनेट अनुप्रयोग सम्बन्धी कौशलों का अध्ययन पी०एच०डी० .(शिक्षा शास्त्र(, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ <[illegible]10603/42968>

2. कुमारी,मंजू)2005(, मलिन बस्तियों में निवास करने वाले विशिष्ट जाति समूह की लड़कियों का शैक्षिक व्यावसायिक स्तर तथा उनकी शिक्षा के प्रति अभिभावकों का अभिमतशिक्षा) पी०एच०डी०. (शास्त्र, दयालबागएजूकेशनलइंस्टीट्यूट (डीम्ड विश्वविद्यालय) दयालबाग, आगरा। <[illegible]>

3. ज्ञानानी, टी०सी)1999(,विशिष्ट समूहों की शैक्षिक उपलब्धि के मनोसामाजिकसंज्ञानात्मक तथा असंज्ञानात्मककारक .एक विश्लेषणात्मक अध्ययन -पी०एच०डी० (शिक्षा शास्त्र),दयालबागएजूकेशनल

इंस्टीट्यूट दयालबाग (डीम्ड विश्वविद्यालय), आगरा। <http://hdl.handle.net/10603/207692>

4. गोयल, अंजू)2016(,भरतपुर जिले के उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों की पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जागरूकता एक विश्लेषणात्मक अध्ययनपी०एच०डी० :(शिक्षा शास्त्र(. वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान <http://hdl.handle.net/10603/137773>

.5. राणा, रेखा(2008), उत्तरांचल हिमालय की अलकनन्दा घाटी में क्षेत्रीय विकास का पर्यावरण प्रभाव-विश्लेषण शोध प्रबन्ध डी०फिल शोध प्रबन्ध, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल) http://hdl.handle.net/10603/23035

.6. मौर्या, सुमन)2008(,पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएँ एवं सुधारात्मक उपाय: एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण चन्दौली जनपद के दीनदायल नगर मुगलसराय के प्रबुद्ध उत्तरदाताओं पर आधारितशोध प्रबन्ध पी०एच०डी०., वीर बहदुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,जौनपुर<http://hdl.handle.net/10603/18271[illegible]>

7. होता,जितेन्द्र कुमार)2012(,छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों का परिस्थितिकी पर्यटन एवं नियोजन. पी०एच०डी० शोधप्रबन्ध-,पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

<http://hdl.handle.net/10603/[illegible]>

8.https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.amarujala.com/amp/uttar-pradesh/banda/school-metamorphosis-without-government-budget-banda-news-knp5499548[illegible]&ved=2ahUKEwixv9Cu4MnsAhUOyzgGHZ5OCdgQFjAAegQIBhAB&usg=AOvVaw2iuvyZgp0zNxEtBjbuExE8&cf=1&cshid=1603423228552

9. https://bundelkhandnews.com/Model-School-in-Kanwara

10 .https://shodhganga.inflibnet.ac.in/

11 .https://banda.nic.in/

12 .http://www.google.com/

परिशिष्ट

परिशिष्ट

1: बाँदा जनपद का मानचित्र

BANDA JANPAD KE ANUKARNIYA PARISHADIY VIDYALAYA